

REPORT OF OVERSIGHT COMMITTEE IN O.A. NO: 231/2014 IN RE: DOABA
PARYAVARAN SAMITI VERSUS STATE OF U.P & ORS.

I. BACKGROUND

The western region of Uttar Pradesh suffers both from surface and groundwater quality issues. It is comprised of few severely polluted rivers viz. Hindon, Krishna and Kali which are currently grasping for breath. The alarming levels of pollution are primarily due to heavy flow of untreated industrial effluents, agriculture run-off and municipal/domestic waste. The contamination of the surface and ground water in the region is caused by sugar mills, paper and pigment industries, distilleries and other allied industries of the modern civilization. Moreover, this case is not an isolated incident but needs to be understood holistically and with direct relationship to discharge of toxic effluents with major risk to health of the inhabitants. Although, heavy bacteriological and chemical contamination of rivers and aquifers is occurring across India but it is severe in the above mentioned specific location due to varied reasons ranging from industrialization to lack of awareness. Water quality in India's rivers is controlled through a series of guidelines established by the government agencies which are seldom enforced. Systematic and routine monitoring is a viable solution to such plaguing issues.

The applicant in O.A.231/2014 alleged that discharge of industrial effluent in rivers is negatively affecting the surface water (Kali Nadi, Krishna and Hindon rivers) and groundwater in the region. Furthermore, water pollution is having health implications for the inhabitants.

II. WATER POLLUTION IN WESTERN UTTAR PRADESH

Alam & Umar (2013)¹ conducted a study in parts of Hindon-Yamuna interfluvial region to evaluate the concentration of trace elements in groundwater. Pre-monsoon groundwater samples were collected in 2007 from 22 locations distributed throughout the study area, and were analyzed using Inductive Coupled Plasma Mass-Spectrophotometer (ICPMS). The analysis revealed high concentration levels for Al and Cr in almost all groundwater samples. Relatively high values were also reported for Pb, Se, Fe and Mn in few samples. These high concentrations of metal ions in groundwater were probably due to discharge of untreated effluents from textile, dyeing and other industries.

Ahmad & Khurshid (2019)² carried out a study on hydrogeochemical characteristics and groundwater quality assessment for drinking and irrigational purposes in parts of Hindon River Basin. They concluded that in water samples of the study area “the nitrate concentration in the groundwater samples varies from 22 to 293 mg/l in the pre-monsoon, of which 83% of groundwater samples are not recommended for drinking with reference to the concentration of nitrate”.

Mishra et.al.(2015)³ in their study on water quality of river Hindon concluded that water of the river is unfit for human consumption, irrigation and any other activity. The

¹Alam,F.Umar,R.(2013). Trace elements in groundwater of Hindon-Yamuna interfluvial region, Baghpat district, Western Uttar Pradesh. *Journal of the Geological Society of India*. 81. 422-428.

² Ahmad, S.Khurshid,S.(2019). Hydrogeochemical assessment of groundwater quality in parts of the Hindon River basin, Ghaziabad, India: implications for domestic and irrigation purposes. *SN Applied Sciences*. 1,151.

³Mishra,S., Kumar,A.,Shukla,P.(2015). Study of water quality in Hindon River using pollution index and environmetrics, India. *Desalination and Water Treatment*. 57.

primary reason for it is discharge of untreated waste from industrial units and municipal sources.

Sinha et.al. (2012)⁴ have reported severe contamination of Kali Nadi water, based on analysis of TDS, Alkalinity, DO, BOD, COD, F⁻, Cl⁻, Fe²⁺ in samples from Aligarh to Kannauj.

Kumar et.al.(2019)⁵ in the study on groundwater quality in Hindon river catchment area of Saharanpur collected water samples and analysed them. Groundwater samples were collected from the government hand pumps and analyzed for eight trace elements using ICP-MS. In the samples, concentrations of two trace elements namely Hg and Fe were above the drinking water limits (mean values of 2.04 ± 1.94 and 1531 ± 1372 µg/L, respectively) as specified by Bureau of Indian Standards (2012) and World Health Organization (2011). For Cr and Pb, 10% and 15% of the groundwater samples respectively, were above the specified limits. The concentration of Cd, and Zn was within limits as specified for drinking water.

Idrees et.al.(2018)⁶ in their paper titled “Groundwater contamination with cadmium concentrations in some West U.P. Regions, India” made an attempt to determine the concentration of Cadmium in underground water sources in western U.P. regions. The results revealed that high concentrations of cadmium were present. It was much more than prescribed by WHO (2011) permissible limits with reference to drinking water.

⁴ Sinha et.al. (2012). Quantitative assessment of Kali river water pollution. *International Journal of Chemical Sciences*, 10 (4), 2261-2266.

⁵ Kumar et.al.(2019).**An assessment of trace element contamination in groundwater aquifers of Saharanpur, Western Uttar Pradesh, India. *Biocatalysis and Agricultural Biotechnology*.20.**

⁶ Idrees et.al.(2018). **Groundwater contamination with cadmium concentrations in some West U.P. Regions, India. *Saudi Journal of Biological Sciences*. 25(7).**

Kumar et.al.(2019)⁷ took 26 water samples from India Mark-II hand pumps in the Krishna river catchment area of Baghpat, Uttar Pradesh. Several parameters viz. pH, Conductivity, Total alkalinity, Total hardness, TDS, TOC and heavy metals like Fe, Mn, Ni, Mg, Pb, Cd, Al, metalloids and non-metal were analysed and the results were compared with BIS-10500. “The value of TDS varies from 230-1372 mg L⁻¹ which is above the acceptable limit. Conductivity in the drinking water sample varies from 487-1792 μ mhos cm⁻¹. The value of TOC varies from 6.24-19.89 mg L⁻¹ indicate the presence of organic components in drinking water. The concentration of Fe varies from 0.012-5.14 mg L⁻¹ which indicates that 16 samples have concentration above the acceptable limit. The value of Cd varies from 0.024-0.061 mg L⁻¹ where the range of Se life from 1.21-1.86 mg L⁻¹. All the drinking water samples have the Cd and Se concentration above the permissible limit. Cd is carcinogenic elements and may be responsible for various lives threatening diseases among the villagers of Krishna River catchment area”.

III. ORDERS PASSED BY NATIONAL GREEN TRIBUNAL IN O.A.231/2014

1. The Hon'ble National Green Tribunal (NGT) considered the grievance (O.A.No. 231/2014) by Doaba Paryavaran Samiti against the pollution in groundwater and rivers i.e. Kali Nadi, Krishna and Hindon Rivers caused by industrial effluent discharge throughout the river stretches and having irreversible health implications on the inhabitants of the area. Some of the adverse health implications range from acute to chronic diseases. The Tribunal addressed the matter in the light of site inspection by team of experts vide order dated 08.8.2018. On 16.01.2018, a Committee comprising representatives of the Central Pollution Control Board (CPCB), Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB), Uttar Pradesh Jal Nigam and Dr. A.B. Akolkar, Former member of CPCB were directed to carry out a survey in the affected areas by testing the water

⁷ Kumar et.al.(2019). Drinking Water Monitoring in Catchment Area of River Krishna, Baghpat, Uttar Pradesh, India. *Journal of Applicable Chemistry*. 8(2).

samples and observed that groundwater contamination exist. This expert team found that 124 industries were not meeting the defined standards. The Tribunal observed that the State of Uttar Pradesh and UPPCB must perform their statutory duties and the District Magistrate should also take cognizance of the matter at the District level. Witnessing the gravity of the situation, the Tribunal constituted a Committee headed by Justice S.U. Khan, former Judge, Allahabad High Court with representatives of the CPCB and the Ministry of Environment, Forest and Climate Change as members to prepare time bound action plan to deal with the problem. The Chief Secretary, Uttar Pradesh was to give logistic support to empower working of the Committee.

2. The committee constituted by the Tribunal submitted its report on 11.02.2019. The Tribunal vide order dated 15.03.2019 perceived from the Committee findings that discharge of untreated sewage and industrial effluents in districts Muzaffarnagar, Shamli, Meerut, Baghpat, Ghaziabad and Gautam Budh Nagar is mainly responsible for the water pollution. Moreover, it was found that prosecution was initiated against 118 non-complying industries. Orders for closure were passed against noncompliant industries out of which 28 orders were revoked or suspended. Show cause notices were also directed to be issued to some of the polluting industries. The Committee could not conduct health check-up camps and awareness camps due to non cooperation of concerned authorities. Hand pumps from which contaminated water is extracted and consumed were still functional. No measures were found to be undertaken by the authorities for supply of potable water in the affected areas and to identify as well as provide compensation to the victims of water-related diseases.

3. The Committee recommended that the action plans be implemented by all the concerned authorities in the State of Uttar Pradesh as per the time lines given in the finalised action plans keeping in view that the water quality of river Hindon at least meets the water quality criteria for bathing i.e., BOD < 3 mg/l and FC < 500 MPN/100 ml.

The Committee stated that the authorities/departments were taking the matter unresponsively despite clear direction by Hon'ble NGT that all concerned authorities would cooperate with the Committee. Further, an email was sent to the Chief Secretary, Uttar Pradesh stating the imprudent behaviour by the authorities/departments in complying with the directions passed by the Monitoring Committee.

4. The Monitoring Committee was informed by UPPCB that concerning piped water supply, 41 out of 148 villages have been covered so far. The Committee found such action inadequate. Further, the Committee asked the Chief Secretary to provide details regarding the performance guarantee sum of Rs.5 crores.

5. On 25.07.2019 after receiving a letter (email dated 6.07.2019) from Justice S.U. Khan expressing his inability to continue, the Tribunal relieved him from the assignment but directed the Chief Secretary, UP to suggest a credible mechanism and to supervise the measures to be adopted. Status of execution of action plan with the budgetary provisions and specific timelines was required to be furnished. The Tribunal also sought information about compliance of order dated 15.03.2019 requiring furnishing of performance guarantee.

6. Vide order dated 20.9.2019, the Tribunal focused on the compliance status of the directions given in lieu of the O.A.231/2014 to the concerned departments. The action taken up so far by the government departments seemed less promising. Out of the 148 stressed villages selected for piped water supply, only 41 villages got water access through taps. This data revealed that no additions could be made with reference to the villages having piped water supply as the total count was 41 in order dated 25.07.2019. The U.P. Jal Nigam reported that out of the total 8782 hand-pumps that were functional in the stressed area, 1088 provided contaminated water while 1088 have been deracinated. As far as DPRs are considered, 31 were waiting for approval. In addition,

the U.P. Jal Nigam informed that DPR with reference to 3 STPs (1 each in Saharanpur, Budhana and Muzaffarnagar) stands approved only for Budhana and Muzaffarnagar.

7. The Tribunal considered such inactive approach extremely dismaying and opined that appropriate action must be taken for people who have caused unnecessary delays in the DPRs, tender process and against those who have violated the order related to the performance guarantee. In view of this, the Chief Secretary Uttar Pradesh was directed to intervene and seek prompt action regarding this sensitive issue. The Chief Secretary was also asked to take remedial action in augmenting water supply in the affected villages and take action against the erring officials. A compliance report was to be filed by the Chief Secretary before the next hearing date via email. In case the Chief Secretary is unable to ensure the above, the Tribunal stated that it may have no choice but to summon the Chief Secretary to remain present in person.

8. Vide order dated 21.10.2019, it was mentioned that the Chief Secretary filed the report as directed to him on 20.10.2019. The report stated the following:

i) Adequate steps will be taken regarding water supply in the affected villages and until then potable water would be provided through water tankers.

ii) Considering the health check up camps, the report stated that directions have been passed on to treat all patients and referring to specialized hospitals if required.

iii) The work of STPs is under progress and bio-remediation work would begin from November, 2019. Further, the report mentioned that one of the multiple reasons behind delay in this work is non-availability of land.

iv) Performance guarantee has been directed to be furnished.

vi) Compensation of Rs.2.75 crores has been recovered and till the defaulting units pay the assessed compensation their consent to operate will not be renewed.

9. The Hon'ble National Green Tribunal stated that the Uttar Pradesh government needs to continue the work and take appropriate actions and the work would be overseen by the committee set up for the purpose by separate order passed on 21.10.2018 in O.A. 670/2018, Atul Singh Chauhan vs. Ministry of Environment, Forests and Climate Change &Ors.

10. The Tribunal ordered that the tender process/DPR's cumbersome procedures may be curtailed by using GeM portal services. Further, with regard to land, use of land covered by legacy waste may be explored for STPs/Waste processing plants/green belts as permissible under law. A portion of the cost of the project may be utilised for clearing the waste from land and the procedure to be adopted can be referred to in the order dated 17.2.2019 in O.A.519/2019 News item published in "The Times of India" Authored by Jasjeev Gandhiok & Paras Singh titled " Below mountains of trash lie poison lakes". After the hearing on 21.10.2019, the next date fixed for hearing was 10.02.2020.

11. Vide order dated 28.02.2020, the Tribunal considered the report filed by the Oversight Committee on 19.02.2020 and stated that the *"report shows that the progress is hardly sufficient in terms of piped water supply, health facilities and steps for sewage treatment. The suggestions of the committee need to be implemented expeditiously in right earnest and need to be overseen by the Committee. The Committee may also identify accountability of individual authorities and put them to notice of coercive action. We regret to note that in spite of the directions in the order dated 20.09.2019, requiring the high powered Committee to approve the DPRs, DPR is not yet approved. The committee has suggested that the same be now ensured within three weeks. We direct accordingly. If DPR process is delayed beyond 31st March, 2020, coercive measures against the Secretary Revenue, the Secretary Urban Development, the CEO and the Managing Director, U.P Jal Nigam may have to be taken. The Chief Secretary, Uttar Pradesh may put them to notice in writing and ensure compliance of these directions.*

Compared to the status noted vide order dated 20.09.2019, progress can hardly be held to be adequate. The process needs to be expedited and timelines proponed so as to complete the whole exercise by October 31, 2020”.

IV. MONITORING BY OVERSIGHT COMMITTEE

1. Prior to the Tribunal’s next hearing scheduled on 10.02.2020, the Oversight Committee had directed to conduct a health survey in the villages of Baghpat district so as to ascertain the health condition of inhabitants around Hindon River. The data (as of 05.10.2019) furnished by the Ministry of Health, Uttar Pradesh sent to State Pollution Control Board with reference to O.A. No.231/2014 has been presented in Table 1. The data reflects that out of the entire population (155866) across sampled villages of Baghpat district in blocks Pilana, Baraut and Binauli, 916 were found to be suffering from some kind of water-related disease. The maximum number of patients within the sampled villages was found to be in Tikri village (73 patients) of block Binauli followed by Jiwana (51) and Gangnauli (47). Asharfabad Thal and Bhudpur villages in Baruat block had 46 and 44 such cases respectively. In Pilana block, AmipurBaleni village had 41 patients suffering from different water related diseases and Mukari had 44 such patients. Overall, it was observed that a significant number of inhabitants near the Hindon River were suffering due to water quality issues.

Table 1: Health Status of Inhabitants in Sampled Villages

S.N o.	CHC	Village	Date	Total Population	Fever	Jaundice	Skin Disease	Cancer	Diarrhea	Resp. Diseases	Others	Total No. of Patients
1	Pilana	Amipur Baleni	22.06. 2019	6463	8	0	7	0	8	11	7	41

		Mukari	24.06. 2019	4461	11	2	9	0	7	11	4	44
2	Baraut	Kandera	11.06. 2019	6150	28	0	10	4	0	2	0	44
		Ibrahim pur Majra	11.06. 2019	2915	9	0	5	2	2	3	0	21
		Bhudpur	11.06. 2019	5120	28	0	10	2	0	4	0	44
		Asharfa bad Thal	11.06. 2019	3500	22	0	12	3	6	3	0	46
3	Binauli	Gang nauli	05.04. 2019	5235	13	0	5	5	0	11	13	47
		Nagla	05.04. 2019	1531	2	0	0	5	3	7	9	26
		Tikri	08.04. 2019	12023	19	0	19	10	0	17	8	73
		Galhelta	08.04. 2019	2297	5	0	8	5	0	16	8	42
		Shaikh pura	09.04. 2019	2127	2	0	6	1	0	7	3	19
		Chir chiya	09.04. 2019	3153	8	0	0	1	0	0	4	13
		Mawi kalan	10.04. 2019	4997	11	0	0	1	1	1	3	17
		Jiwana	10.04. 2019	5110	18	2	3	5	0	9	14	51
		Ranchhar	11.04. 2019	7897	9	0	11	3	0	5	5	33

		Binauli	11.04. 2019	7231	7	0	9	6	0	8	2	32
		Tabela garhi	12.04. 2019	4578	4	0	4	2	0	2	0	12
		Dhanaua Tikri	12.04. 2019	4125	0	0	3	5	0	0	15	23
		Milana	13.04. 2019	3047	1	0	2	3	1	9	1	17
		Khaprana	13.04. 2019	1429	0	0	2	4	0	1	3	10
		Jhundpur	14.04. 2019	1808	3	1	0	2	0	0	7	13
		Doghat	15.09. 2019	13045	18	2	8	3	0	8	5	44
		Bamnauli	16.09. 2019	10737	8	0	4	4	0	6	3	25
		Idrishpur	17.09. 2019	2204	0	0	0	1	0	2	4	7
		Pusar	17.09. 2019	4605	6	0	2	4	0	4	11	27
		Adampur	18.09. 2019	1773	0	0	4	1	0	0	7	12
		Baranawa	18.09. 2019	8482	7	1	11	2	4	7	6	38
		Daha	19.04. 2019	10128	13	0	9	4	0	8	8	42
		Mulsam	20.04. 2019	3729	0	0	7	1	0	7	7	22
		Sirsali	20.04. 2019	5966	5	1	5	3	0	8	9	31
		Total		155866	265	9	175	92	32	177	166	916

Source: Office of Chief Medical Officer, Baghpat, Uttar Pradesh

2. Moreover, detailed information with name, address, infected body part/organ and current status of treatment was also provided so as to identify the victims and give them compensation.

3. In addition, the Tribunal's direction regarding health check-up camps were followed and a total 68 camps in December, 2019 were organised in Meerut, Saharanpur, Shamli, Muzaffarnagar and Baghpat wherein total patients number was 7520 and 122 were suffering from cancer. Table 2 presents the picture in each district. Highest proportion of cancer patients were found in Shamli (56 patients) district followed by Saharanpur (25), Muzaffarnagar (19), Meerut (18) and Baghpat (4).

Table 2: Number of Health Camps, Total Patients and Cancer Patients in the Selected Districts

S.No.	District	No. of Heath Camps	No .of Patients	Cancer Patients
1	Meerut	8	1573	18
2	Saharanpur	6	494	25
3	Shamli	5	1500	56
4	Muzaffarnagar	38	3462	19
5	Baghpat	11	491	4

4. On 30.1.2020 a meeting was held at Oversight Committee's office wherein officials from concerned departments were present and the progress was reviewed. The main points are presented below:

- The Chief Engineer Jal Nigam informed that 43 villages out of 148 had got piped water supply. In the rest 105 villages, he stated that 40 tubewells were complete through

which piped water will be supplied by March,2020. Rest 63 tubewells were targeted to be completed by April,2020 through which piped water supply was to be given by June, 2020. Projects related to PWS concerning 2 villages viz. Harra town and Biral were pending with the State government.

- Regarding 100% water supply in affected areas through tankers, no report was submitted by Urban Development and Rural Development & Panchayati Raj. Principal Secretary, Rural Development was directed to ensure compliance.

- With reference to health conditions in the affected area, UPPCB informed that appropriate directions had been passed for treatment of people suffering from diseases caused due to industrial pollution in referral specialized hospitals.

- Chief Engineer, UP Jal Nigam informed that bioremediation project was not sanctioned by Dept.ofNamamiGange& Rural Water Supply.

- Bioremediation work had been taken up by ULBs in river Ganga, such work should also be initiated in rural areas.

- Taking into account the installation of STPs, it was ensured by Chief Engineer, U.P.Jal Nigam that instructions would be passed to concerning ULBs to start work within one week. Principal Secretary, Rural Development was directed to explain the steps and progress regarding bioremediation and STPs.

- Concerning defaulting units, UPPCB mentioned that notices were sent to the units and EC of total 9.40 imposed out of which Rs. 3.59 crore had been recovered. The Committee directed UPPCB to expedite the recovery and stated no consent to operate should be provided.

- Considering the DPR/tender process the Hon'ble Tribunal had directed to make use of GeM portal to the extent possible for procuring goods and services. No progress was

made in this regard and the Committee directed Chief Secretary, UP to comply with NGT directions.

5. Thereafter, on 28.02.2020 the Hon'ble NGT while considering the report submitted by Oversight Committee stated that the compliance of directions was insufficient. The NGT stated that the suggestions given by Committee be immediately followed and complied with. *The report filed by committee was as follows:*

i) Issues covered in Directions of Hon'ble NGT: Piped water supply in 148 villages.

Action taken for Compliance:

In terms of piped water supply (PWS), report (refer table 3) provided during the hearing show that out of the total 143 villages in the selected districts, 43 are covered with piped water supply and in 82 villages the PWS work is going on. A total number of 19 tenders were passed as on the date of hearing and retendering/tendering process is ongoing with regard to three villages. Estimate of Rs. 888.94 Lakh has been provided to Nagar Vikas Vibhag on 13.09.2019 for Harra in District Meerut (Town Area Committee). DPR for PWS in village-Biral, District-Baghpur could not be prepared due to non-availability of Land and efforts are still being made. Rural Development Department has been directed to ensure the compliance of order of Hon'ble NGT regarding supply of safe drinking water through tankers as intermediate arrangement.

Table 3: Status of Piped Water Supply in Selected Districts

S. No.	District	No. of Villages	Covered with PWS	Ongoing PWS	Tender Approved & LOI Issued	Retendering / Tendering Process	Remarks
1	Saharanpur	1	0	1	0	-	-

2	Meerut	10	4	5	0	-	<i>Estimate for Harra Nagar Panchayat Meerut amounting Rs.888.94 lakh sent to Nagar Vikas Vibhag vide letter no. c470/1009 /072-001/PPBR D/19 dt.13.09.2019</i>
3	Ghaziabad	1	0	1	0	-	-
4	Shamli	29	7	22	0	-	-
5	Muzaffar nagar	56	10	26	19	1	-
6	Baghpat	51	22	27	0	2	<i>Land of Biral not available</i>
	Total	148	43	82	19	3	

ii) Issues covered in Directions of Hon'ble NGT: Health camps were organized by Medical and Health Department and treatment to be provided to serious patients in affected areas. A total of 169 cancer patients were found in the health camps organized in the year 2019 and 112 patients are under treatment in specialized hospitals. One patient has been cured and 32 cancer patients succumbed to death.

Action taken for Compliance:

The Chief Secretary, Uttar Pradesh issued directions for organizing health camps periodically and ensure the treatment of all the patients in the higher referral specialized hospitals. As informed by concerned CMO's representatives during the meeting held on 29.11.19, 21 camps have been organized in 58 villages and 07 cases of cancer were reported. Likewise, in Baghpat, 70 health check-up camps were organized and 92 cases of cancer were reported. The number of cancer patients found in Shamli was 91. The concerned authorities were made to ensure that proper treatment is provided to these patients.

iii) Issues covered in Directions of Hon'ble NGT: Establishment of 03 STPs (Saharanpur-93.65 MLD, Budhana-10 MILD and Muzaffarnagar-22 MLD) for the treatment of sewage gap in River Hindon.

Action taken for Compliance:

As reported by UP Jal Nigam, 10 MLD STP at Budhana and 22 MLD STP at Muzaffarnagar shall be completed within the prescribed timeline (24 Months from date of sanction of DPR). In both of the STPs, the work has not been started. The Department of Urban Development informed that in Budhana and Muzaffarnagar, DPR was sanctioned but later on due to certain land size issue the process to make adequate land available is being reconsidered by the concerned District Magistrates/local authorities. DPR of the proposed 93.65 MLD STP at Saharanpur could not be prepared. In all the three places i.e. Budhana, Muzaffarnagar and Saharanpur, the work has not started due to land issue. The concerned District Magistrates was directed to expedite the matter within a reasonable time, say, within three months positively.

iv) Issues covered in Directions of Hon'ble NGT: Interim arrangement of phyto-remediation/ bioremediation to be ensured "failing which EC is liable to be paid for such failure".

Action taken for Compliance:

A perusal of the Action Taken Report revealed that no step has been taken for compliance of the order with regard to phytoremediation/bio-remediation.

v) Issues covered in Directions of Hon'ble NGT: Recovery of Environmental Compensation (EC).

Action taken for Compliance: *Environment compensation of Rs. 9.40 Crore assessed against 230 defaulting water pollution sources. As on date of the filing of report, Rs. 3.52 Crore has been recovered. UPPCB is still issuing the show cause notices against the defaulters of EC. Consent to Operate will be withdrawn/refused in case the EC default. EC will be recovered as arrears of land revenue by way of attachment of properties. The UPPCB be directed to initiate the process of realisation of EC and report within three months.*

In view of the above stated directions and action taken the Oversight Committee made the following suggestions:

i) The Constructing Agency for supply of water in Baghpat district UP Jal Nigam has submitted the fact that after sanction of budget, it needs a tleast 11 months for construction of Water Tank and after that, water supply from the Water Tank may be ensured. During the meeting ,it was suggested to the authorities that they may supply the water through direct pipe-line till the construction of Water Tank. The authorities concerned shall ensure supply of water in sufficient quantity to the affected areas

through tankers, as stated by them before the Hon'ble NGT. The status of water supply through pipe-line in 148 villages, as submitted by the UPPCB, is attached with the report.

ii) Panchayati Raj Department be directed to supply safe drinking water through tankers as intermediate arrangement.

iii) Estimate for Harra Town Area Committee and DPR for PWS in village-Biral, District-Baghpat be prepared within a specified time-line/ or within three months.

iv) Directions be issued for organizing health camps in the affected area at regular intervals and treatment of all patients in the high referral specialized hospitals.

v) Although the patients detected with cancer are being sent to specialized facilities, it is important that a micro plan be prepared to cover the entire stretch and identify cause of ailments like skin diseases, jaundice, cancer etc in the population in concerned region.

vi) The work on 10 MLD STP at Budhana and 22 MID STP at Muzaffarnagar has not been started, DPR of 93.65 MLD STP at Saharanpur is not yet prepared. State be directed to take action for setting up of STPs in a time bound manner as already laid down in Hon'ble NGT order passed in O.A. No.-593 of 2017 Paryavaran Suraksha Samiti Vs. UOI. Also the State be directed to identify erring officers for suitable action.

vii) Apart from above mentioned STPs, it has come to notice that there is a gap in sewage generation and treatment capacities in other districts of the region as well. In view of this, it is pertinent that agencies and corporations identify untapped drains and should prepare a plan with timelines and completely tap these drains at earliest. In the mean time, they should carry out in-situ treatment in drains to reduce the pollution load. All those who fail to control inflow of untreated sewage into the river should be penalised on basis of 'Polluter Pays' principle and prosecutions may be initiated against officials in districts where timelines are not adhered to.

viii) *The State be directed to immediately start Bioremediation of Saharanpur and Muzaffarnagar drains for the treatment of sewage gap in River Hindon. Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) to carry out monitoring to ascertain effectiveness of bio-remediation within 30 days.*

ix) *The State be directed to ensure deposition of Rs. 9.40 Crore of Environment Compensation imposed upon 230 defaulting water polluting industries and in case of default, to initiate recovery of Environment Compensation as arrears of land revenue by way of attachment of properties.*

x) *All activities for control and abatement of pollution in the region and providing potable water to those affected should be taken up as priority schemes by the State and stringent timelines be set to ensure compliance.*

xi) *In order to stop effluent discharged from illegal industries, it is suggested that a joint committee of District Administration, Land owning agency, Pollution Control Board, Electricity Department and Police be setup. It shall be duty of concerned land-owning agency to do area survey to identify illegal operations, inventorise it and map it. The joint committee should ensure sealing of the industry and disconnection of electricity. Environmental compensation be levied upon the owner of the premises on whose plot/land the illegal industrial/commercial activities are being carried out. It shall be responsibility of concerned officer of land-owning agency and police that industry once sealed should not operate again. Electricity department should ensure that electrical connection once disconnected should be restored only after permission from concerned land-owning agency.*

xii) *Electricity Department should not give any industrial/commercial connection in residential areas.*

15. The Tribunal, after taking into account the directions, compliance and suggestions by the oversight committee observed that the progress so far has been unsatisfactory and the timelines for fulfilling the directions given by the Hon'ble NGT be proponent so as to meet the target by October 31, 2020.

6. The Oversight Committee held a meeting on 13.05.2020 regarding O.A.231/2014 (through video conferencing) to review the progress of directions passed by Hon'ble Tribunal. The details are presented below:

1. With reference to O.A. 231/2014, the UP Jal Nigam was directed to provide a detailed report of status regarding Piped Water Supply in 148 villages. The committee directed to ensure PWS in the villages at a fast pace.

2. Regarding the 3 STPs at Muzaffarnagar, Budhana and Saharanpur, the UP Jal Nigam informed that tenders have been finalised for Muzaffarnagar and Budhana and within 24 months they aim to complete the work. In case of Saharanpur, DPR had been submitted and approval from NMCG was awaited. The UP Jal Nigam was directed to take a note of this from Dept. of Urban Development and furnish a detailed report.

3. The Committee directed that in case STP work is not complete, then work of bio-remediation and phyto-remediation be undertaken expeditiously. The committee directed UP Jal Nigam to send a detailed report with regard to work done so far. Process for recovery of EC was directed to be initiated as per orders of Hon'ble NGT.

7. As per meeting held by Oversight Committee on 17.07.2020 and 21.07.2020 through video conferencing, the progress was again assessed and it was noted that the concerned departments have not completed any work rather delayed it. The minutes of meeting are presented below:

1. Considering the issue of piped water supply in 148 villages, JMD, U.P. Jal Nigam informed that piped water supply is currently available in 45 villages. In the remaining 103 villages, work is under process in 102 villages. However in remaining 1 village (Harra Town, Meerut) due to land issue work had not yet started. Out of the 102 villages, he informed that work is expected to be finished in 29 villages by September,2020 and in rest 73 villages by Dec,2020. Until the work gets completed,water is being provided through handpumps.

2. MD, UP Jal Nigam informed that work had been delayed because the tenders regarding piped water supply were pending since last 2 years. The approval process started in October, 2020 and the last tender related to it was passed on February, 2020. Usually the time taken to complete the work after approval of the tender is 12 months. However, taking into account the seriousness of matter he assured the Committee that he will get the work completed in 7 months duration. He also stated that due to Covid-19 pandemic and lockdown, three months passed without any progress. Moreover, the affected area in this case i.e. Western Uttar Pradesh is severely impacted by Covid-19, therefore, under present circumstances it is difficult to get the work done.

3.Further, it was mentioned in the meeting that in Saharanpur(1 village is affected), tubewell is complete and pipeline is also present but piped water supply had not been ensured. Water was not being supplied through tankers and residents are dependent on hand pumps. Likewise, in Muzaffarnagar where 58 villages are affected, water is still not being supplied through tankers. In Baghpat (51 villages affected), District Magistrate updated that 171 handpumps have been re-bored, 44 submersibles installed in the district. However, no action has been taken to provide water through tankers.

In the report received from Dept.of Rural Development &Panchayati Raj vide letter dated 22.07.2020, it was mentioned that out of 148 villages, 45 villages have got piped water supply. In the remaining 102 villages, safe potable water is being provided through 4466 deep India Mark II handpumps. It is specifically stated in the report that these handpumps provide safe water and village wise status of handpumps is also presented (Refer Annexure II). In the 102 villages where PWS has not been ensured, the total population is 329970. According to set standards, for 150 persons 1 handpump is required, thus by that logic 2199 hand pumps are needed. However, at present, 4466 handpumps are working. Thus, there is no shortage of handpumps in the area (Refer Annexure II). Moreover, the report has a detailed Action plan with the current status of PWS, timelines, tender approval date and total cost (Refer Annexure I)

4. Taking into account the issue of STP at Muzaffarnagar, Budhana and Saharanpur, the officials informed that work had not started at any place. The usual explanation that project is awaiting approval from NMCG was submitted. The Committee directed coercive action in this regard.

5. Official from Saharanpur informed that phytoremediation work was still incomplete as only 18 km stretch has been covered and rest is left. Similarly, in Muzaffarnagar, phytoremediation work had not been initiated. UPPCB informed that there are total 8 drains in these areas out of which 6 were found to be non-compliant, accordingly, UPPCB had imposed penalty of Rs. 3.5 crore in Muzaffarnagar and 1 crore in Saharanpur and had sent notices to respective Nagar Palika. Rs. 1 crore penalty has been imposed regarding flow of untreated effluents into river body in different municipal towns of district Shamli. The details of penalty/environmental compensation imposed by UPPCB regarding this matter are presented in **Annexure V**.

6. In the issue of 230 defaulting units, UPPCB apprised the Committee that all these units were sealed and total 9.4crore penalty was imposed out of which 3.70 crore realised till date. Consent to operate wasnot provided to units which had not paid the penalty and werestrictly directed to pay the EC. It was made clear to the units' owners that in case of non-payment EC will be recovered by means of land revenue.

7. The Health Dept. informed that no health camps have been organised due to Covid-19 pandemic still instructions have been passed on to the Chief Medical Officer of the district to collect information about cancer patients , patients suffering from diseases caused by polluted water along with patients having co-morbidities under the Dastak Abhiyaan run by the Department (Refer ***Annexure IV***).

V. OBSERVATIONS OF THE COMMITTEE

The Committee was dissatisfied by the progress as it was promised by the Chief Engineer, U. P Jal Nigam in meeting held by Oversight Committee dated 30.1.2020 that 40 tubewells would have been completed by March,2020 and 63 would be complete by April, 2020 and through them piped water supply would be provided to the affected villages by June,2020. Taking into account the current status, it reflects that since last six months only 2 villages could be provided piped water supply. The Committee directed legal action against the U.P. Jal Nigam and suspension of erring officers. Moreover, another meeting was directed to be scheduled wherein MD, Jal Nigam and Principal Secretary, Urban Development were questioned for the delay in this matter.

The Committee noted that despite repeated instructions by NGT, follow up of Oversight Committee, and assurance by the Chief Secretary before NGT, water supply through tankers has not been started by Panchayati Raj Department. Chief Secretary may be

asked to ensure compliance immediately and also to take action against concerned officers.

VI. SUMMARY OF THE COMPLIANCE STATUS AS PER ORDER DATED 28.02.2020 IN O.A.231/2014

S.No.	Directions by Hon'ble NGT	Compliance Status (Yes/No)	Reasons for Non-Compliance
1.	Complete work of piped water supply in 148 villages by 31.3.2020. Rural Development Department directed to supply safe drinking water through tankers as intermediate arrangement	Partially Complied (Only 45 villages covered as of 23.07.2020 and in rest 102 villages safe potable water provided through deep India Mark II handpumps)	The tenders were pending for approval since last 1 year in which the approval process started from October,2020 and continued till Feb,2020. The water is being provided through handpumps as they do not give contaminated water. The water samples were collected from U.P.Jal Nigam and no contamination was observed. Thus, decision to provided water through them was taken.
2.	Complete work of STP by 31.3.2020	No	Approval pending from NMCG.

	The State directed to identify erring officers for suitable action in this matter.		Basic engineering design submitted to NMCG in case of Muzaffarnagar and Budhana. DPR submitted to NMCG in case of STP Saharanpur.
3.	Vide order dated 28.2.2020 it was directed to: <i>Identify untapped drains and should prepare a plan with timelines and completely tap these drains at earliest. In the mean time, they should carry out in-situ treatment in drains to reduce the pollution load. All those who fail to control inflow of untreated sewage into the river should be penalized on basis of 'Polluter Pays' principle and prosecutions may be initiated against officials in districts where timelines are not adhered to.</i>	Partially Complied (Drains have been identified and penalty imposed in Muzaffarnagar, Shamli and Saharanpur. (Refer Annexure III and V)	
3.	Bioremediation of drains at Saharanpur and Muzaffarnagar. UPPCB to carry out monitoring to ascertain effectiveness of bio-remediation within 30 days.	Partially Complied	In Saharanpur, phytoremediation done on 18 km stretch only. In Muzaffarnagar no progress in this regard. Penalty imposed in both areas by UPPCB.
4.	Directions issued for organizing	Yes	Health Camp

	health camps in the affected area at regular intervals and treatment of all patients in the high referral specialized hospitals		organised in December,2019 however, due to Covid-19 pandemic and lockdown health camps could not be organised in last 3 months.
5.	Micro plan to be prepared to cover the entire stretch and identify cause of ailments like skin diseases, jaundice, cancer etc in the population in concerned region	No	Due to Covid 19 pandemic, a micro plan specifically has not being prepared. However, under the Covid-19 health survey the officials have been directed to identify patients of cancer along with people having co-morbidities.
6.	The State directed to ensure deposition of Rs. 9.40 Crore of Environment Compensation imposed upon 230 defaulting water polluting industries and in case of default, to initiate recovery of Environment Compensation as arrears of land revenue by way of attachment of properties	Yes (Rs.3.7 crore recovered. Consent to operate not provided if EC is not deposited)	
7.	In order to stop effluent discharged from illegal industries, it is suggested that a joint committee of District Administration, Land owning	Information awaited from UPPCB	

	agency, Pollution Control Board, Electricity Department and Police be setup		
8.	Estimate for Harra Town Area Committee and DPR for PWS in village-Biral, District-Baghpat be prepared within a specified time-line/ or within three months	Partially Complied	Delay in approval from State Government. File of Harra Town sanctioned and GO is expected to be out by July,2020. DPR of Biral, Baghpat sanctioned and tenders have been awarded. The work is expected to be complete by March, 2021.
9.	Electricity Department should not give any industrial/commercial connection in residential areas		

VII. RECOMMENDATIONS OF OVERSIGHT COMMITTEE

1. Despite repeated directions by Hon'ble NGT and this Committee, U.P Jal Nigam has not ensured piped water supply in 148 affected villages. Till date, piped water supply has been ensured only in 45 villages. In July 2019, this figure was 41 villages. Thus only 4 villages have been provided piped water in one year's time. There has been no physical progress in installation of any of three STPs proposed in the last one year. No action has been taken against any negligent officer despite directions of Hon'ble NGT. Performance Guarantee of Rs 5 Crore directed

by Hon'ble NGT on 15.3.19 has yet to be deposited. Not a single village has been provided water through tankers till now despite written assurance to NGT by Chief Secretary on 20.10.19. In fact now ACS Panchayati Raj has informed that in view of hand-pumps working in these villages there is no need of water supply through tankers. Such gross negligence in fulfilling the basic needs of the citizens is not acceptable and punishable. The Committee recommends that Chief Secretary shall ensure that:

- a) Work on pipe water supply project in balance 103 villages is expedited so that it is complete by 31st December 2020
- b) Till then ensure clean drinking water in these localities where contaminated water was reported by tankers or such means as he deems fit. The quality of water of all such sources may be tested through independent laboratories.
- c) Ensure furnishing of performance Guarantee of Rs 5 Crore as directed earlier by NGT within 15 days. This PG would be forfeited in case of default of timelines.
- d) Ensure commencement of the installation of the 2 STPs in the next one month by expediting the processes and the third STP by increased follow up with NMCG in next 2 months.
- e) Jal Nigam has been extending timelines regularly without achieving any physical progress. Delay in DPRs, delay in tendering and other procedural delays are adduced in every meeting. NGT had already directed that action be taken against erring officials. Chief Secretary should take action against erring officers within a month and inform NGT about it.

2. Chief Secretary had assured NGT on 20.10.19 in his written report that till pipe water supply is provided, water will be provided by tankers. Bio Remediation work will start

from November, 2019. Performance Guarantee of Rs 5 Crore has been directed to be furnished. Action against defaulting officers is being taken. Unfortunately none of these averments have been implemented. These are issues which could easily have been monitored in the monthly monitoring meeting of the Chief Secretary as envisaged in the monitoring framework submitted by the State to the NGT. Chief Secretary should hold the monthly monitoring meeting regularly so that such issues get sorted out regularly.

3. No bioremediation/ phytoremediation of drains has taken place in Muzaffarnagar and Saharanpur as well as in other districts of the region. NGT had directed that an EC of 5 Lakh per drain per month has to be imposed if the work does not commence till 31.3.2020. CPCB may calculate the EC and issue notices to the concerned ULBs in the next 15 days.

4. UPPCB shall ensure recovery of remaining amount (Rs.5.7cr.) imposed as Environmental Compensation on 230 defaulting units within a month. In case of non-payment, UPPCB shall initiate recovery of these dues as arrears of land revenue.

The Member Secretary, UPPCB is directed to send this report to the Registrar General, National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi for placing the same before the Hon'ble Tribunal with a copy to the Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh for necessary action. The report also be uploaded on the website of the Committee.

27-07-2020

27-07-2020

X Anup Chandra Pandey

Dr Anup Chandra Pandey
Member, Oversight Committee
Signed by: ANUP CHANDRA PANDEY

X SVS Rathore

Justice SVS Rathore
Chairman, Oversight Committee
Signed by: SURENDRA VIKRAM SINGH RATHORE

July 27, 2020

Please visit our website: oscngt.upsdc.gov.in for more information.

Annexures

Annexure I: Action Plan for Pipe Water Supply in affected villages

Annexure II: Village wise status of Handpumps

Annexure III: District wise list of drains

Annexure IV: Compliance report from Dept.of Health

Annexure V: Details of Environmental Compensation

***Annexure VI: Minutes of Meeting dated 17.07.2020 & 21.07.2020 regarding
O.A.231/2014***

ANNEXURE-I

**OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER, (GHAZIABAD ZONE) U P JAL NIGAM GHAZIABAD
ACTION PLAN FOR VILLAGES COVERED UNDER O A No 231/2014 & 66/2015 in DOABA PARYAVARAN SAMITI Vs**

state of UP AND OTHERS

ABSTRACT of ACTION PLAN FOR VILLAGES COVERED UNDER O A No 231/2014 & 66/2015 in DOABA PARYAVARAN SAMITI Vs STATE of UP AND OTHERS

Sl. No.	District	No. of Villages	Covered with PWS	Ongoing PWS	Date of supply of water to villagers by direct pumping.												Total
					Jul-20	Aug-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dec-20	Jan-21	Feb-21	Mar-21				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	SAHARANPUR	1	0	1		1								1			
2	Muzaffernagar	56	11	45	1	0	6	8	10	13	5	0	2	45			
3	SHAMLI	29	7	22	0	0	9	8	3	2	0	0	0	22			
4	MEERUT	10	5	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4			
5	BAGHPAT	51	22	29	0	1	11	5	1	5	3	1	2	29			
6	GHAZIABAD	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1			
	Total	148	45	102	1	7	26	21	14	20	8	1	4	102			

NOTE: The financial sanction for projects approved in S.I.SSC dt 17.06.2017 was given in 2019 and tender for the same was invited at hq level in the month of feb .2019.

8

OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER, (GHAZIABAD ZONE) U P JAL NIGAM GHAZIABAD
ACTION PLAN FOR VILLAGES COVERED UNDER O A No 231/2014 & 66/2015 in DOABA PARYAVARAN SAMITI Vs state of UP AND OTHERS

Sl. No.	District	Division/Unit	Programme	Name of Scheme	Estimated Cost/ Sanctioned Cost	Date of approval SLSSC	Tender Approval Date	No. of times tender invited & finalized	Date of supply of water to villagers by direct pumping.												Realistic date of direct pumping	Remark
									Start as per C.B	Date of completion as per C.B	Jul-20	Aug-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dec-20	Jan-21	Feb-21	Mar-21			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	Saharanpur	Project Manager, Const. Unit, Saharanpur	NRWDP-Rural (NGT)	Bhanheda Khemchand	126.16	17.06.2017	01.10.2019	3	20.11.19	01.10.20		1								31.08.2020		
1	Muzaffargarh	Executive Engineer, Const. Divi, Muzaffargarh	NRWDP-Rural (NGT)	Budhina Kalan	240.66	17.06.2017	05.10.2019	3	28.11.19	27.11.20					1					27.12.20	Land Proposal received on 16.06.2020	
2				Kinoni	350.48	17.06.2017	05.10.2019	3	28.11.19	27.11.20			1							27.11.20		
3				Atali	152.31	17.06.2017	07.11.2019	4	29.12.19	28.12.20					1					28.12.20		
4				Badoda	245.63	17.06.2017	05.10.2019	3	28.11.19	27.11.20					1					27.12.20		
5				Bawana	222.62	17.06.2017	05.10.2019	3	29.12.19	28.12.20					1					28.11.20		
6				Biral	380.17	17.06.2017	05.10.2019	3	28.11.19	27.11.20					1					25.11.20		
7				Mimlana	282.21	17.06.2017	05.10.2019	3	28.11.19	27.11.20					1					27.11.20		
8				Bamanheri	157.21	17.06.2017	25.11.2019	5	15.02.20	14.02.21								1		31.03.20	Land Proposal not received	
9				Kurba	200.60	17.06.2017	05.10.2019	3	28.11.19	27.11.20					1					27.11.20		
10				Lachheda	258.78	17.06.2017	05.10.2019	3	28.11.19	27.11.20		1								27.10.20		
11				Jeevna	223.47	17.06.2017	05.10.2019	3	28.11.19	27.11.20							1			27.12.20	Land Proposal received on 18.05.2020	
12				Dhindhaoli	130.53	17.06.2017	25.11.2019	4	12.02.20	11.02.21						1				30.12.20	Land Proposal received on 14.02.2020 but due to land dispute, work is stopped.	
13				Bhasana	224.10	17.06.2017	05.10.2019	3	28.11.19	27.11.20										30.12.20		
14				Dungar	225.75	17.06.2017	05.10.2019	3	28.11.19	27.11.20					1					27.11.20	Land Proposal received on 18.06.2020	
15				Hariya Khera	134.31	17.06.2017	25.11.2019	4	25.01.20	24.01.21						1				26.11.20		
16				Nagwa	180.41	17.06.2017	07.11.2019	4	23.12.19	22.12.20			1							15.09.20		
17				Sarnawali	169.89	17.06.2017	07.11.2019	4	23.12.19	22.12.20					1					22.11.20		
18				Ukawali	156.51	17.06.2017	25.11.2019	5	29.12.19	28.12.20										28.12.20		
19				Durgampur	157.19	17.06.2017	30.12.2019	7	12.02.20	11.02.21										10.12.20	land received in June 2020	
20				Hadauli	176.09	17.06.2017	30.12.2019	7	12.02.20	11.02.21										10.12.20	land received on 09.07.2020	
21				Kheri Tagan	134.29	17.06.2017	25.11.2019	5	12.02.20	11.02.21										30.12.20		
22				Begrajpur	173.81	17.06.2017	07.11.2019	4	12.02.20	11.02.21										11.12.20		
23				Chandheri	184.91	17.06.2017	26.06.2019	1	24.08.19	23.08.20			1							29.09.20		
24				Umarpur	422.99	17.06.2017	26.06.2019	1	24.08.19	23.08.20			1							25.09.20		

2

Sl. No.	District	Division/Unit	Programme	Name of Scheme	Estimated Cost/ Sanctioned Cost	Date of approval SLSSC	Tender		Date of Start as per C.B	Date of completion as per C.B	Date of supply of water to villagers by direct pumping.										Realistic date of direct pumping	Remark	
							Approval Date	No. of times tender invited & finalized			Jul-20	Aug-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dec-20	Jan-21	Feb-21	Mar-21				
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
25				Inchora	113.92	14.10.2019	30.12.2019	2	12.02.20	11.02.21									1	31.03.21			Land Proposal not received
26				Shapur Basi	243.45	14.10.2019	12.12.2019	1	31.01.20	30.01.21							1			30.12.20			Land Proposal received on 14.06.2020 but due to Land dispute, work is stopped.
27				Chandpur	189.57	14.10.2019	12.12.2019	1	12.02.20	11.02.21							1			11.12.20			
28				Nivada Chrauli	148.61	14.10.2019	30.12.2019	2	12.02.20	11.02.21						1				11.12.20			
29				Barkata	141.96	14.10.2019	30.12.2019	2	25.01.20	24.01.21						1				24.12.20			
30				Sultanpur (Khijarpur)	224.97	14.10.2019	12.12.2019	1	12.02.20	11.02.21							1			11.12.20			Land proposals received on 24.01.2020. Alternate proposal of land is received on 12.06.2020.
31				Nasirpur	117.50	14.10.2019	12.12.2019	1	25.01.20	24.01.21						1				31.12.20			
32				Bitwada	271.97	14.10.2019	12.12.2019	1	12.02.20	11.02.21					1					11.11.20			Land proposal is received in June 2020
33				Malra	302.87	14.10.2019	12.12.2019	1	12.02.20	11.02.21					1					11.11.20			
34				Mahmudpur Lakarsandha	202.77	14.10.2019	12.12.2019	1	25.01.20	24.01.21								1		24.12.20			Land Proposal received on 14.06.2020
35				Nunakhera					1.08.17	31.3.20					1					25.10.2020			
1	Muzaffargarh	Project Manager, UWU Muzaffargarh	NRWDP-Rural (NGT)	Mandhera	173.60	17.06.2017	27.08.2019	1	23.12.19	22.12.20				1						30.09.2020			
2				Tiavi	273.33	17.06.2017	27.08.2019	2	30.11.19	29.11.20				1						20.09.2020			
3				Behadarapur	183.92	17.06.2017	30.09.2019	3	15.02.20	14.02.21				1						25.09.2020			
4				Dhansari	167.92	17.06.2017	30.09.2019	3	30.12.19	29.12.20				1						31.10.2020			
5				Dholra	141.76	17.06.2017	30.11.2019	4	15.02.20	14.02.20				1						31.10.2020			
6				Adampur	253.54	14.10.2019	30.11.2019	1	15.02.20	14.02.20				1						31.10.2020			
7				Kutubpur	122.49	14.10.2019	24.12.2019	2	15.02.20	14.02.20				1						15.10.2020			
8				Sadruden Nagar (Mazra)	161.93	14.10.2019	14.02.2020	3	25.03.20	24.02.21				1						31.10.2020			

2

Sl. No.	District	Division/Unit	Programme	Name of Scheme	Estimated Cost/ Sanctioned Cost	Date of approval SLSC	Approval Date	Tender No. of times tender invited & finalized	Date of Start as per C.B	Date of completion as per C.B	Date of supply of water to villagers by direct pumping.							Realistic date of direct pumping	Remark			
											Jul-20	Aug-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dec-20	Jan-21			Feb-21	Mar-21	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
9				Kilasa Kitas	151.97	14.10.2019	24.12.2019	2	15.02.20	14.02.21				1							20.10.2020	
10				Habibpur Sikri	217.73	14.10.2019	24.12.2019	2	15.02.20	14.02.21				1							25.10.2020	
1	Shamli	Executive Engineer, Temp. Const. Dvi. Shamli	NRWDP-Rural (NGT)	Baria Jett	118.21	17.06.2017	21.09.2019	3	15.11.19	14.11.20			1								30.09.20	-
2				Bhanera	165.00	17.06.2017	30.09.2019	4	15.11.19	14.11.20				1							31.10.20	-
3				Fatehpur (Solar Based)	132.67	17.06.2017	21.09.2019	3	15.11.19	14.11.20				1							15.10.20	-
4				Gogwan Jalalpur	221.55	17.06.2017	21.09.2019	3	15.11.19	14.11.20			1								30.09.20	-
5				Hiranwada Lado magra (2 villages)	259.01	17.06.2017	25.07.2019	2	01.10.19	30.09.20				2							15.10.20	-
6				Kiwana	191.75	17.06.2017	25.07.2019	2	01.10.19	30.09.20				1							30.09.20	-
7				Kutub Garh	131.27	17.06.2017	21.09.2019	3	15.11.19	14.11.20				1							15.10.20	-
8				Malaindi	334.56	17.06.2017	21.09.2019	3	15.11.19	14.11.20				1	1						30.11.20	-
9				Matnawali	149.43	17.06.2017	21.09.2019	3	15.11.19	14.11.20				1							15.09.20	-
10				Rajpur	140.49	17.06.2017	21.09.2019	3	15.11.19	14.11.20				1							15.09.20	-
11				Sonta Rasoolpur	301.22	17.06.2017	25.07.2019	2	01.10.19	30.09.20				1							31.10.20	-
12				Dangrol	166.63	17.06.2017	25.07.2019	2	01.10.19	30.09.20				1							15.10.20	-
13				Khwaspur	165.97	17.06.2017	21.09.2019	3	15.11.19	14.11.20				1							15.09.20	-
14				Selfa	134.52	17.06.2017	30.09.2019	4	15.11.19	14.11.20				1							30.09.20	-
15				Sunna	282.93	17.06.2017	25.07.2019	2	01.10.19	30.09.20						1					30.12.20	-
16				Bhikki Deh	91.65	14.10.2019	27.11.2019	1	31.01.20	30.01.21						1					30.11.20	-
17				Kaniyan	189.72	14.10.2019	12.12.2019	1	31.01.20	30.01.21						1					30.11.20	-
18				Samaspur	104.84	14.10.2019	27.11.2019	1	31.01.20	30.01.21				1							15.09.20	-
19				Khanpur Talwa Majara	142.87	14.10.2019	24.12.2019	3	31.01.20	30.01.21					1						31.10.20	-
20				Lisad	757.06	14.10.2019	20.01.2020	1	12.02.20	11.08.21						1					31.12.20	-
21				Jamalpur	67.06	14.10.2019	20.01.2020	4	19.02.20	18.02.21				1							15.09.20	-

Sl. No.	District	Division/Unit	Programme	Name of Scheme	Estimated Cost/ Sanctioned Cost	Date of approval SLSSC	Tender		Date of completion as per C.B	Date of supply of water to villagers by direct pumping.							Realistic date of direct pumping	Remark			
							Approval Date	No. of times tender invited & finalized		Jul-20	Aug-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dec-20	Jan-21			Feb-21	Mar-21	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Meerut	Executive Engineer, Dist Divi. Meerut	NRWDP- Rural (NGT)	Dhilora Urfa Daluhers	158.24	17.06.2017	11.07.2019	2	21.08.19	20.08.20	1	1								31.08.2020	
2				Mirpur	138.99	17.06.2017	11.07.2019	2	21.08.19	20.08.20	1	1								31.08.2020	
3				Kalina	150.36	17.06.2017	11.07.2019	2	21.08.19	20.08.20	1	1								31.08.2020	
4				Nahali	171.86	14.10.2019	21.11.2019	1	17.12.19	16.12.20	1	1								31.08.2020	
1	Bagpat	Executive Engineer, Const. Divi. Baghpat	NRWDP- Rural (NGT)	Kishanpur	250.38	17.06.2017	05.07.2019	2	12.07.19	11.07.20			1							31.10.2020	
2				Adampur	128.46	17.06.2017	05.07.2019	2	12.07.19	11.07.20										1	Court Stay on water works land. Alternate proposal of land is received on 16.06.2020.
3				Dadri	100.26	17.06.2017	05.07.2019	2	11.07.19	10.07.20			1							31.03.2021	
4				Dhanoura Tikri	151.33	17.06.2017	05.07.2019	2	12.07.19	11.07.20					1					30.09.2020	
5				Fekarpur Sekhpura	164.39	17.06.2017	05.07.2019	2	12.07.19	11.07.20			1							31.11.2020	
6				Garhi Kangran	114.28	17.06.2017	05.07.2019	2	11.07.19	10.07.20						1				30.09.2020	
7				Idrishpur	164.91	17.06.2017	05.07.2019	2	12.07.19	11.07.20										31.11.2020	
8				Mangrol	116.52	17.06.2017	05.07.2019	2	12.07.19	11.07.20				1						31.10.2020	
9				Rahatna	103.68	17.06.2017	05.07.2019	2	11.07.19	10.07.20			1							30.09.2020	
10				Sahpur Banganga	148.09	17.06.2017	05.07.2019	2	11.07.19	10.07.20			1							30.09.2020	
11				Sujri	169.54	17.06.2017	05.07.2019	2	12.07.19	11.07.20			1							30.09.2020	
12				Begmabad Garhi	115.35	17.06.2017	27.08.2017	3	25.11.19	24.11.20					1					30.09.2020	
13				Chandayan	112.43	17.06.2017	27.08.2017	3	25.11.19	24.11.20										31.11.2020	
14				Habibpur Nangle	145.02	17.06.2017	27.08.2017	3	25.11.19	24.11.20						1				30.09.2020	Water works location changed. Alternate proposal of land is received on 21.12.2019.
15				Chirchita	167.57	17.06.2017	24.06.2019	1	10.10.19	09.10.20			1							31.11.2020	
16				Galheta	134.24	17.06.2017	24.06.2019	1	10.10.19	09.07.20			1							30.09.2020	
17				Budseni	151.48	17.06.2017	24.06.2019	1	10.10.19	09.07.20								1		30.09.2020	Water works location changed twice. Alternate proposal of land is received on 20.06.2020.
18				Batherpur Baleni	148.50	17.06.2017	24.06.2019	1	10.10.19	09.07.20			1							30.09.2020	
19				Bopura w/s scheme	145.11	23.01.2019	05.07.2019	2	10.10.19	09.10.20			1							30.09.2020	

Sl. No.	District	Division/Unit	Programme	Name of Scheme	Estimated Cost/ Sanctioned Cost	Date of approval SLSSC	Tender Approval Date	No. of times tender invited & finalized	Date of Start as per C.B	Date of completion as per C.B	Date of supply of water to villagers by direct pumping.												Realistic date of direct pumping	Remark
											Jul-20	Aug-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dec-20	Jan-21	Feb-21	Mar-21	19	20	21		
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
20				Sarora	63.55	04.12.2018	14.11.2019	4	28.11.19	27.11.20										31.08.2020				
21				Faulad Nagar	157.40	14.10.2019	23.12.2019	2	31.12.19	30.12.20		1								31.10.2020				
22				Mavi Khord (Chormau)	124.78	14.10.2019	11.12.2019	1	31.12.19	30.12.20			1							31.10.2020				
23				Mauharmadpur Khunti	108.73	14.10.2019	07.01.2020	3	21.01.20	22.01.21					1									
24				Khaprana	138.86	14.10.2019	23.12.2019	2	21.01.20	22.01.21							1			31.12.2020				
25				Milana	110.31	14.10.2019	19.03.2020	1	31.03.20	30.03.21					1					31.01.2021				
26				Jhondpur	143.28	14.10.2019	23.12.2019	2	31.12.19	30.12.20							1			31.12.2020				
27				Bijraul	563.55	14.10.2019	23.12.2019	2	31.12.19	30.12.20									1	31.1.2021				
28				Nai Basti (Kanshapoothi)	87.03	14.10.2019	07.04.2020	3	13.01.20	12.01.21				1						31.08.2021				
29				Biral	257.8	18.02.2020	19.06.2020	3	28.06.2020	27.06.2021							1			31.10.2020				
1 Ghaziabad		Executive Engineer, Ist Construction Division, Ghaziabad	NGT	Nahali	277.06	17.06.2017	18.07.2019	2	16.08.2019	15.11.20		1								31.08.20				
										Total	1	7	26	21	14	20	8	1	4	102				

NOTE: The financial sanction for projects approved in SLSSC at 17.06.2017 was given in 2019, and tender for the same was invited at hq level in the month of feb .2019.



सी0य0जी0 नं0-9473943005

दूरभाष: 0522-2201286

फैक्स : 0522-2231517

उत्तर प्रदेश जल निगम

प्रधान कार्यालय: 6, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ - 226001

पत्रांक : 270 / 2042-0086 / 17 दिनांक : 18 / 09 / 2017

सेवा में,

अनु सचिव
ग्राम्य विकास अनुभाग-5,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के विचाराधीन ओ0ए0 सं0 -231/2014 एवं 66/2015 से आच्छादित पेयजल योजनाओं को क्रियाशील कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र सं0 1515/अडतीस-5-2017-133सम/2015 दिनांक 10.08.2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के विचाराधीन ओ0ए0 सं0-231/2014 एवं 66/2015 से आच्छादित जनपद बागपत की 19 पेयजल योजनाओं को पूर्ण कराये जाने के संबंध में कार्यवाही की जाने की अपेक्षा की गयी है। इस संबंध में अनुरोध है कि जनपद बागपत की 19 पेयजल योजनाओं का दिनांक 17.06.2017 को आयोजित SLSSC की बैठक में अनुमोदन किया गया है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकता में सांसद आदर्श ग्राम/आर्सेनिक-फ्लोराइड तथा घोषित ओ0डी0एफ0 ग्राम सम्मिलित हैं तथा प्रश्नगत प्रकरण भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकता से आच्छादित नहीं है।

समिति द्वारा उक्त परियोजनायें भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकता से आच्छादित न होने के दृष्टिगत परियोजनाओं को सम्मिलित किये जाने हेतु प्रकरण भारत सरकार को संदर्भित करने हेतु अपेक्षा की गई।

मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के विचाराधीन ओ0ए0 सं0 231/2014 एवं 66/2015 से आच्छादित जनपदों में पेयजल व्यवस्था कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री सुरेश राणा द्वारा भी जनपद शामली की परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ करने का अनुरोध किया गया है। इस सम्बन्ध में अन्य स्तर से भी प्राथमिकता पर कार्यवाही किये जाने के अनुरोध पत्र प्राप्त हुये हैं।

इस कार्यालय के पत्र संख्या-219/2042-0086/17 दिनांक 19.08.2017 द्वारा प्रकरण भारत सरकार को संदर्भित करने का अनुरोध किया गया था। यह भी उल्लेखनीय है कि NGT द्वारा अपने आदेश में अशुद्ध पेयजल वाले हैण्डपम्पों को स्थाईरूप से हटाने के आदेश दिये गये हैं, जिस पर जिला प्रशासन द्वारा कार्यवाही सम्पन्न की गई है।

NGT के निर्णय से प्रभावित जनपदों की अब तक 82 पेयजल योजनायें अनुमोदित हैं, जिनकी अनुमानित लागत रू0 151.85 करोड़ है (सूची संलग्न) अनुरोध है कि भारत सरकार से उक्त सम्बन्ध में इन परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध करने की कृपा करें।

संलग्नक - उपरोक्तानुसार।

पू0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि : अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

भवदीय
(प्रेम शंकर सिंह)
मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण)

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण)



सी०यू०जी० नं०-9473943005

दूरभाष: 0522-2201286

फैक्स : 0522-2231517

उत्तर प्रदेश जल निगम

प्रधान कार्यालय: 6, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ - 226001

पत्रांक : 323 / 2009-0086 / 17

दिनांक : 6 / 11 / 2017

सेवा में,

विशेष सचिव

ग्राम्य विकास अनुभाग-5,

उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

विषय: मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के विचाराधीन ओ०ए० सं० -231/2014 एवं 66/2015 से आच्छादित पेयजल योजनाओं को कियाशील कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक 270/2042-0086/17 दिनांक 18.09.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के विचाराधीन ओ०ए० सं०-231/2014 एवं 66/2015 से आच्छादित जनपदों की 82 पाइप पेयजल योजनाओं, जो राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की विभिन्न बैठकों में अनुमोदित की जा चुकी है, जिनकी अनु० लागत रु० 151.85 करोड़ है, का प्रस्ताव भारत सरकार से वित्त पोषण हेतु अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराये जाने के अनुरोध हेतु प्रेषित किया गया था। उक्त प्रस्ताव में जनपद बागपत की NGT के निर्णय से प्रभावित जनपद की 19 पाइप पेयजल योजनाएँ भी सम्मिलित थी।

उक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, बागपत के पत्र संख्या 3208/विविध-14/91 दिनांक 06.09.2017 (प्रति संलग्न) द्वारा जनपद बागपत की ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं पर धनावंटन किये जाने के सम्बन्ध में अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ से अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रकरण पर अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि NGT के आदेश के अनुपालन में उक्त जनपद में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत अतिरिक्त धन आवंटन किये जाने हेतु ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन से अनुरोध करने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः उक्त के अनुपालन में आपसे अनुरोध है कि उक्त पत्र दिनांक 18.09.2017 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाएँ, जो एस०एल०एस०एस०सी० से अनुमोदित हैं, वित्त पोषण हेतु अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराये जाने हेतु भारत सरकार से अनुरोध करने की कृपा करें।

संलग्नक - उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(प्रेम शंकर सिंह)

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण)

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि :

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
2. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र० लखनऊ।

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण)

श्री रमेश चन्द्र मिश्र
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश जल निगम
लखनऊ।

सं. 108

ग्राम्य विकास अनुभाग-5

लखनऊ दिनांक 16 नवम्बर, 2018

विषय-विश्व बैंक पोषित योजनास्तर्गत क्रियान्वित की जा रही नीर निर्मल परियोजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत नई परियोजनाओं को शामिल किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,
सम्बन्धित विषयक अपने पत्र संख्या-422/2042-विश्व बैंक /2018, दिनांक 01.10.2018 तथा मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उत्तर प्रदेश जल निगम के पत्र संख्या- 480/2042-विश्व बैंक /2018, दिनांक 15.11.2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके माध्यम से अनामद-बागपत, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, देवरिया, एटा, सोनभद्र, प्रतापगढ़ एवं गोण्डा की कुल 113 पाइप पेयजल योजनाओं को विश्व बैंक पोषित नीर निर्मल परियोजना (द्वितीय चरण) में सम्मिलित किये जाने हेतु अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया सन्दर्भित प्रकरण में 12 जलपटों की कुल 113 पाइप पेयजल योजनाओं (शुची संलग्न) को विश्व बैंक द्वारा निर्धारित माप दण्डों के अनुरूप नीर निर्मल परियोजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत सम्मिलित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक - सघोपीर ।



(रमेश चन्द्र मिश्र)
अनु सचिव।

संख्या-3475 (1)/अडतीस-5-2018-133सम/2015, तददिनांक

सम्बन्धित की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. श्री एस0यू0एचान, माननीय न्यायभूमि (सोबानियुक्त), मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद।
2. जलसिारी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी-बागपत, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फर नगर, सहारनपुर, शामली, देवरिया, एटा, सोनभद्र, प्रतापगढ़ एवं गोण्डा।
4. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, गाजियाबाद, मुरादाबाद, कानपुर, फैजाबाद, गोरखपुर एवं प्रयागराज।
6. नाई फाइल।

आज्ञा से,



(रमेश चन्द्र मिश्र)
अनु सचिव।

१॥



तार-जलनिगम

दूरभाष 2620172, 2620272
फैक्स 91 0522 2620173

उत्तर प्रदेश जल निगम

6, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ

पत्रांक: 528/2042 - विश्व बैंक / 2018

दिनांक 18-12-2018

सेवा में

अधिशाली निदेशक
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र० शासन,
लखनऊ।

विषय : विश्व बैंक सहायतित पेयजल आपूर्ति एवं पर्यावरणीय स्वच्छता कार्यक्रम के बैच-2 के अन्तर्गत नई परियोजनाओं को शामिल किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या 480/2042-विश्व बैंक/2018 दिनांक 15.11.2018 के संदर्भ में शासन के पत्र संख्या 3475/अडतीस-5-2018-133सम/2015 दिनांक 16.11.2018 द्वारा कुल 113 नई पाइप पेयजल योजनाओं को नीर निर्मल परियोजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत सम्मिलित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। इस सम्बन्ध में दिनांक 04.12.2018 को सम्पन्न राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति के एजेण्डा बिन्दु संख्या-08 में यह निर्देश दिये गये हैं कि नीर निर्मल परियोजना के अन्तर्गत निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार प्री-प्रोजेक्ट एक्टीविटी के अन्तर्गत जनपदों में डी.पी.एम.यू. खोलने एवं प्रचार-प्रसार की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाये। इस सम्बन्ध में दिनांक 18.12.2018 को प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा भी निर्देश दिये गये हैं।

अतः अनुरोध करना है कि सम्बन्धित जनपदों में प्री-प्रोजेक्ट एक्टीविटी प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें, जिससे परियोजना के निर्माण के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

भवदीय

(जी०पी० शुक्ला)
मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण)

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री एस.यू.खान, मा० न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त), मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
2. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता (गाजियाबाद/आगरा/अयोध्या (फैजाबाद)/गोरखपुर/प्रयागराज), उत्तर प्रदेश जल निगम, गाजियाबाद/आगरा/अयोध्या (फैजाबाद)/गोरखपुर/प्रयागराज।
4. अधीक्षण अभियन्ता (ग्रामीण-1), उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
5. अधिशाली अभियन्ता/परियोजना प्रबन्धक, निर्माण खण्ड/प्रथम खण्ड/निर्माण खण्ड/निर्माण इकाई/निर्माण खण्ड/प्रथम निर्माण खण्ड/निर्माण खण्ड, उत्तर प्रदेश जल निगम, बागपत, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, देवरिया, एटा, सोनभद्र, प्रतापगढ़, गोण्डा।

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण)



राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन

(ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन)

उ०प्र० जल निगम कैम्पस 6 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ- 226001

पत्रांक: /WB- 613 /2018-19

दिनांक: 15 जनवरी, 2019

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण)
उ०प्र० जल निगम,
लखनऊ।

सर्वोच्च प्राथमिकता/मा० राष्ट्रीय हरित,
न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के आदेश
का अपनुपालन विषयक

विषय: ओरिजनल अप्लीकेशन संख्या-66/2015 द्वाबा पर्यावरण समिति बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में मा०
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 08.08.2018 को पारिज आदेशों का अनुपालन
कराए जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया आप अपने पत्रांक 16/2042 का सन्दर्भ करने का कष्ट करे जिसमें आपने उक्त विषयक
113 ग्रामीण पेयजल योजनाओं पर निमोण हेतु निविदा आदि की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु दिशा निर्देश
की अपेक्षा की है। इस सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि उक्त विषयक 113 ग्रामीण पेयजल
योजनाओं की विश्व बैंक कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की बैठक दिनांक 04.
12.2018 में अनुमोदन प्रदान किया गया है, जिसके क्रम में योजनाओं की स्वीकृति हेतु विश्व बैंक, नई
दिल्ली को दिनांक 24.12.2018 एवं दिनांक 28.12.2018 में मेल द्वारा संदर्भित करते हुए दिनांक 29.12.2018
को स्टेप पर प्रविष्टि की गयी। स्वीकृति हेतु पुनः दिनांक 02.01.2019, 03.01.2019, 07.01.2019 एवं 09.01.
2019 द्वारा स्वीकृति हेतु अनुस्मारित किया गया है।

उक्त के परिपेक्ष्य में आप विश्व बैंक से स्वीकृति की प्रत्याशा में निर्माण कार्य प्रारम्भ करवाने हेतु
प्राथमिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दें। यहाँ इस कार्यालय के पत्रांक 1649 दिनांक 24.12.2018 का सन्दर्भ लेने
का कष्ट करे जिसमें आप से यह भी अपेक्षा की गयी है, कि एन.जी.टी. के अन्तर्गत प्रस्तावित समस्त
ग्रामीण पेयजल योजनाओं में क्रियान्वन विश्व बैंक के निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही की जाय। इसमें किसी
प्रकार से लापरवाही एवं उदासीनता न बरती जाय।

SECT-1

SECT-2

18/01/19

Mr. Avichal / Mr. Adnan

Munay 19/01/19

Information has been
received via letter no

161/2042-WB/19
Dated: 30.01.2019

भवदीय

15/01/2019

(सुरेन्द्र राम)

आई.ए.एस
अधिशाली निदेशक/विशेष सचिव
ग्राम्य विकास विभाग
उ०प्र० शासन

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. श्री एस०यू० खान, मा० न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त), मा० उच्च न्यायालय, प्रयागराज।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम लखनऊ।
3. सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड नई दिल्ली।
4. सदस्य सचिव, राज्य प्रदूषण बोर्ड, गोमती नगर लखनऊ।

अधिशाली निदेशक/विशेष सचिव
ग्राम्य विकास विभाग




राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
(ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन)

उ०प्र० जल निगम कम्पाउण्ड, 6-राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ- 226001

पत्रांक: 181/WB-NGT (Batch-2)/SPMU/2018-19

सेवा,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण)
उ०प्र० जल निगम,
लखनऊ।



दिनांक: जनवरी, 2019

विषय:ओरिजनल अप्लीकेशन संख्या-66/2015 द्वारा पर्यावरण समिति बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 08.08.2018 को पारित आदेशों का अनुपालन कराए जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्रांक 16/2042-हरित कोड दिनांक 14.01.2019 एवं टी.टी.एल. Xavier Chauvot De Beauchene के ई-मेल दिनांक 21.01.2019 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें उनके द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एन.जी.टी.) अन्तर्गत परियोजनाओं को एन.एन.पी.-2 में सम्मिलित करने हेतु विश्व बैंक के स्टेप-पोर्टल पर अनुमोदनार्थ दिनांक 29.12.2018 को इन्ट्री की गयी थी, जिसके क्रम में दिनांक 21.01.2019 को विश्व बैंक के टी.टी.एल. द्वारा निम्नांकित कार्यवाही/दस्तावेज उपलब्ध कराने हेतु कहा गया है:-

- (1) the EMP for review;
 - (2) land NOCs and land transfer confirmation;
 - (3) all permissions required;
 - (4) broad consultations with communities;
 - (5) resolution documenting interest by communities for the scheme and the payment of the related community contribution;
 - (6) the creation of the Multi-Village and/or Village Water and Sanitation Committee.
- From a technical prospective, we also need to document that:
- (7) the works will be implemented in a phased approach;
 - (8) the share of HH which would be provided water services before the Project closing date of March 2020 is clearly isolated in the contract as a phase 1;
 - (9) any work carried out after March 2020 would be funded by the State Budget.

अतः उक्त के संबंध में मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एन.जी.टी.), नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में तत्काल प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही करने का कष्ट करें, इसमें किसी भी प्रकार से विलम्ब न किया जाय।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

Mr. Adnan / Mr. Arichol
Munay
27/01/19

Information received from
letter no. 161/2042-WB/19 भवदीय
Dated 30.01.19

22.01.2019
(सुरेन्द्र राम)

आई.ए.एस.
परियोजना निदेशक/विशेष सचिव,
ग्राम्य विकास विभाग,
उ०प्र० शासन

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

4. विशेष सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम।
6. अधिक्षण अभियन्ता ग्रामीण, उ०प्र० जल निगम।
7. तकनीकी विशेषज्ञ, एस.पी.एम.यू।



तार-जलनिगम

रूमांक 2020172
फैक्स 5

उत्तर प्रदेश जल निगम

6, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ

पत्रांक: 16/2042-विश्व बैंक/19

दिनांक 30-01-2019

अधिशारी अभियन्ता,

बागपत/गौतमबुद्धनगर/गाजियाबाद/मेरठ/मुजफ्फरनगर/सहारनपुर/शामली/देवरिया/एटा/प्रतापगढ़/सोनभद्र
उ०प्र० जल निगम।

विषय:- नीर निर्मल परियोजना के अन्तर्गत बैच-2 में अतिरिक्त चयनित 113 योजनाओं के डी०पी०आर० में विश्व बैंक द्वारा निर्गत प्रारूप के अनुसार पूर्ण करने के संबंध में।

नीर निर्मल परियोजना के बैच-2 में अतिरिक्त चयनित 113 योजनाओं (सूची संलग्न) में विश्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप निम्न कार्यवाही/विवरण उपलब्ध कराया जाना है :-

1. ENVIRONMENTAL DATA SHEET FOR RURAL WATER SUPPLY SCHEMES (Annex-1A)
2. CATEGORIZATION SHEET FOR WATER SUPPLY SCHEMES (Annex-1B)
3. ENVIRONMENTAL DATA SHEET FOR RURAL SANITATION SCHEMES (Annex-2A)
4. CATEGORIZATION SHEET FOR SANITATION SCHEMES (Annex-2B)
5. ENVIRONMENTAL DATA SHEET FOR SLWM SCHEMES (Annex-3A)
6. CATEGORIZATION SHEET FOR SLWM SCHEMES (Annex-3B)
7. ENVIRONMENTAL ASSESSMENT SUMMARY SHEET (Annex-4)
8. ENVIRONMENT MANAGEMENT PLAN FORMAT (Annex-5A)
9. EMP BUDGET FORMAT (Annex-5B)
10. CONSTRUCTION PHASE CHECKLIST (Annex-6)
11. ENVIRONMENTAL COMPLIANCE VERIFICATION PLAN FORMAT (Annex-7)
12. QUARTERLY ENVIRONMENTAL REPORTING FORMAT (Annex-8)
13. MoDWS FORMAT SANITARY SURVEY FOR UNDERGROUND WATER SOURCES (Annex-9)
14. MoDWS FORMAT SANITARY SURVEY FOR SURFACE WATER SOURCES (Annex-10)

उक्त के सम्बन्ध में निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त सभी योजनाओं में विश्व बैंक द्वारा निर्गत प्रारूप (सभी प्रारूप संलग्न) के अनुसार पूर्ण कर डी०पी०आर० में संलग्न करते हुए एक प्रति इस कार्यालय को दिनांक 15.02.2019 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही निविदा आमंत्रित करने हेतु अपने जनपद से सम्बन्धित सभी योजनाओं के B.O.Q. संलग्न प्रारूप के अनुसार तैयार कर प्रत्येक दशा में इस कार्यालय को दिनांक 07.02.2019 तक प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार (हार्ड एवं साफ्ट कापी)

(जी०पी०शुक्ला)

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण)

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिशारी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (गाजियाबाद/फैजाबाद/प्रयागराज/कानपुर/गोरखपुर), उ०प्र० जल निगम, गाजियाबाद/फैजाबाद/प्रयागराज/कानपुर/गोरखपुर।
3. समस्त सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम को उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु अधिकृत किया गया है। अतः व्यक्तिगत रूचि लेकर समस्त सूचनार्थ समयानुसार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण)

U. P. JAL NIGAM

6, RANA PRATAP MARG, LUCKNOW

Ph: 0522-2201286
Fax: 0522-2221517

RWSSP-UPJN / 107

Dated: 10/04/2019

e-Tender Corrigendum Notice

This is to inform to all the prospective bidders for the bids invited as detailed below :

NIT No.	Tender ID	District
RWSSP-UPJN/50, Dated 11-02-2019	2019_UPJNM_332251_1	Pratapgarh
RWSSP-UPJN/51, Dated 11-02-2019	2019_UPJNM_332308_1	Sonebhadra
RWSSP-UPJN/52, Dated 11-02-2019	2019_UPJNM_328468_1	Baghpat
RWSSP-UPJN/53, Dated 11-02-2019	2019_UPJNM_332275_1	Shamli
RWSSP-UPJN/54, Dated 11-02-2019	2019_UPJNM_332263_1	Saharanpur
RWSSP-UPJN/55, Dated 11-02-2019	2019_UPJNM_332341_1	Muzaffar Nagar
RWSSP-UPJN/56, Dated 11-02-2019	2019_UPJNM_332161_1	Meerut
RWSSP-UPJN/57, Dated 11-02-2019	2019_UPJNM_330164_1	Gonda
RWSSP-UPJN/58, Dated 11-02-2019	2019_UPJNM_330047_1	Ghaziabad
RWSSP-UPJN/59, Dated 11-02-2019	2019_UPJNM_329983_1	Etah
RWSSP-UPJN/60, Dated 11-02-2019	2019_UPJNM_331979_1	Gautam Budh Nagar
RWSSP-UPJN/61, Dated 11-02-2019	2019_UPJNM_329716_1	Deoria

The above tenders which were invited under World Bank assisted Neer Nirmal Pariyojna are now being funded through National Rural Drinking Water supply Program. Hence the reference of World Bank assisted "Neer Nirmal Pariyojna" as mentioned in tender document shall be read as NRDWP as and when applied.

There is some amendment in term & conditions, as annexed.

All other terms and conditions of above NITs will remain unchanged.

(G.P. Shukla)
Chief Engineer (Rural)

Managing Director, U.P. Jal Nigam for cognizance of Managing Director, U.P. Jal Nigam, Lucknow.
Director, S.P.M.U., Rural Development Department, 6 Rana Pratap Marg, Lucknow.
Chief Engineer (Ghaziabad/ Prayagraj/ Ayodhya/ Agra/ Gorakhpur), U.P. Jal Nigam.
Chief Engineer/ General Manager, U.P. Jal Nigam.
Chief Executive Engineer, U.P. Jal Nigam.
Chief Engineer (Rural), U.P. Jal Nigam, Lucknow, for necessary action.

Chief Engineer (Rural)

[Handwritten Signature]
10/04/19



उत्तर प्रदेश जल निगम

6, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ - 226001

सी0यू0जी0 नं0-9473943005
दूरभाष: 0522-2202175
फैक्स : 0522-2231517

पत्रांक : 196 / RWSSP-UPJN / 126

दिनांक : 27 / 05 / 2019

डाक/ई-मेल द्वारा

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (गाजियाबाद क्षेत्र),
उ0प्र0 जल निगम,
गाजियाबाद।

विषय:- जनपद बागपत, शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद एवं गौतमबुद्धनगर की एन0जी0टी0 के अन्तर्गत ग्रामीण पेयजल योजनाओं की निविदा आमंत्रण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय द्वारा निम्नवत निविदा सूचना संख्या आमंत्रित की गई थी -

1. जनपद बागपत हेतु 72 / RWSSP-UPJN / 52 दिनांक : 11.02.2019,
2. जनपद शामली हेतु 73 / RWSSP-UPJN / 53 दिनांक : 11.02.2019,
3. जनपद सहारनपुर हेतु 74 / RWSSP-UPJN / 54 दिनांक : 11.02.2019,
4. जनपद मुजफ्फरनगर हेतु 75 / RWSSP-UPJN / 55 दिनांक : 11.02.2019,
5. जनपद मेरठ हेतु 76 / RWSSP-UPJN / 56 दिनांक : 11.02.2019,
6. जनपद गाजियाबाद हेतु 78 / RWSSP-UPJN / 58 दिनांक : 11.02.2019,
7. जनपद गौतमबुद्धनगर हेतु 80 / RWSSP-UPJN / 60 दिनांक : 11.02.2019,

उक्त निविदाओं को विश्व बैंक सहायित नीर निर्मल परियोजना के अन्तर्गत आमंत्रित की गई थी परन्तु अपरिहार्य कारणवश उक्त सभी योजनाओं को इस कार्यालय के पत्रांक 150 / RWSSP-UPJN / 107 दिनांक : 10.04.2019 द्वारा एन0आर0डी0डब्ल्यू0पी0 में स्थानान्तरित कर दिया गया था। उक्त निविदाये दिनांक 30.04.2019 को प्राप्त की गई थी जिसमें से संलग्न सूची के अनुसार योजनाओं पर कतिपय कारणों से पुनः निविदा आमंत्रण किया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि जनपदवार संलग्न योजनाओं पर क्षेत्रीय स्तर से निविदा आमंत्रण की कार्यवाही तत्काल करने का कष्ट करें।

(जी0पी0 शुक्ला)
मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम।
2. समस्त सम्बन्धित अधिशारी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम।

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण)

No. F. 18/4/2020-PPD
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
Procurement Policy Division

North Block, New Delhi
New Delhi dated the 13th May, 2020

OFFICE MEMORANDUM
Subject: Force Majeure Clause (FMC)

Attention is invited to Department of Expenditure's O.M. No. 18/4/2020-PPD dated 19th February, 2020 on the invocation of Force Majeure Clause (FMC). Vide the O.M. it was clarified that disruption of supply chains due to spread of Coronavirus will be covered under FMC which could be invoked wherever considered appropriate, following the due procedure as stated in para 9.7.7. of the Manual on Procurement of Goods.

2 Subsequent to issuance of the above referred O.M. further disruptions have affected transportation, manufacturing and distribution of goods and services in the country. Limitations placed on the movement of men and material as per the guidelines issued by the Ministry of Home Affairs (MHA) under the Disaster Management Act, 2005 (DM Act 2005) and the respective State and UT governments from time to time have severely impaired the fulfilment of contractual obligations for supply of goods, works and consultancy services (including other services), and affected the volume of vehicular traffic.

3 Attention in this regard is invited to para 9.7.7 of the "Manual for Procurement of Goods 2017", Para 6.4.2 of the "Manual for Procurement of Works 2019" and para 8.14.1 of the "Manual for Procurement of Consultancy and other Services 2017" issued by the Department of Expenditure. The above referred three Manuals recognize extraordinary events or circumstances beyond human control leading to delays in or non-fulfilment of contractual obligations. In a situation of such events happening, and after following due procedure, parties to the contract are allowed flexibility to invoke FMC following prescribed due procedure.

4 It is recognised that in view of the restrictions placed on the movement of goods, services and manpower on account of the lockdown situation prevailing overseas and in the country in terms of the guidelines issued by the MHA under the DM Act 2005 and the respective State and UT Governments, it may not be possible for the parties to the contract to fulfil contractual obligations. In respect of Public-private Partnership (PPP) concession contracts, a period of the contract may have become unremunerative. Therefore, after fulfilling due procedure and wherever applicable, parties to the contract may invoke FMC for all construction/works contracts, goods and services contracts and PPP contracts with Government Agencies and in such event, date for completion of contractual obligations which had to be completed on or

three months and not more than six months without imposition of any fine or penalty on the contractor/concessionaire. Concession periods in all contracts coming on or after 20th February 2020 shall be extended by not less than three and not more than six months. The period of extension (between three and six months) may be decided based on the specific circumstances of the case and the period for which performance was affected by the *force majeure* events.

5. It is clarified that invocation of FMC would be held valid only in a situation where the parties to the contract were not in default of the contractual obligations as on 19th February 2020. It is further clarified that invocation of FMC does not absolve all non-performances of a party to the contract, but only in respect of such non-performance as is attributable to a lockdown situation or restrictions imposed under any Act or executive order of the Government/s on account of COVID-19 global pandemic. It may be noted that, subject to above stated, all contractual obligations shall revive on completion of the period.


(Kolluru Narayana Reddy)
Deputy Secretary to the Govt. of India
Tel.No : 24621305
Email: kn.reddy@gov.in

To,
Secretaries of all Central Government Ministries/Departments



कार्यालय परियोजना प्रबंधक, निर्माण इकाई, उत्तर प्रदेश जल निगम, गांधी पार्क, सहारनपुर ।

पत्रांक २११ / २५१ / ०५ दिनांक : १०/०१/२०

सेवा में,

डा० अमन शर्मा,
चिफ एक्ज्यूकिटिव डायरेक्टर,
इनवायरमेंट सी०एम० एण्ड एडमिन,
वैष्कोस लि० (भारत सरकार का उपक्रम),
जल शक्ति मंत्रालय, 76-सी०, इन्सीट्यूशनल एरिया, सेक्टर-18 गुरुग्राम-122015 (हरियाणा)।

विषय-

नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत Rehabilitation DPR for I&D works for Saharanpur town, District Saharanpur U.P. हेतु प्राक्कलन अनुमानित लागत रू० 54785.63 लाख के प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (पी०पी०आर०बी०डी०), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ के पत्रांक 12/1009/072-0001 (नमामि गंगे)/ DPR BD/120 दिनांक 10.01.2020 के द्वारा नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत Rehabilitation DPR for I&D works for Saharanpur town, District Saharanpur U.P. अनुमानित लागत रू० 54785.63 लाख के प्राक्कलन में आपत्तियां लगायी गयी है। उक्त आपत्तियों की प्रति आपके अधीनस्थ श्री मनोज गुप्ता को वाट्सअप के माध्यम से दिनांक 10.01.2020 को उपलब्ध करा दी गयी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि सहारनपुर नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत Rehabilitation DPR for I&D works for Saharanpur town, District Saharanpur U.P. हेतु प्राक्कलन में आपत्तियों का निराकरण कराते हुए यथा शीघ्र संशोधित प्राक्कलन दस प्रतियों में तैयार कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करे जिससे प्राक्कलन स्वीकृति हेतु मुख्य अभियन्ता (पी०पी०आर०बी०डी०), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को प्रेषित किया जाना सम्भव हो सके।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय
(राजेन्द्र सिंह) १०/०१/२०२०
परियोजना प्रबंधक

पृ०सं०

दिनांक:-

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

- 1-मुख्य अभियन्ता (गा०क्ष०), उ०प्र० जल निगम, गाजियाबाद।
- 2-महाप्रबंधक, निर्माण इकाई, उ०प्र० जल निगम, सहारनपुर।
- 3-श्री आंकाशू सिंह, सहायक परियोजना अभियन्ता।

परियोजना प्रबंधक

Observations on

DPR for I & D and STP works for Saharanpur town, District-Saharanpur under Namami Gange Programme Estimated cost Rs. 54785.63 lacs

(Capital cost Rs. 42940.63 lacs; O & M cost Rs. 11845.00 lacs)

1. Index map is not readable. Clear map showing existing/proposed trunk sewers/sewage pumping stations (SPS)/Sewage Treatment Plant (STP) either proposed in this estimate/DPR or completed/proposed in any other Yojna/Programme is required to be enclosed.
2. A checklist for sewerage projects issued by Chief Engineer (P.P.R.B.D.), U.P. Jal Nigam, Lucknow vide letter no:-365/1009/072-0001/PPRBD/18 dated 20/11/2018 is required to be submitted.
3. Signatures of AE, EE, SE are required in salient features, report, designs/estimates and drawings.
4. General Abstract of cost for Civil and E&M works is required.
5. Estimate has been prepared based on SOR/DSR 2018 with 10% escalation. Estimate should be revised according to latest schedule of rates of year 2019-20. Price escalation @ 10% is not permitted as shown in General Abstract of cost and abstract of cost estimates.
6. Form-J should be countersigned by the Municipal Commissioner, Saharanpur.
7. Design/drawings of each tapping arrangement with detailed layout plan is required to be submitted separately. Submitted nala tapping arrangement dwg. no:- WAP/NG/SP/09 appears like a common drawing which neither show location/name of drain nor hydraulic levels w.r.t ground topography.
8. In salient features, it is stated that there are presently 95 major drains in Saharanpur town which finally joins river Hindon and around 51 drains were tapped in YAP-1 and connected to 38 MLD STP whereas proposal is made for tapping arrangements of all 95 drains in the town. Clarification is required in this regard. A drawing showing drains, considered in the DPR with outfall locations either in Paodhoi or Dhamola river, is required to be submitted so as to clarify the proposal.
9. On page no 6.42, it is stated that STP capacity of 105 MLD is recommended to be provided on the basis of two options, but budgetary proposal, layout plan and hydraulic flow diagram is given for 85 MLD capacity is enclosed, it is to be clarified.
10. Some proposed trunk sewers are to be connected to existing trunk sewers; the carrying capacities of such trunk sewers should be worked out to justify the proposal.
11. Drawing no:- WAP/NG/SP/20 shows bedding class - Ab & B. However, no soil investigation seems to have been conducted. Please justify the different types of bedding proposed. The type of bedding should be decided in relation to the load/bedding factor to be carried as suggested in CPHEEO manual.
12.
 - a) The treated waste water from proposed 85 MLD STP shall be discharged into River Dhamola, design calculations and other details for treated effluent line should be given.

b) A sectional drawing of disposal point at river Dhamola should be given to show bed level of treated waste water channel/conduit above HFL to avoid possibility of back flow condition during monsoon season.

13. Refer Annexure-VI, in design of IPS, detention time has been adopted as 30 seconds, which should be 3.75 minutes of peak flow as per CPHEEO manual. Hence, design and estimate of wet well should be revised.

14. Refer page no 9.2, estimation for all IPS at different locations is worked out on the basis of lump sump rate @ Rs. 10 lacs per MLD for Civil & E/M works which is not realistic. The rate should vary with capacity of different IPS and the estimate should be revised accordingly.


10/01/2020

(Sanjay Gupta)
E.F.(P.P.R.B.D)


10.01.20

(Sarvesh Kumar)
S.E.(P.P.R.B.D)

संख्या:- 1815/33-3-2020-19/2016

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

श्री अनूप चन्द्र पाण्डेय,
सदस्य,
ओवरसाइट कमेटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पंचायतीराज अनुभाग- 3

लखनऊ दिनांक- 22 जुलाई, 2020

विषय:- दोआबा पर्यावरण समिति बनाम राज्य सरकार व अन्य के सम्बन्ध में।
महोदय,

दोआबा पर्यावरण समिति बनाम राज्य सरकार व अन्य (ओ.ए.संख्या- 0231/2014) के विषय पर दूरभाष पर हुई वार्ता का कृपया संदर्भ लें। मेरठ एवं सहारनपुर मण्डल के 6 जनपदों में पड़ने वाले 148 ग्रामों में पेयजल की गुणवत्ता की समस्या के दृष्टिगत टैंकर के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश हैं। इनके 45 ग्राम में पाइपड पेयजल योजना संचालित हैं। उक्त के अतिरिक्त शेष 103 ग्रामों में पेयजल की योजना स्वीकृति उपरान्त निर्माणाधीन है। जल निगम से प्राप्त आख्यानुसार समस्त 102 ग्रामों में 4,466 गहरे इण्डिया मार्क- 11 हैण्डपम्प लगे हुए हैं, जिनका जल पेयजल के रूप में प्रयोग करने में पूरी तरह सुरक्षित है तथा उपरोक्त हैण्डपम्प मानक के अनुसार पेयजल की आपूर्ति कर रहे हैं।

इसके उपरान्त भी यदि किसी ग्राम में पेयजल की समस्या है तो उसके निराकरण की व्यवस्था विभाग द्वारा की जायेगी। इस सम्बन्ध में जल निगम से प्राप्त आख्या संलग्न है।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय,
Manoj 22.7.20
(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

Point of Discussion regarding OA 231/2014


(Doaba Paryavaran Samiti Vs. State Of UP. & Ors.)


Concerned Department:- UP. Jal Nigam

Sl. No	Points of Discussion	Replay
1	What has been the progress in ensuring piped water supply in 148 Villages of the area ? Specify the number of Villages where in the water connection has been provided and what temporary arrangement has been made in other villages ?	<p>1. Out of these 148 villages 1 village namely Harra district Meerut; falls in the Town Area for which the estimate has been sent to urban development department for sanction and release of fund. Sanction of this estimate is awaited.</p> <p>2. The total population of Harra village at present is 21820. As per the set norms total 146 hand pumps are required at present, <u>263 hand pumps</u> already stand installed.</p> <p>3. In remaining <u>147 villages</u> <u>45 villages</u> have already been covered by <u>pipe water supply</u> with tap water connections. Pipe water supply schemes for balance <u>102 villages</u> DPR have been sanctioned and work is in progress except 4 villages (namely Bamanheri, Inchora, Hadauli and Chandpur in district Muzaffarnagar) in which land is disputed (Annexure-1A).-</p> <p>4. In 45 villages which are covered by pipe water supply, potable water is also provided by <u>4327 India Mark-II H.P.</u> (Annexure-1B).</p> <p>5. In 102 villages where piped water supply work is in progress, total number of <u>8793 hand pumps</u> were installed. Total population of these affected villages at present 329970 according to set standards one hand pump caters to 150 persons therefore total number of required hand pump is <u>2199</u> but as against that presently <u>4466</u> hand pump are working. The water drawn from these hand pumps is fully safe for drinking (Annexure-1C).</p>
2	What is the status of DPR for piped water supply in village Biral, Baghpat ?	DPR for piped water supply in village Biral, Baghpat has been sanctioned and tender awarded. Work is in progress which is likely to be completed up to March 2021.
3	Any micro plan mad for identifying patients in the entire stretch and figuring out the causes of ailments like skin disease, jaundice, cancer etc. ?	Not related to UPJN.
4	How many drains are still untapped in the region ? If untapped, then has any interim measure taken place ?	As per table attached (Annexure-2)

✓
Swamiji
P.S.
Jal Nigam
C.S.

5	What is the provision of imposing EC on untapped drains ? Has any such action taken till date in this region ?	Not related to UPJN.
6	It was directed to immediately start bioremediation of Saharanpur and Muzaffarnagar drains for the treatment of sewage gap in river Hindion and UPPCB to carry out monitoring to ascertain effectiveness of bio-remediation within 30 days. What has been the progress so far ?	Not related to UPJN.
7	In the meeting dated 13.05.2020, UP Jal Nigam informed that tenders have been finalized for STP in Muzaffarnagar and Budhana and with in 24 months they aim to complete the work. In case of Saharanpur, DPR has been submitted and approval from NMCG is awaited. What is the progress so far ?	In Muzaffarnagar and Budhana STPs tender has been finalized, basic engineering design has been submitted by the firms which are in process of scrutiny. In Saharanpur DPR has been submitted and approval from NMCG is still awaited.
8	The issue of STPs is lingering on from last many days, any action taken against the erring officers ?	
9	How much EC has been imposed and realized till date from the defaulting units in the area ?	Not related to UPJN.


(Devendra Kumar)
Dy. Sec. (co-ordination)


(G.S. Shrivastav)
Chief Engineer (Gzb Zone)

Office of the Chief Engineer (Gzb-Zone), UP Jal Nigam Ghaziabad

O.A. No. 231/2014 & 66/2015

in DOABA. Paryavaran Samiti Vs. State of U.P. and Ors.

Present status of pipe water supply scheme

Dated 29.06.2020

S.N.	District	No. of villages	covered with PWS	Ongoing PWS	Remark
1	Saharanpur	1	0	1	DPR for Harra Nagar Panchayat Meerut amounting Rs. 888.94 lacs sent to Nagar vikas vibhag vide UP Jal Nigam letter No. 470/1009/072-001/PPBRD/19 dt. 13.09.2019 for sanction approval awaited.
2	Meerut	10	5	4	
3	Ghaziabad	1	0	1	
4	Shamli	29	7	22	
5	Muzaffarnagar	56	11	45	
6	Baghpat	51	22	29	
	Total	148	45	102	

ANNEXURE-2 - CONTD.

Villages wise Status of the Hand Pumps WHICH ARE COVERED WITH PIPED Water Supply Schemes.

S.N.	District	Name Village	Population		Safe Sources (HP) Required (as per norm)	Existing safe Source (upto August 2019)		Submersible Pump (TTSP)	No. of water samples of Hand Pump tested after March 2018	Rema
			2011	Present (2019)		HP	Functional H.P.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Muzaffarnagar	Rajpur Chajpur	5593	6768	45	82	82	-	1	
2	Muzaffarnagar	pura	2647	3203	21	41	40	-		
3	Muzaffarnagar	Shekhupura	5100	6171	41	44	43	-		
4	Muzaffarnagar	Husainpur Bagara	10267	12423	83	121	120	-	1	
5	Muzaffarnagar	Kutubpur	5140	6219	41	54	54	-		
6	Muzaffarnagar	Shikarpur	5840	7666	47	54	54	-		
7	Muzaffarnagar	Doodhateri	4023	4868	32	51	50	-	1	
8	Muzaffarnagar	Khanjhapur	2752	3330	2	38	38	-	1	
9	Muzaffarnagar	Nara	12310	14895	99	83	81	-	1	
10	Muzaffarnagar	Sernagar	11597	14032	94	138	135	-	1	
11	Muzaffarnagar	Dhandhera	2022	2447	16	72	72	-	5	
	Total		67291	82022	521	778	769	0	11	
12	Shamli	Tanabhawani Dehat	8738	10124	67	122	117	-	2	
13	Shamli	Banti Khara	11075	12157	82	166	145	-	5	
14	Shamli	Jhall	3394	3550	24	53	23	-	2	
15	Shamli	Kabdot	2575	2790	19	67	53	-		
16	Shamli	Butradi	3067	3598	24	62	37	-	2	
17	Shamli	Kudana	10203	10659	71	221	207	-	7	
18	Shamli	Lilon	9785	10934	73	115	113	-	5	
	Total		48837	54012	360	806	695	0	23	
19	Meerut	Khiwal	21049	24838	166	279	279	-	2	
20	Meerut	Rasoolpur Jahid	2382	2811	19	39	39	-	0	
21	Meerut	Dalanpur	2998	3538	24	53	53	-	2	
22	Meerut	Kinauni	5715	6744	45	63	63	-	1	
23	Meerut	Pachli Bujurag	10494	12383	83	183	183	-	3	
	Total		42638	50314	337	617	617	0	8	
24	Bagpat	Asara	15409	17874	119	138	138	-		
25	Bagpat	Viyavati	550	638	4	2	2	-		
26	Bagpat	Gopalpur Khadana	873	1013	7	14	14	-	1	
27	Bagpat	Trahampur Majra	2839	3293	22	45	45	-	1	
28	Bagpat	Gangnoli	5225	6061	40	55	55	-	4	
29	Bagpat	Maujijabab Nangal	3806	4415	29	82	82	-	2	
30	Bagpat	Mukarrampur kandera	5463	6337	42	125	125	-	1	

S.N.	District	Name Village	Population		Safe Sources (HP) Required (as per norm)	Existing safe Source (upto August 2019)		No. of water samples of Hand Pump tested after March 2018	Ren	
			2011	Present (2019)		Total IM-II HP	Functional H.P.			Submersible Pump (TTSP)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
31	Bagpat	Bamnavli	10797	12455	83	131	131	-	3	
32	Bagpat	Ranchad	7897	9161	61	92	92	-	3	
33	Bagpat	Barbava	8482	9839	66	75	75	-	-	
34	Bagpat	Binauli	7231	8388	56	107	107	-	-	
35	Bagpat	Gaidbara	1761	2043	14	49	49	-	-	
36	Bagpat	Ajampur Muisam	3729	4326	29	35	35	-	-	
37	Bagpat	Pusar	4605	5342	36	95	95	-	1	
38	Bagpat	Jivana	5110	5928	40	65	65	-	-	
39	Bagpat	Sirsali	5966	6921	46	81	81	-	-	
40	Bagpat	Kasmpur Khedi	4738	5496	37	69	69	-	-	
41	Bagpat	Daha	10128	11748	78	129	129	-	2	
42	Bagpat	Puramahadev	2018	2341	16	87	87	-	-	
43	Bagpat	Mavikala	4997	5797	39	76	76	-	2	
44	Bagpat	Temela Gadi	4578	5310	35	77	77	-	2	
45	Bagpat	Asarfabadthal	4555	5284	35	61	61	1	-	
Total *			116142	134725	898	1629	1629	1	22	
G. Total			317546	371386	2453	4447	4327	1	72	

Not :- Attached all test Reports of test Conducted after March 2018 .

(102 + 11)

Status of H.P. in Villages where pipe water supply schemes is under progress

Villages wise Status of the Hand Pumps water supply schemes is under progress

S.N	District	Name Village	Population		Safe Sources (HP) Required (as per norm)	Existing safe Source (upto August 2019)			No. of water samples of Hand Pump tested after March 2018.	Annexure-1 Rem:
			2011	Present (2019)		Total HP	Functional H.P.	Submersible Pump (TTSP)		
1	2	3.	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Saharanpur	Bhaneda Khemchand	1455	1650	11	0	0	3	3	
		Total	1455	1650	11	0	0	3	3	
2	Muzaffarnagar	Sarnawali	3075	3721	25	70	70		1	
3	Muzaffarnagar	Dunger	4645	5621	38	109	108			
4	Muzaffarnagar	Hariya khera	2370	2868	19	48	48			
5	Muzaffarnagar	Durganpur	2887	3493	23	60	60		2	
6	Muzaffarnagar	Bitwada (Bitwada)	5587	6760	45	107	100			
7	Muzaffarnagar	Jeevana	3521	4260	28	45	44		3	
8	Muzaffarnagar	Badoda	6168	7463	50	127	126		2	
9	Muzaffarnagar	Biral	6932	8388	56	148	147		17	
10	Muzaffarnagar	kinoni	8038	9726	65	53	50			
11	Muzaffarnagar	Nagawa	2828	3422	23	45	44			
12	Muzaffarnagar	Atali	2346	3839	19	35	33			
13	Muzaffarnagar	Datana (Kutubpur Datan)	1154	1396	9	25	25			
14	Muzaffarnagar	Nasirpur	988	1195	8	19	18		1	
15	Muzaffarnagar	Barkata	1473	1782	12	43	42			
16	Muzaffarnagar	Ukarwall	1637	1981	13	38	37			
17	Muzaffarnagar	Chandhari	2384	2885	19	40	40			
18	Muzaffarnagar	Shahpur Basi (Valley)	3150	3812	25	54	54		1	
19	Muzaffarnagar	Adanpur	4131	4999	33	41	40		1	
20	Muzaffarnagar	Mazra (Shatrudin Nagar)	2110	2553	17	42	41			
21	Muzaffarnagar	kutba kutbi	7426	8985	60	127	120		11	
22	Muzaffarnagar	Hadoli	3510	4247	25	47	46			
23	Muzaffarnagar	Dhindna kalan	1802	2271	16	38	38		5	
24	Muzaffarnagar	Niwada	949	1148	8	37	36			
25	Muzaffarnagar	Nunakhera	4111	4974	33	63	60		1	
26	Muzaffarnagar	Budina kalan	6125	7411	49	87	86		2	

S.N	District	Name Village	Population		Safe Sources (HP) Required (as per norm)	Existing safe Source (upto August 2019)		Submersible Pump (TTSP)	No. of water samples of Hand Pump tested after March 2018	Rem
			2011	Present (2019)		HP	Functional H.P			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Muzaffarnagar	Dholra	1899	2798	15	41	41	-	3	-
28	Muzaffarnagar	Titawi	5969	7222	48	112	110	-	-	-
29	Muzaffarnagar	Dhansaini	2457	2975	20	20	19	-	1	-
30	Muzaffarnagar	Bhasana	2580	3222	21	32	31	-	-	-
31	Muzaffarnagar	Sultanpur	871	1054	7	22	21	-	-	-
32	Muzaffarnagar	Bawana	3243	3924	26	43	43	-	-	-
33	Muzaffarnagar	Umarpur	9785	11840	79	79	75	-	4	-
34	Muzaffarnagar	Inchora	755	914	6	12	12	-	-	-
35	Muzaffarnagar	Kilasa (Kitas)	1788	2163	14	41	40	-	-	-
36	Muzaffarnagar	Kheri Tagaain	2137	2586	17	29	28	-	-	-
37	Muzaffarnagar	Habibpur Sikr	3098	3749	25	58	57	-	-	-
38	Muzaffarnagar	Lachera	6183	7481	50	90	88	-	-	-
39	Muzaffarnagar	Mandhera	2339	2830	19	49	49	-	-	-
40	Muzaffarnagar	Mimlana	4569	3109	21	54	51	-	1	-
41	Muzaffarnagar	Malira	4568	5527	37	57	54	-	1	-
42	Muzaffarnagar	Bananheti	1810	2190	15	27	27	-	1	-
43	Muzaffarnagar	Mehmodpur Lakarsand	2313	2798	19	34	34	-	1	-
44	Muzaffarnagar	Begrajpur	3763	4553	30	48	47	-	1	-
45	Muzaffarnagar	Bahadurpur	3540	4283	29	52	50	-	-	-
46	Muzaffarnagar	Chandpur	3038	3676	25	62	60	-	2	-
		Total	156052	187492	1241	2510	2450	0	61	
47	Shamli	Lisad	13077	13672	91	211	182	-	9	-
48	Shamli	Imalpur	344	376	3	13	13	-	-	-
49	Shamli	Kutubgher	2374	2418	16	59	49	-	3	-
50	Shamli	Sonta Rusalpur	8134	9996	67	80	70	-	9	-
51	Shamli	Paipur	1930	2138	14	35	33	-	4	-
52	Shamli	Gogwan Jalapur	3992	4104	27	74	73	-	13	-
53	Shamli	Hiranwada	5202	5395	36	60	52	-	3	-
54	Shamli	Ladomari	566	620	4	18	15	-	1	-
55	Shamli	Samaspur	724	816	5	24	24	-	1	-

S.N	District	Name Village	Population		Safe Sources (HP) Required (as per norm)	Existing safe Source (upto August 2019)		No. of water samples of Hand Pump tested after March 2018	Rema	
			2011	Present (2019)		Total (HP - II)	Functional H.P.			Submersible Pump (TTSP)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Shamli	Farehpur	1347	1415	9	25	20		3	
57	Shamli	Khanpur Talwa Majara	1382	1433	10	45	13			
58	Shamli	Bhikki Deh	472	548	4	23	20		2	
59	Shamli	Berla Jatt	1771	2048	14	52	41		3	
60	Shamli	Saifa	1750	1962	13	37	35		8	
61	Shamli	Maranwali	1866	2206	15	52	48		4	
62	Shamli	Kiwana	3740	3900	26	101	94		4	
63	Shamli	Khuwaspur	3024	3233	22	81	22			
64	Shamli	sunna	5658	6975	46	116	104			
65	Shamli	Bhabada	2598	2556	17	46	46		3	
66	Shamli	Malaindi	6949	7652	51	84	70		7	
67	Shamli	Dangrol	2983	3020	20	50	50		1	
68	Shamli	Kaliyana (Kaniyan)	2338	2483	17	46	46		4	
	Total		72221	78964	526	1332	1120	0	82	
69	Meerut	Mirpur	2267	2676	18	39	39		1	
70	Meerut	Dhilora Urif Daluhara	3043	3591	24	67	67		2	
71	Meerut	Kilina	2711	3199	22	50	50		4	
72	Meerut	Harra	18491	21820	146	263	263		11	
73	Meerut	Nahli	2846	3359	23	85	85		0	
	Total		29358	34645	233	504	504	0	18	
74	Bagpat	Begmabad Gadhli	1398	1622	11	19	19		1	
75	Bagpat	Dadri	1148	1332	9	18	18		2	
76	Bagpat	Shekhpura	2127	2467	16	35	35		2	
77	Bagpat	Sujti	3002	3482	23	78	78			
78	Bagpat	Idarishpur	3501	4061	27	38	38		1	
79	Bagpat	Gadhli Kangran	1667	1934	13	29	29		3	
80	Bagpat	Kishanpur	6025	6989	47	78	78		3	
81	Bagpat	Chandayan	1474	1710	11	16	16		1	
82	Bagpat	Adampur	1773	2057	14	25	29		1	
83	Bagpat	Mangrali	1702	1974	13	28	28		1	

S/N	District	Name/Village	Population		Safe Sources (HP) Required (as per norm)	Existing safe Source (upto August 2019)		Submersible Pump (TTSP)	No. of water samples of Hand Pump tested after March 2018	Rem
			2011	Present (2019)		Total IM - II HP	Functional H.P.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	Bagpat	Rahna	1204	1397	9	16	16	2		
85	Bagpat	Bakharpur Baleni	5208	6041	40	53	53	2	1	
86	Bagpat	Gaiheta	2297	2665	18	49	49	1	2	
87	Bagpat	Shahpur Banganga	1799	2087	14	27	27	2	1	
88	Bagpat	Dhabaura	4125	4785	32	44	44	1	4	
89	Bagpat	Khaprana	1429	1658	11	21	21	1	1	
90	Bagpat	Milana	3047	3535	24	49	49	2		
91	Bagpat	Faulad Nagar	2337	2711	18	38	38	4		
92	Bagpat	Ihondpur	1808	2097	14	29	29	1	1	
93	Bagpat	Bopra	2095	2430	16	37	37	3	3	
94	Bagpat	Jainudin Chirchita	3153	3657	24	55	55	1		
95	Bagpat	Habibput Nangla	2455	2848	19	49	49	2	1	
96	Bagpat	Budseni	2535	2941	20	38	38	1		
97	Bagpat	Mauhammadpur Khunti	144	167	1	11	11			
98	Bagpat	Mavi Khord (Chormou)	1187	1377	9	58	58	2	2	
99	Bagpat	Mai Basti	316	367	2	5	5			
100	Bagpat	Saraura	411	477	3	5	5	2	1	
101	Bagpat	Bijraui	11742	13621	91	163	163	4	2	
102	Bagpat	Biral	3911	4537	30	42	42	1		
		Total	75020	87023	580	1157	1157	47	21	
103	Ghaizabad	Nahali	5784	6825	46	54	54	0	02	
		G. Total	339890	396600	2638	5557	5285	50	187	5

Not :- Attached all test Reports of test Conducted after March 2018 .

ANNEXURE-3

List of Drains in Meerut, Baghpat, Saharanpur, Shamli, Muzaffarnagar and Ghaziabad (Regarding O.A.231/2014)

S.No	Name & location of the drain	Type of Drain (Sewage-1; Industrial-2; Mixed-3)	Current Status (Tapped-1; Untapped-2)	If tapped, then is tapped properly (Yes-1;No-2)	If untapped, then any interim measure taken (Yes-1;No-2)	Remarks
MUZAFFARNAGAR						
1	Nyajipura Drain Muzaffarnagar	1	2		2	
2	Laddawala Drain Muzaffarnagar	1	2		2	
3	Shamli Road Drain Muzaffarnagar	1	2		2	
4	Khaddarwala Drain Muzaffarnagar	1	2		2	
5	Krishnapuri Drain Muzaffarnagar	1	2		2	
6	Sujru Drain Muzaffarnagar	1	2		2	
7	Sahawli Drain Muzaffarnagar	1	2		2	
8	Nai Basti Khalapar Drain Muzaffarnagar	1	2		2	
9	Titawi Drain Muzaffarnagar	3	2		2	
10	Dhanhera Drain Muzaffarnagar	3	2		2	
11	Mansurpur Drain Muzaffarnagar	3	2		2	
SHAMLI						
12	Sikka Drain Shamli	3	2		2	
13	Shamli Drain Shamli	3	2		2	
SAHARANPUR						
14	Dhamola Drain, Saharanpur	3	2		1	Bioremediation in progress
15	Star Paper Mill, Saharanpur	2	2		1	ETP installed for industrial effluent
16	Bajaj Sugar Drain, Saharanpur	3	2		2	ETP installed for industrial effluent
17.	Daya Sagar Drain, Saharanpur	2	2		1	ETP installed for industrial effluent
18.	Naagdehi Drain, Saharanpur	3	2		2	ETP installed for industrial effluent
19.	Thaska Drain, Saharanpur	3	2		2	ETP installed for industrial effluent
20.	Badhai Khurd Drain, Saharanpur	3	2		2	ETP installed for industrial effluent
BAGHPAT						
21.	Ramala Drain, Baghpat	3	2		2	
MEERUT						
22.	Sardhana Drain, Meerut	3	2		2	
23.	Kinauni Drain, Meerut	2	2		2	
GHAZIABAD						

24	Jawali Drain	2	2		2	
25.	Hindon Vihar Drain	1	2		2	
26.	Kailabhata Road Drain	3	2		2	
27.	Arthala Drain	2	2		2	
28.	Indirapuram Drain	3	2		2	
29.	PratapVihar Drain	1	2		2	
30.	Dasna Drain	3	2		2	
31.	Karedha Drain	3	2		2	
32.	Sahibabad Drain	3	Partially tapped		Partially tapped	
33.	Hapur Drain	3	2		2	
34.	Hapur Drain – 1 (City Drain)	1	2		2	
35.	City Forest Drain	1	2		2	
36.	Kailabhata Drain	1	2		2	
37.	Nanadgram Drain	1	2		2	
38.	Rahul Vihar Drain	1	2		2	

ANNEXURE - 4

सर्वो प्राथमिकता/ई-मेल के माध्यम से

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।

सेवा में,

अध्यक्ष,
ओवरसाइट कमेटी,
एन0जी0टी0 उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक:-निदे0(स्वा0)/कैम्प/2020/775

लखनऊ दिनांक 10/07/2020

विशय:-मा0 एन0जी0टी0 में योजित ओ0ए0 संख्या-231/2014 दोआबा पर्यावरण के संबंध में।

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि दिनांक-10.07.2020 को प्रस्तावित बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को दिये गये एजेन्डा में काली नदी, कृष्णा नदी, एवं हिन्दन नदी के प्रदूषित जल से होने वाली बीमारियों एवं मृत्यु को चिन्हित करने के लिए एक माइक्रोप्लान बनाकर उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

इस संबंध में दिनांक- 5.07.2020 से प्रदेश में कोविड-19 सर्वे चल रहा है, तथा घर-घर जाकर इसमें कोमोरविडिटी वाले मरीजों जैसे सुगर, ब्लडप्रेसर, कैंसर रोगियों को भी चिन्हित किया जाना है तथा सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि इसके साथ कैंसर मरीजों को चिन्हित कर दिनांक-15.07.2020 तक सर्वे पूर्ण किया जायेगा एवं उसकी संकलित रिपोर्ट दिनांक-25.07.2020 तक उपलब्ध हो सकेगी।

संलग्नक-यथोपरि

भवदीय

निदेशक(स्वास्थ्य)

पत्रांक:-निदे0(स्वा0)/कैम्प/2020/

तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उ0प्र0 शासन।
- 2- स्टाफ ऑफिसर, महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0 लखनऊ।

निदेशक(स्वास्थ्य)

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।

सेवा में,

अध्यक्ष,
ओवरसाइट कमेटी,
एन0जी0टी0 उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक:-निदे0(स्वा0)/कैम्प/2020/

लखनऊ दिनांक 10/07/2020

विशय:-मा0 एन0जी0टी0 में योजित ओ0ए0 संख्या-231/2014 दोआबा पर्यावरण के संबंध में।

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि दिनांक-10.07.2020 को प्रस्तावित बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को दिये गये एजेन्डा में काली नदी, कृष्णी नदी, एवं हिन्दन नदी के प्रदूषित जल से होने वाली बीमारियों एवं मृत्यु को चिन्हित करने के लिए एक माइक्रोप्लान बनाकर उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

इस संबंध में दिनांक- 5.07.2020 से प्रदेश में कोविड-19 सर्वे चल रहा है, तथा घर-घर जाकर इसमें कोमोरविडिटी वाले मरीजों जैसे सुगर, ब्लडप्रेसर, कैंसर रोगियों को भी चिन्हित किया जाना है तथा सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि इसके साथ कैंसर मरीजों को चिन्हित कर दिनांक-15.07.2020 तक सर्वे पूर्ण किया जायेगा एवं उसकी संकलित रिपोर्ट दिनांक-25.07.2020 तक उपलब्ध हो सकेगी।

संलग्नक-यथोपरि

भवदीय

निदेशक(स्वास्थ्य)

पत्रांक:-निदे0(स्वा0)/कैम्प/2020/776-77

तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उ0प्र0 शासन।
- 2- स्टाफ ऑफिसर, महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0 लखनऊ।

निदेशक(स्वास्थ्य)

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य,
उ०प्र०।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी,
बागपत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, गाजियाबाद, जी०बी० नगर, कानपुर नगर एवं कानपुर
देहात, उ०प्र०।

पत्रांक— 9फ/निदे०स्वा० कैम्प/2020-21/767

दिनांक— 9/07/2020

विषय— ओ०ए० सं० 985, 986 एवं 231 द्वारा माननीय एन०जी०टी० न्यायालय के आदेशों के अनुपालन के
सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक, आपको आदेशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में जनपद के आच्छादित
क्षेत्रों में दस्तक अभियान के साथ पोल्यूटिड वाटर से होने वाली बीमारियों का सर्वे कराते हुये रोगियों का
उपचार कराना सुनिश्चित करें, जोकि माननीय एन०जी०टी० न्यायालय द्वारा वांछित है।

अतः आपसे अपेक्षित है कि आप उक्त की संकलित सूचना महानिदेशालय को उपलब्ध कराना
सुनिश्चित करें, जिससे कि उक्त सूचना माननीय एन०जी०टी० न्यायालय को उपलब्ध कराई जा सके।

भवदीया,



(डा० मधु सक्सेना)
निदेशक, स्वास्थ्य

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. स्टॉफ आफिसर, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ०प्र०।

2. स्थायी चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उ०प्र० शासन।

(डा० मधु सक्सेना)
निदेशक, स्वास्थ्य

Meeting of Oversight Committee, NGT UP Lucknow
scheduled on 10.07.2020 at 11 a.m through VC

Inbox

oversight committee <oversightcommitteeg@gmail.com> Jul 8, 8:18 PM
(16 hours ago)
to mdupjn, psecup.urbandev, secud18, swmsbmup, psrd.up, secretaryrd95, mk.s
ingh65, egov-mowr, secy-
mowr, psecup.health, me, ms, cpcb.lucknow, svsrathore, acp_in, memberoscngt,
Pragya, DHANANJAY, urvashisharma33, namitag09, rajesh.gangal

Respected Sir(s),

As directed, meeting of Oversight Committee, NGT UP Lucknow will be held on 10.07.2020 (Friday) at 11-00 a.m through video-conferencing to discuss the points in compliance with the orders of Hon NGT dt 28.02.2020 passed in OA, No. 231/2014 in re: Doaba Paryavaran Samiti Vs. State of U.P & Ors. relating to action against remedial measures for the industrial or other pollution in Kali Nadi, Krishna and Hindon Rivers resulting in diseases and deaths of inhabitants of the area. as per Agenda/Points of discussion attached herewith. You are requested to participate in the meeting on the scheduled date and time as noted above.

The officers participating in the meeting are requested to kindly inform/communicate mobile numbers to Mr Rajesh Kumar Gangal of NIC (Mob No.9412733668) to include them in WhatsApp group OSC NGT DEPT External, if not included earlier, so as to provide them necessary link for participation in the meeting.

Regards

L.N.Soni
PPS to Hon'ble Chairman
Oversight Committee
NGT, UP, Lucknow.

VS (VP) / Mr. T
Inform Mr. Shripa, Nodal Officer
& VS (Section 7)
9/7/20
श्री. नि. सोनी
अध्यापक, पर्यावरण संरक्षण विभाग
एन.जी.टी., एन.पी., लखनऊ

CMD - SRE
Shanki
Bagpat
GZB
JBNagar
Budandshahar

Points of Discussion regarding O.A.231 of 2014
[Doaba Paryavaran Samiti vs. State of UP. & Ors]

- 1) What has been the progress in ensuring piped water supply in 148 villages of the area? Specify the number of villages wherein the water connection has been provided and what temporary arrangement has been made in other villages?
- 2) What is the status of DPR for piped water supply in village Biral, Baghpat?
- 3) Any micro plan made for identifying patients in the entire stretch and figuring out the causes of ailments like skin disease, jaundice, cancer etc.?
- 4) How many drains are still untapped in the region? If untapped, then has any interim measure taken place?
- 5) What is the provision of imposing EC on untapped drains? Has any such action taken till date in this region?
- 6) It was directed to immediately start bioremediation of Saharanpur and Muzaffarnagar drains for the treatment of sewage gap in river Hindon and UPPCB to carry out monitoring to ascertain effectiveness of bio-remediation within 30 days. What has been the progress so far?
- 7) In the meeting dated 13.05.2020, U.P. Jal Nigam informed that tenders have been finalised for STP in Muzaffarnagar and Budhana and within 24 months they aim to complete the work. In case of Saharanpur, DPR has been submitted and approval from NMCG is awaited. What is the progress so far?
- 8) The issue of STPs is lingering on from last many days, any action taken against the erring officers?
- 9) How much EC has been imposed and realised till date from the defaulting units in the area?

all cmo

send microplan urgently
or do survey with covid survey
and submit Report

Jan
10/7/2020



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या 4075/सी-3/जल (एस0टी0पी0)-421/मु0नगर/2020

दिनांक 12-2-20

सेवा में

अधिसारी अधिकारी,
मै0 नगर पालिका परिषद कांघला,
जनपद-शामली।

पंजीकृत

विषय:- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ लेने का कष्ट करें। मै0 नगर पालिका परिषद-कांघला, जनपद-शामली को बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच 34832/सी-3/सा0-140/एस0टी0पी0/निर्देश/2019, दिनांक 10.04.2019 के माध्यम से अधिसारी अधिकारी, नगर पालिका परिषद कांघला, जनपद-शामली को निर्देशित किया गया था कि नगर पालिका परिषद कांघला, जनपद-शामली से जनित घरेलू जल-मल के शोधन हेतु समुचित क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना हेतु प्रस्ताव/योजना व समयबद्ध कार्यक्रम तैयार कर प्रेषित किया जाए। नगर पालिका परिषद कांघला, जनपद-शामली द्वारा 16.12.2019 तक कोई प्रस्ताव/योजना व समयबद्ध कार्यक्रम प्रेषित नहीं किया गया है। नगर पालिका परिषद कांघला, जनपद-शामली से जनित अशुद्धिकृत घरेलू जल-मल का निस्तारण ड्रेन के माध्यम से कृष्णी नदी में होता है, जो अन्ततः हिण्डन नदी में मिलती है, जिसके कारण हिण्डन नदी की जल गुणवत्ता विपरीत रूप से प्रभावित हो रही है। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा नगर पालिका परिषद कांघला, जनपद-शामली के विरुद्ध दिनांक 10.04.2019 को आधार तिथि मानते हुए दिनांक 16.12.2019 तक की अवधि अर्थात् कुल 250 दिनों की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में रु0-25,00,000/- का अर्धदण्ड अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों के अनुक्रम में सी0पी0सी0बी0 द्वारा की गयी मैथाडोलॉजी के अनुसार पूर्व निर्गत निर्देश दिनांक 10.04.2019 को आधार तिथि मानते हुए दिनांक 16.12.2019 के मध्य अर्थात् कुल 250 दिनों के पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन मानते हुए नगर पालिका परिषद कांघला, जनपद-शामली के विरुद्ध रु0-10,000/- प्रतिदिन की दर से कुल रु0 25,00,000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अर्धदण्ड अधिरोपित कर उक्त की वसूली की जाए।

उपरोक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु निर्गत कारण बताओ नोटिस के संबंध में प्रत्युत्तर/स्पष्टीकरण 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में जारी कारण बताओ नोटिस के निर्देशों की पुष्टि कर वर्णित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति उद्योग पर अधिरोपित कर दी जाएगी।

भवदीय,

(एन0के0 चौहान)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3)

प्रतिलिपि-क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त के संबंध में इकाई का पुनः निरीक्षण कर आख्या स्पष्ट संस्तुति सहित प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3)

AKR



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या 447570 /सी-3/जल (एस0टी0पी0)-424/मु0नगर/2020

दिनांक 12-2-2019

सेवा में,

अधिशामी अधिकारी,
मै0 नगर पंचायत बनत,
जनपद-शामली।

पंजीकृत

विषय- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ लेने का कष्ट करें। मै0 नगर पंचायत बनत, जनपद-शामली को बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच 34625/सी-3/सा0-140/एस0टी0पी0/निर्देश/2019, दिनांक 10.04.2019 के माध्यम से अधिशामी अधिकारी, नगर पंचायत बनत, जनपद-शामली को निर्देशित किया गया था कि नगर पंचायत बनत, जनपद-शामली से जनित घरेलू जल-मल के शोधन हेतु समुचित क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लाण्ट की स्थापना हेतु प्रस्ताव/योजना व समयबद्ध कार्यक्रम तैयार कर प्रेषित किया जाए। नगर पंचायत बनत, जनपद-शामली द्वारा 16.12.2019 तक कोई प्रस्ताव/योजना व समयबद्ध कार्यक्रम प्रेषित नहीं किया गया है। नगर पंचायत बनत, जनपद-शामली से जनित अशुद्धिकृत घरेलू जल-मल का निस्तारण ड्रेन के माध्यम से कृष्णी नदी में होता है, जो अन्ततः हिण्डन नदी में मिलती है, जिसके कारण हिण्डन नदी की जल गुणवत्ता विपरीत रूप से प्रभावित हो रही है। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा नगर पंचायत बनत, जनपद-शामली के विरुद्ध दिनांक 10.04.2019 को आधार तिथि मानते हुए दिनांक 16.12.2019 तक की अवधि अर्थात् कुल 250 दिनों की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में ₹0-25,00,000/- का अर्धदण्ड अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में राक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों के अनुक्रम में सी0पी0सी0बी0 द्वारा की गयी मैथाडोलॉजी के अनुसार पूर्व निर्गत निर्देश दिनांक 10.04.2019 को आधार तिथि मानते हुए दिनांक 16.12.2019 के मध्य अर्थात् कुल 250 दिनों के पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन मानते हुए नगर पंचायत बनत, जनपद-शामली के विरुद्ध ₹0-10,000/- प्रतिदिन की दर से कुल ₹0 25,00,000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अर्धदण्ड अधिरोपित कर उक्त की वसूली की जाए।

उपरोक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु निर्गत कारण बताओ नोटिस के संबंध में प्रत्युत्तर/स्पटीकरण 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में जारी कारण बताओ नोटिस के निर्देशों की पुष्टि कर वर्णित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति उद्योग पर अधिरोपित कर दी जाएगी।

भवदीय,

(एन0के0 चौहान)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3)

प्रतिलिपि-क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त के संबंध में इकाई का पुनः निरीक्षण कर आस्था स्पष्ट संस्तुति सहित प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3)



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या U/559 /सी-3/जल (एसओटीपीओ)-425/मु0नगर/2020

दिनांक 12-2-20

सेवा में,
अधिकाारी, मु0 नगर पंचायत गढ़ीपुख्ता,
जनपद-शामली।

पंजीकृत

विषय- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें। मु0 नगर पंचायत गढ़ीपुख्ता, जनपद-शामली को बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच 34626/सी-3/सा0-140/एसओटीपीओ/निर्देश/2019, दिनांक 10.04.2019 के माध्यम से अधिकाारी, नगर पंचायत गढ़ीपुख्ता, जनपद-शामली को निर्देशित किया गया था कि नगर पंचायत गढ़ीपुख्ता, जनपद-शामली से जनित घरेलू जल-मल के शोधन हेतु समुचित क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लाण्ट की स्थापना हेतु प्रस्ताव/योजना व समयबद्ध कार्यक्रम तैयार कर प्रेषित किया जाए। नगर पंचायत गढ़ीपुख्ता, जनपद-शामली द्वारा 16.12.2019 तक कोई प्रस्ताव/योजना व समयबद्ध कार्यक्रम प्रेषित नहीं किया गया है। नगर पंचायत गढ़ीपुख्ता, जनपद-शामली से जनित अशुद्धिकृत घरेलू जल-मल का निस्तारण ड्रेन के माध्यम से कृष्णी नदी में होता है, जो अन्ततः हिण्डन नदी में मिलती है, जिसके कारण हिण्डन नदी की जल गुणवत्ता विपरीत रूप से प्रभावित हो रही है। क्षेत्रीय अधिकाारी द्वारा नगर पंचायत गढ़ीपुख्ता, जनपद-शामली के विरुद्ध दिनांक 10.04.2019 को आधार तिथि मानते हुए दिनांक 16.12.2019 तक की अवधि अर्थात् कुल 250 दिनों की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में रु0-25,00,000/- का अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में सक्षम अधिकाारी के अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों के अनुक्रम में सी0पी0सी0बी0 द्वारा की गयी मैथाडोलॉजी के अनुसार पूर्व निर्गत निर्देश दिनांक 10.04.2019 को आधार तिथि मानते हुए दिनांक 16.12.2019 के मध्य अर्थात् कुल 250 दिनों के पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन मानते हुए नगर पंचायत गढ़ीपुख्ता, जनपद-शामली के विरुद्ध रु0-10,000/- प्रतिदिन की दर से कुल रु0 25,00,000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अर्थदण्ड अधिरोपित कर उक्त की वसूली की जाए।

उपरोक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु निर्गत कारण बताओ नोटिस के संबंध में प्रत्युत्तर/स्पटीकरण 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में जारी कारण बताओ नोटिस के निर्देशों की पुष्टि कर वर्णित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति उद्योग पर अधिरोपित कर दी जाएगी।

भवदीय,

(एन0के0 चौहान)
मुख्य पर्यावरण अधिकाारी (वृत्त-3)

प्रतिलिपि-क्षेत्रीय अधिकाारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त के संबंध में इकाई का पुनः निरीक्षण कर आख्या स्पष्ट संस्तुति सहित प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकाारी (वृत्त-3)



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या 147568 सी-3/जल (एस0टी0पी0)-414/मु0नगर/2020

दिनांक 12-2-20

सेवा में

अधिसाषी अधिकारी,
मै0 नगर पंचायत बुढ़ाना,
जनपद-मुजफ्फरनगर।

पंजीकृत

विषय:- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें। मै0 नगर पंचायत बुढ़ाना, जनपद-मुजफ्फरनगर को बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच 34586/सी-3/सा0-140/एस0टी0पी0/निर्देश/2019, दिनांक 09.04.2019 के माध्यम से अधिसाषी अधिकारी, नगर पंचायत बुढ़ाना, जनपद-मुजफ्फरनगर को निर्देशित किया गया था कि नगर पंचायत बुढ़ाना, जनपद-मुजफ्फरनगर से जनित घरेलू जल-मल के शोधन हेतु समुचित क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लाण्ट की स्थापना हेतु प्रस्ताव/योजना व समयबद्ध कार्यक्रम तैयार कर प्रेषित किया जाए। नगर पंचायत बुढ़ाना, जनपद-मुजफ्फरनगर द्वारा 16.12.2019 तक कोई प्रस्ताव/योजना व समयबद्ध कार्यक्रम प्रेषित नहीं किया गया है। नगर पंचायत बुढ़ाना, जनपद-मुजफ्फरनगर से जनित अशुद्धिकृत घरेलू जल-मल का निस्तारण ड्रेन के माध्यम से हिण्डन नदी में होता है, जिससे हिण्डन नदी की जल गुणवत्ता विपरीत रूप से प्रभावित हो रही है। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा नगर पंचायत बुढ़ाना, जनपद-मुजफ्फरनगर के विरुद्ध दिनांक 09.04.2019 को आधार तिथि मानते हुए दिनांक 16.12.2019 तक की अवधि अर्थात् कुल 251 दिनों की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में रू0-25,10,000/- का अर्धदण्ड अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में सक्षम अधिकारी के अनुनोदनोपरान्त निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों के अनुक्रम में सी0पी0सी0वी0 द्वारा की गयी मैथाइलॉजी के अनुसार पूर्व निर्गत निर्देश दिनांक 09.04.2019 को आधार तिथि मानते हुए दिनांक 16.12.2019 के मध्य अर्थात् कुल 251 दिनों के पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन मानते हुए नगर पंचायत बुढ़ाना, जनपद-मुजफ्फरनगर के विरुद्ध रू0-10,000/- प्रतिदिन की दर से कुल रू0 25,10,000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अर्धदण्ड अधिरोपित कर उक्त की वसूली की जाए।

उपरोक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु निर्गत कारण बताओ नोटिस के संबंध में प्रत्युत्तर/रपटीकरण 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करें अन्वथा की स्थिति में जारी कारण बताओ नोटिस के निर्देशों की पुष्टि कर वर्णित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति उद्योग पर अधिरोपित कर दी जाएगी।

भवदीय,

(एन0के0 चौहान)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3)

प्रतिलिपि-क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त के संबंध में इकाई का पुनः निरीक्षण कर आख्या स्पष्ट संस्तुति सहित प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3)



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या 1/47557 / सी-3/जल (एस0टी0पी0)-422/मु0नगर/2020

दिनांक 12.12.2019

सेवा में,

अधिशामी अधिकारी,
मै0 नगर पंचायत थानाभवन,
जनपद-शामली।

पंजीकृत

विषय:- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित विन्ये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें। मै0 नगर पंचायत थानाभवन, जनपद-शामली को बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच 34623/सी-3/सा0-140/एस0टी0पी0/निर्देश/2019, दिनांक 10.04.2019 के माध्यम से अधिशामी अधिकारी, नगर पंचायत थानाभवन, जनपद-शामली को निर्देशित किया गया था कि नगर पंचायत थानाभवन, जनपद-शामली से जनित घरेलू जल-मल के शोधन हेतु समुचित क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लाण्ट की स्थापना हेतु प्रस्ताव/योजना व समयबद्ध कार्यक्रम तैयार कर प्रेषित किया जाए। नगर पंचायत थानाभवन, जनपद-शामली द्वारा 16.12.2019 तक कोई प्रस्ताव/योजना व समयबद्ध कार्यक्रम प्रेषित नहीं किया गया है। नगर पंचायत थानाभवन, जनपद-शामली से जनित अशुद्धिकृत घरेलू जल-मल का निस्तारण ड्रेन के माध्यम से कृष्णी नदी में होता है, जो अन्ततः हिण्डन नदी में मिलती है, जिसके कारण हिण्डन नदी की जल गुणवत्ता विपरीत रूप से प्रभावित हो रही है। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा नगर पंचायत थानाभवन, जनपद-शामली के विरुद्ध दिनांक 10.04.2019 को आधार तिथि मानते हुए दिनांक 16.12.2019 तक की अवधि अर्थात् कुल 250 दिनों की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में रू0-25,00,000/- का अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में सहाम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों के अनुक्रम में सी0पी0सी0टी0 द्वारा की गयी मैथाडोलॉजी के अनुसार पूर्व निर्गत निर्देश दिनांक 10.04.2019 को आधार तिथि मानते हुए दिनांक 16.12.2019 के मध्य अर्थात् कुल 250 दिनों के पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन मानते हुए नगर पंचायत थानाभवन, जनपद-शामली के विरुद्ध रू0-10,000/- प्रतिदिन की दर से कुल रू0 25,00,000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अर्थदण्ड अधिरोपित कर उक्त की वसूली की जाए।

उपरोक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु निर्गत कारण बताओ नोटिस के संबन्ध में प्रत्युत्तर/स्पटीकरण 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करें अथवा की स्थिति में जारी कारण बताओ नोटिस के निर्देशों की पुष्टि कर वर्णित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति उद्योग पर अधिरोपित कर दी जाएगी।

भवदीय,

(एन0के0 चौहान)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3)

प्रतिलिपि-क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त के संबन्ध में इकाई का पुनः निरीक्षण कर आख्या स्पष्ट संस्तुति सहित प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3)

१९
२८

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

सदरमं संख्या १३५७/२ /सी-३/एम एस. डब्ल्यू-१६१/निर्देश/मु०नगर/२०१९ दिनांक १३-५-१९

सेवा में

अधिसायी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर,
जनपद-मुजफ्फरनगर।

पंजीकृत

यह कि मै० नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर, जनपद-मुजफ्फरनगर द्वारा जनित घरेलू जलमल के निस्तारण हेतु एस०टी०पी० की स्थापना की गयी है। जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम-१९७४ की धारा-४७ के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मै० नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर, जनपद-मुजफ्फरनगर द्वारा स्थापित एस०टी०पी० का स्थल निरीक्षण दिनांक १८.०३.२०१९ को क्षेत्रीय कार्यालय, मुजफ्फरनगर के अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय प्राइमरी ऑक्सीडेशन पाण्ड P₁ व P₂ व सेकेण्डरी ऑक्सीडेशन पाण्ड S₁ व S₂ जल से भरे पाये गये तथा फाइनल आउटलेट से उत्प्रवाह निस्तारित नहीं हो रहा था। एस०टी०पी० पर स्थापित बार स्क्रीन नतिग्रस्त पाई गई। एस०टी०पी० में फीडिंग हेतु स्थापित मुख्य पम्पिंग स्टेशन (दक्षिणी कृष्णापुरी) में स्थापित पम्प संचालित नहीं पाया गया, जिससे एस०टी०पी० के इनलेट में उत्प्रवाह प्रवाहित नहीं हो रहा था। पम्प नं०-१ एवं पम्प नं०-२ से बाईपास ड्रेन के द्वारा घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण बिना शुद्धिकृत किये काली नदी परिधम में निस्तारित होता पाया गया, जिससे काली नदी परिधमी की जलगुणता कुप्रभावित होना स्वाभाविक है। पम्प नं०-१ एवं पम्प नं०-२ द्वारा बाईपास ड्रेन के माध्यम से निस्तारित हो रहे उत्प्रवाह के एकत्रित नमूनों की विश्लेषण आख्या में प्रदूषित प्रचालकों में कमरा ४०३००डी० की मात्रा ४९० मिग्रा०/ली० व ४६० मिग्रा०/ली०, सी०ओ०डी० की मात्रा १४९६ मिग्रा०/ली० व १४४० मिग्रा०/ली० एवं कुल निलम्बित ठोस की मात्रा १०२३ मिग्रा०/ली० व ९७४ मिग्रा०/ली० पाई गई है जोकि निर्धारित मानकों से अधिक है। पूर्व में भी क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दिनांक ३०.०१.२०१९ को एस०टी०पी० का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के समय एस०टी०पी० संचालित नहीं पाये जाने के सम्बन्ध में क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र दिनांक ३१.०१.२०१९ के माध्यम से अधिसायी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, मुजफ्फरनगर, को एस०टी०पी० के रखरखाव एवं संचालन के संबंध में निर्देशित किया गया था, जिसकी अनुपालन आख्या भी बोर्ड को प्रेषित नहीं की गयी है।

यह कि इकाई द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, १९७४ यथासंशोधित के प्राविधानों का अनुपालन न करते हुए मै० नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर, जनपद-मुजफ्फरनगर का घरेलू जलमल बिना शोधन के काली नदी परिधमी में निस्तारित किया जा रहा है, जिससे आस-पास के पर्यावरण एवं जन मानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जोकि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, १९७४ यथासंशोधित में निहित आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है तथा धारा-४४ के अन्तर्गत एक दण्डनीय अपराध है।

अतः जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, १९७४ यथासंशोधित की धारा ३३ (ए) के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन मै० नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर, जनपद-मुजफ्फरनगर को सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित निर्देश तत्काल प्रभाव से जारी किया जाते हैं :-

१. यह कि मै० नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर, जनपद-मुजफ्फरनगर में स्थापित बाईपास ड्रेन पम्प नं०-१ एवं बाईपास ड्रेन पम्प नं०-२ को तत्काल प्रभाव से बन्द कर घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण एस०टी०पी० के माध्यम से सुनिश्चित किया जाए।
२. यह कि मै० नगरपालिका परिषद, मुजफ्फरनगर द्वारा एस०टी०पी० पर स्थापित बार स्क्रीन का तत्काल सुदृढीकरण कर एस०टी०पी० का संचालन एवं रखरखाव सुचारु ढंग से इस प्रकार सुनिश्चित किया जाए कि शुद्धिकृत उत्प्रवाह में प्रचालकों की मात्रा निर्धारित मानकों के अनुरूप रहे।
३. यह कि मै० नगर पालिका परिषद, मुजफ्फरनगर द्वारा घरेलू जलमल के निस्तारण हेतु जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम १९७४ यथा संशोधित की धारा २५/२६ के अन्तर्गत जल सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही सीवेज का निस्तारण किया जाय।

2/-

टी०सी०-१२ वी, तिमूति खण्ड, गौसती नगर, लखनऊ-२२६०१०

T.C-12 V, Timuti Khund, Gausi Nagar, Lucknow-226010

ई-मेल-info@uppcb.com

e-mail: info@uppcb.com

वेब साइट-www.uppcb.com

Web site www.uppcb.com


उपरोक्त के अतिरिक्त मै0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-200/2014 एम0सी0मेहता बनान् यूनियन ऑफ इण्डिया .य अन्व में पारित आदेश दिनांक 13.07.2017 के अनुक्रम में काशी नदी पश्चिमी की जलगुणता कुप्रभावित करने के कारण सक्षम स्तर से प्राप्त अनुमोदनानुसार मै0 नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर, जनपद-मुजफ्फरनगर पर ₹60-50,000/- का पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड-LUBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करे।

(एन0कै0 चौहान)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-3)

प्रतिलिपि-निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि मै0 नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर, जनपद-मुजफ्फरनगर को दिये गये उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन हेतु सतत अनुश्रवण रखते हुए अनुपालन आख्या प्रेषित करे।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-3)



क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, MUZAFFARNAGAR
कमल सिनेमा बिल्डिंग, रेलवे स्टेशन रोड, मुजफ्फरनगर-251001

संदर्भ सं०
Ref. No. 1363/G-49/STP/Shamli/2019

दिनांक
Dated 16-12-19.

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3)
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ।

विषय:—नगर पंचायत गढ़ीपुख्ता, जनपद शामली द्वारा सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट स्थापित न किये जाने के सम्बन्ध में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु संस्तुति।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच34626/सी-3/सा०-140/एस०टी०पी०/निर्देश/2019 दिनांक 10.04.2019 के माध्यम से अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत गढ़ीपुख्ता, जनपद शामली को निर्देशित किया गया था कि नगर पंचायत गढ़ीपुख्ता से जनित घरेलू जल-मल के शोधन हेतु समुचित क्षमता का सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट की स्थापना हेतु प्रस्ताव/योजना व समयबद्ध कार्यक्रम तैयार कर प्रेषित किया जाये। नगर पंचायत गढ़ीपुख्ता द्वारा आज दिनांक 16.12.2019 तक कोई प्रस्ताव/योजना व समयबद्ध कार्यक्रम प्रेषित नहीं की गयी है। उक्त नगर पंचायत से जनित अशुद्धिकृत घरेलू जल-मल का निस्तारण ड्रेन के माध्यम से सीधे कृष्णी नदी में होता है, जो अन्ततः हिण्डन नदी में मिलती है, जिससे हिण्डन नदी की जल गुणवत्ता विपरीत रूप से प्रभावित हो रही है। इस सम्बन्ध में कार्यालय की आख्या संलग्न है।

अतः उपरोक्त के परिपेक्ष्य में नगर पंचायत गढ़ीपुख्ता, जनपद शामली के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में आख्यानुसार अर्थदण्ड आरोपित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

भवदीय,


(विवेक राय)

क्षेत्रीय अधिकारी



नगर पंचायत गढ़ीपुख्ता, जनपद शामली द्वारा सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट स्थापित न किये जाने के सम्बन्ध में आख्या।

उपरोक्त नगर पंचायत गढ़ीपुख्ता, जनपद शामली को बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच34626/सी-3/सा0-140/एस0टी0पी0/निर्देश/2019 दिनांक 10.04.2019 के माध्यम से अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत गढ़ीपुख्ता, जनपद शामली को निर्देशित किया गया था कि नगर पंचायत गढ़ीपुख्ता से जनित घरेलू जल-मल के शोधन हेतु समुचित क्षमता का सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट की स्थापना हेतु प्रस्ताव/योजना व समयबद्ध कार्यक्रम तैयार कर प्रेषित किया जाये। नगर पंचायत गढ़ीपुख्ता द्वारा आज दिनांक 16.12.2019 तक कोई प्रस्ताव/योजना व समयबद्ध कार्यक्रम प्रेषित नहीं की गयी है। नगर पंचायत गढ़ीपुख्ता से जनित अशुद्धिकृत घरेलू जल-मल का निस्तारण ड्रेन के माध्यम से कृष्णी नदी में होता है, जो अन्ततः हिण्डन नदी में मिलती है, जिसके कारण हिण्डन नदी की जल गुणवत्ता विपरीत रूप से प्रभावित हो रही है।

अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में नगर पंचायत, गढ़ीपुख्ता जनपद शामली के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाना उचित होगा। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक बी-31011/बीएमडब्लू/2019/डब्लूएमडी-1 दिनांक 08.02.2019 द्वारा जारी गाइडलाइन्स के अनुसार नगर पंचायत गढ़ीपुख्ता के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् है :-

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक बी-31011/बीएमडब्लू/2019/डब्लूएमडी-1 दिनांक 08.02.2019 के अनुसार पर्यावरणीय क्षति = $PI \times N \times R \times S \times LF$

PI = Pollution Index of Industrial Sector - पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन्स के अनुसार लाल श्रेणी के उद्योगों के लिए 60 से 100, नारंगी श्रेणी के उद्योगों हेतु 41 से 59 एवं हरी श्रेणी के उद्योगों हेतु 21 से 40 रखी गयी है तथा गणना हेतु औसत Pollution Index क्रमशः 80, 50, 30 का सुझाव दिया गया है। घरेलू जल-मल के शोधन हेतु एस0टी0पी0 लाल श्रेणी के अन्तर्गत आच्छादित होता है। अतः Environmental Compensation हेतु PI का मान 80 रखा जाना उचित होगा।

N = Number of days of violation took place - नगर पंचायत गढ़ीपुख्ता को एस0टी0पी0 स्थापना के सम्बन्ध में बोर्ड मुख्यालय द्वारा दिनांक 10.04.2019 में पत्र प्रेषित किया गया था, परन्तु दिये गये निर्देशों का अनुपालन आज दिनांक 16.12.2019 तक नहीं किया गया है। अतः दिनांक 10.04.2019 को आधार तिथि मानते हुए दिनांक 16.12.2019 तक कुल 250 दिनों हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाना उचित है। अतः N का मान 250 होगा।

R = R is a factor in Rupees for Penalty - केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा Environmental Compensation हेतु जारी गाइडलाइन्स के अनुसार R का मान न्यूनतम 100 एवं अधिकतम 500 है तथा औसत 250 का सुझाव दिया गया है। तदनुसार गणना शीट में R का मान 250 लिया जाना उचित होगा।


S = Factor for scale of operation = उक्त नगर पंचायत लघु श्रेणी के अन्तर्गत आती है।
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा Environmental Compensation हेतु जारी गाइडलाइन्स के
अनुसार लघु श्रेणी के उद्योगों हेतु S का मान 0.5 लिया जाना उचित होगा।


LF = Location factor = उक्त नगर पंचायत की आबादी 10 लाख के अन्दर आती है।
अतः LF का मान 1 लिया जाना उचित है।


उपरोक्तानुसार नगर पंचायत गढ़ीपुख्ता, जनपद शामली के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की
गणना निम्न प्रकार है :-


$$\begin{aligned} EC &= P \times N \times R \times S \times LF \\ &= 80 \times 250 \times 250 \times 0.5 \times 1 \\ &= 25,00,000/- \end{aligned}$$


अतः गणना के अनुसार नगर पंचायत गढ़ीपुख्ता, जनपद शामली के विरुद्ध रू०
25,00,000/- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किये जाने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय
प्रेषित किये जाने हेतु आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत
है।


(सर्वेश कुमार)
प्रयो०सहा०


(विपुल कुमार)
अवर अभियन्ता


(दीपा अरोरा)
सहा०वैज्ञा०अधि०


(डा० डी०डी० पाण्डेय)
सहा०वैज्ञा०अधि०

क्षेत्रीय अधिकारी




दूरभाष एवं फ़ैक्स : 0131-2436493

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, MUZAFFARNAGAR
कमल सिनेमा बिल्डिंग, रेलवे स्टेशन रोड, मुजफ्फरनगर-251001

संदर्भ सं०
Ref. No.

1362/G-49/STP/shamli/2019

दिनांक

Dated 16/12/19.

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3)
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ।

विषय:—नगर पंचायत बनत, जनपद शामली द्वारा सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट स्थापित न किये जाने के सम्बन्ध में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु संस्तुति।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच34625/सी-3/सा०-140/एस०टी०पी०/निर्देश/2019 दिनांक 10.04.2019 के माध्यम से अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत बनत, जनपद शामली को निर्देशित किया गया था कि नगर पंचायत बनत से जनित घरेलू जल-मल के शोधन हेतु समुचित क्षमता का सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट की स्थापना हेतु प्रस्ताव/योजना व समयबद्ध कार्यक्रम तैयार कर प्रेषित किया जाये। नगर पंचायत बनत द्वारा आज दिनांक 16.12.2019 तक कोई प्रस्ताव/योजना व समयबद्ध कार्यक्रम प्रेषित नहीं की गयी है। उक्त नगर पंचायत से जनित अशुद्धिकृत घरेलू जल-मल का निस्तारण ड्रेन के माध्यम से सीधे कृष्णी नदी में होता है, जो अन्ततः हिण्डन नदी में मिलती है, जिससे हिण्डन नदी की जल गुणवत्ता विपरीत रूप से प्रभावित हो रही है। इस सम्बन्ध में कार्यालय की आख्या संलग्न है।

अतः उपरोक्त के परिपेक्ष्य में नगर पंचायत बनत, जनपद शामली के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में आख्यानुसार अर्थदण्ड आरोपित किये जाने की संस्तुति की जाती है।
संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(विवेक राय)

क्षेत्रीय अधिकारी

नगर पंचायत बनत, जनपद शामली द्वारा सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट स्थापित न किये जाने के सम्बन्ध में आख्या।

उपरोक्त नगर पंचायत बनत, जनपद शामली को बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच34625/सी-3/सा0-140/एस0टी0पी0/निर्देश/2019 दिनांक 10.04.2019 के माध्यम से अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत बनत, जनपद शामली को निर्देशित किया गया था कि नगर पंचायत बनत से जनित घरेलू जल-मल के शोधन हेतु समुचित क्षमता का सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट की स्थापना हेतु प्रस्ताव/योजना व समयबद्ध कार्यक्रम तैयार कर प्रेषित किया जाये। नगर पंचायत बनत द्वारा आज दिनांक 16.12.2019 तक कोई प्रस्ताव/योजना व समयबद्ध कार्यक्रम प्रेषित नहीं की गयी है। नगर पंचायत बनत से जनित अशुद्धिकृत घरेलू जल-मल का निस्तारण ड्रेन के माध्यम से कृष्णी नदी में होता है, जो अन्ततः हिण्डन नदी में मिलती है, जिसके कारण हिण्डन नदी की जल गुणवत्ता विपरीत रूप से प्रभावित हो रही है।

अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में नगर पंचायत, बनत जनपद शामली के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाना उचित होगा। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक बी-31011/बीएमडब्लू/2019/डब्लूएमडी-1 दिनांक 08.02.2019 द्वारा जारी गाइडलाइन्स के अनुसार नगर पंचायत बनत के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् है :-

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक बी-31011/बीएमडब्लू/2019/डब्लूएमडी-1 दिनांक 08.02.2019 के अनुसार पर्यावरणीय क्षति = $PI \times N \times R \times S \times LF$

PI = Pollution Index of Industrial Sector - पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन्स के अनुसार लाल श्रेणी के उद्योगों के लिए 60 से 100, नारंगी श्रेणी के उद्योगों हेतु 41 से 59 एवं हरी श्रेणी के उद्योगों हेतु 21 से 40 रखी गयी है तथा गणना हेतु औसत Pollution Index क्रमशः 80, 50, 30 का सुझाव दिया गया है। घरेलू जल-मल के शोधन हेतु एस0टी0पी0 लाल श्रेणी के अन्तर्गत आच्छादित होता है। अतः Environmental Compensation हेतु PI का मान 80 रखा जाना उचित होगा।

N = Number of days of violation took place - नगर पंचायत बनत को एस0टी0पी0 स्थापना के सम्बन्ध में बोर्ड मुख्यालय द्वारा दिनांक 10.04.2019 में पत्र प्रेषित किया गया था, परन्तु दिये गये निर्देशों का अनुपालन आज दिनांक 16.12.2019 तक नहीं किया गया है। अतः दिनांक 10.04.2019 को आधार तिथि मानते हुए दिनांक 16.12.2019 तक कुल 250 दिनों हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाना उचित है। अतः N का मान 250 होगा।

R = R is a factor in Rupees for Penalty - केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा Environmental Compensation हेतु जारी गाइडलाइन्स के अनुसार R का मान न्यूनतम 100 एवं अधिकतम 500 है तथा औसत 250 का सुझाव दिया गया है। तदनुसार गणना शीट में R का मान 250 लिया जाना उचित होगा।

S = Factor for scale of operation = उक्त नगर पंचायत लघु श्रेणी के अन्तर्गत आती है।
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा Environmental Compensation हेतु जारी गाइडलाइन्स के
अनुसार लघु श्रेणी के उद्योगों हेतु S का मान 0.5 लिया जाना उचित होगा।


LF = Location factor = उक्त नगर पंचायत की आबादी 10 लाख के अन्दर आती है।
अतः LF का मान 1 लिया जाना उचित है।


उपरोक्तानुसार नगर पंचायत बनत, जनपद शामिली के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की
गणना निम्न प्रकार है :-

$$\begin{aligned} EC &= PI \times N \times R \times S \times LF \\ &= 80 \times 250 \times 250 \times 0.5 \times 1 \\ &= 25,00,000/- \end{aligned}$$


अतः गणना के अनुसार नगर पंचायत बनत, जनपद शामिली के विरुद्ध रू० 25,00,000/-
पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किये जाने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय प्रेषित किये जाने
हेतु आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


(सर्वेश कुमार)
प्रयो०सहा०


(विपुल कुमार)
अवर अभियन्ता


(दीपा अरोरा)
सहा०वैज्ञा०अधि०


(डा० डी०सी० पाण्डेय)
सहा०वैज्ञा०अधि०

क्षेत्रीय अधिकारी




क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, MUZAFFARNAGAR
कमल सिनेमा बिल्डिंग, रेलवे स्टेशन रोड, मुजफ्फरनगर-251001

संदर्भ सं०
Ref. No.

1361/G-49/STP/Shamli/2019

दिनांक

Dated 16-12-19.

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3)
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ।

विषय:—नगर पंचायत जलालाबाद, जनपद शामली द्वारा सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट स्थापित न किये जाने के सम्बन्ध में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु संस्तुति।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच34628/सी-3/सा०-140/एस०टी०पी०/निर्देश/2019 दिनांक 10.04.2019 के माध्यम से अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत जलालाबाद, जनपद शामली को निर्देशित किया गया था कि नगर पंचायत जलालाबाद से जनित घरेलू जल-मल के शोधन हेतु समुचित क्षमता का सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट की स्थापना हेतु प्रस्ताव/योजना व समयबद्ध कार्यक्रम तैयार कर प्रेषित किया जाये। नगर पंचायत जलालाबाद द्वारा आज दिनांक 16.12.2019 तक कोई प्रस्ताव/योजना व समयबद्ध कार्यक्रम प्रेषित नहीं की गयी है। उक्त नगर पंचायत से जनित अशुद्धिकृत घरेलू जल-मल का निस्तारण ड्रेन के माध्यम से सीधे कृष्णी नदी में होता है, जो अन्ततः हिण्डन नदी में मिलती है, जिससे हिण्डन नदी की जल गुणवत्ता विपरीत रूप से प्रभावित हो रही है। इस सम्बन्ध में कार्यालय की आख्या संलग्न है।

अतः उपरोक्त के परिपेक्ष्य में नगर पंचायत जलालाबाद, जनपद शामली के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में आख्यानुसार अर्थदण्ड आरोपित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(विवेक शाय)

क्षेत्रीय अधिकारी

नगर पंचायत जलालाबाद, जनपद शामली द्वारा सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट स्थापित न किये जाने के सम्बन्ध में आख्या।

उपरोक्त नगर पंचायत जलालाबाद, जनपद शामली को बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच34628/सी-3/सा0-140/एस0टी0पी0/निर्देश/2019 दिनांक 10.04.2019 के माध्यम से अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत जलालाबाद, जनपद शामली को निर्देशित किया गया था कि नगर पंचायत जलालाबाद से जनित घरेलू जल-मल के शोधन हेतु समुचित क्षमता का सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट की स्थापना हेतु प्रस्ताव/योजना व समयबद्ध कार्यक्रम तैयार कर प्रेषित किया जाये। नगर पंचायत जलालाबाद द्वारा आज दिनांक 16.12.2019 तक कोई प्रस्ताव/योजना व समयबद्ध कार्यक्रम प्रेषित नहीं की गयी है। नगर पंचायत जलालाबाद से जनित अशुद्धिकृत घरेलू जल-मल का निस्तारण ड्रेन के माध्यम से कृष्णी नदी में होता है, जो अन्ततः हिण्डन नदी में मिलती है, जिसके कारण हिण्डन नदी की जल गुणवत्ता विपरीत रूप से प्रभावित हो रही है।

अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में नगर पंचायत, जलालाबाद जनपद शामली के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाना उचित होगा। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक बी-31011/बीएमडब्लू/2019/डब्लूएमडी-1 दिनांक 08.02.2019 द्वारा जारी गाइडलाइन्स के अनुसार नगर पंचायत जलालाबाद के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् है :-

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक बी-31011/बीएमडब्लू/2019/डब्लूएमडी-1 दिनांक 08.02.2019 के अनुसार पर्यावरणीय क्षति = $PI \times N \times R \times S \times LF$

PI = Pollution Index of Industrial Sector - पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन्स के अनुसार लाल श्रेणी के उद्योगों के लिए 60 से 100, नारंगी श्रेणी के उद्योगों हेतु 41 से 59 एवं हरी श्रेणी के उद्योगों हेतु 21 से 40 रखी गयी है तथा गणना हेतु औसत Pollution Index क्रमशः 80, 50, 30 का सुझाव दिया गया है। घरेलू जल-मल के शोधन हेतु एस0टी0पी0 लाल श्रेणी के अन्तर्गत आच्छादित होता है। अतः Environmental Compensation हेतु PI का मान 80 रखा जाना उचित होगा।

N = Number of days of violation took place - नगर पंचायत जलालाबाद को एस0टी0पी0 स्थापना के सम्बन्ध में बोर्ड मुख्यालय द्वारा दिनांक 10.04.2019 में पत्र प्रेषित किया गया था, परन्तु दिये गये निर्देशों का अनुपालन आज दिनांक 16.12.2019 तक नहीं किया गया है। अतः दिनांक 10.04.2019 को आधार तिथि मानते हुए दिनांक 16.12.2019 तक कुल 250 दिनों हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाना उचित है। अतः N का मान 250 होगा।

R = R is a factor in Rupees for Penalty - केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा Environmental Compensation हेतु जारी गाइडलाइन्स के अनुसार R का मान न्यूनतम 100 एवं अधिकतम 500 है तथा औसत 250 का सुझाव दिया गया है। तदनुसार गणना शीट में R का मान 250 लिया जाना उचित होगा।


S = Factor for scale of operation = उक्त नगर पंचायत लघु श्रेणी के अन्तर्गत आती है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा Environmental Compensation हेतु जारी गाइडलाइन्स के अनुसार लघु श्रेणी के उद्योगों हेतु S का मान 0.5 लिया जाना उचित होगा।


LF = Location factor = उक्त नगर पंचायत की आबादी 10 लाख के अन्दर आती है। अतः LF का मान 1 लिया जाना उचित है।


उपरोक्तानुसार नगर पंचायत जलालाबाद, जनपद शामली के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्न प्रकार है :-


$$\begin{aligned} EC &= P \times N \times R \times S \times LF \\ &= 80 \times 250 \times 250 \times 0.5 \times 1 \\ &= 25,00,000/- \end{aligned}$$

अतः गणना के अनुसार नगर पंचायत जलालाबाद, जनपद शामली के विरुद्ध रु० 25,00,000/- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किये जाने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय प्रेषित किये जाने हेतु आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।



(सर्वेश कुमार)
प्रयो०सहा०


(विपुल कुमार)
अवर अभियन्ता


(दीपा अरोरा)
सहा०वैज्ञा०अधि०


(डा० डी०सी० पाण्डेय)
सहा०वैज्ञा०अधि०

~~क्षेत्रीय अधिकारी~~





दूरभाष एवं फ़ैक्स : 0131-2436493

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, MUZAFFARNAGAR
कमल सिनेमा बिल्डिंग, रेलवे स्टेशन रोड, मुजफ्फरनगर-251001

संदर्भ सं०
Ref. No. 1360/6-49/STP/shamli/2019

दिनांक
Dated 16.12.19.

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3)
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ।

विषय:—नगर पंचायत थानाभवन, जनपद शामली द्वारा सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट स्थापित न किये जाने के सम्बन्ध में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु संस्तुति।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच34623/सी-3/सा०-140/एस०टी०पी०/निर्देश/2019 दिनांक 10.04.2019 के माध्यम से अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत थानाभवन, जनपद शामली को निर्देशित किया गया था कि नगर पंचायत थानाभवन से जनित घरेलू जल-मल के शोधन हेतु समुचित क्षमता का सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट की स्थापना हेतु प्रस्ताव/योजना व समयबद्ध कार्यक्रम तैयार कर प्रेषित किया जाये। नगर पंचायत थानाभवन द्वारा आज दिनांक 16.12.2019 तक कोई प्रस्ताव/योजना व समयबद्ध कार्यक्रम प्रेषित नहीं की गयी है। उक्त नगर पंचायत से जनित अशुद्धिकृत घरेलू जल-मल का निस्तारण ड्रेन के माध्यम से सीधे कृष्णी नदी में होता है, जो अन्ततः हिण्डन नदी में मिलती है, जिससे हिण्डन नदी की जल गुणवत्ता विपरीत रूप से प्रभावित हो रही है। इस सम्बन्ध में कार्यालय की आख्या संलग्न है।

अतः उपरोक्त के परिपेक्ष्य में नगर पंचायत थानाभवन, जनपद शामली के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में आख्यानुसार अर्थदण्ड आरोपित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(विवेक राय)

क्षेत्रीय अधिकारी

नगर पंचायत थानाभवन, जनपद शामली द्वारा सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट स्थापित न किये जाने के सम्बन्ध में आख्या।

उपरोक्त नगर पंचायत थानाभवन, जनपद शामली को बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच34623/सी-3/सा0-140/एस0टी0पी0/निर्देश/2019 दिनांक 10.04.2019 के माध्यम से अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत थानाभवन, जनपद शामली को निर्देशित किया गया था कि नगर पंचायत थानाभवन से जनित घरेलू जल-मल के शोधन हेतु समुचित क्षमता का सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट की स्थापना हेतु प्रस्ताव/योजना व समयबद्ध कार्यक्रम तैयार कर प्रेषित किया जाये। नगर पंचायत थानाभवन द्वारा आज दिनांक 16.12.2019 तक कोई प्रस्ताव/योजना व समयबद्ध कार्यक्रम प्रेषित नहीं की गयी है। नगर पंचायत थानाभवन से जनित अशुद्धिकृत घरेलू जल-मल का निस्तारण ड्रेन के माध्यम से कृष्णी नदी में होता है, जो अन्ततः हिण्डन नदी में मिलती है, जिसके कारण हिण्डन नदी की जल गुणवत्ता विपरीत रूप से प्रभावित हो रही है।

अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में नगर पंचायत, थानाभवन जनपद शामली के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाना उचित होगा। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक बी-31011/बीएमडब्लू/2019/डब्लूएमडी-1 दिनांक 08.02.2019 द्वारा जारी गाइडलाइन्स के अनुसार नगर पंचायत थानाभवन के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् है :-

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक बी-31011/बीएमडब्लू/2019/डब्लूएमडी-1 दिनांक 08.02.2019 के अनुसार पर्यावरणीय क्षति = $PI \times N \times R \times S \times LF$

PI = Pollution Index of Industrial Sector - पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन्स के अनुसार लाल श्रेणी के उद्योगों के लिए 60 से 100, नारंगी श्रेणी के उद्योगों हेतु 41 से 59 एवं हरी श्रेणी के उद्योगों हेतु 21 से 40 रखी गयी है तथा गणना हेतु औसत Pollution Index क्रमशः 80, 50, 30 का सुझाव दिया गया है। घरेलू जल-मल के शोधन हेतु एस0टी0पी0 लाल श्रेणी के अन्तर्गत आच्छादित होता है। अतः Environmental Compensation हेतु PI का मान 80 रखा जाना उचित होगा।

N = Number of days of violation took place - नगर पंचायत थानाभवन को एस0टी0पी0 स्थापना के सम्बन्ध में बोर्ड मुख्यालय द्वारा दिनांक 10.04.2019 में पत्र प्रेषित किया गया था, परन्तु दिये गये निर्देशों का अनुपालन आज दिनांक 16.12.2019 तक नहीं किया गया है। अतः दिनांक 10.04.2019 को आधार तिथि मानते हुए दिनांक 16.12.2019 तक कुल 250 दिनों हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाना उचित है। अतः N का मान 250 होगा।

R = R is a factor in Rupees for Penalty - केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा Environmental Compensation हेतु जारी गाइडलाइन्स के अनुसार R का मान न्यूनतम 100 एवं अधिकतम 500 है तथा औसत 250 का सुझाव दिया गया है। तदनुसार गणना शीट में R का मान 250 लिया जाना उचित होगा।

S = Factor for scale of operation = उक्त नगर पंचायत लघु श्रेणी के अन्तर्गत आती है।
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा Environmental Compensation हेतु जारी गाइडलाइन्स के अनुसार लघु श्रेणी के उद्योगों हेतु S का मान 0.5 लिया जाना उचित होगा।


LF = Location factor = उक्त नगर पंचायत की आबादी 10 लाख के अन्दर आती है।
अतः LF का मान 1 लिया जाना उचित है।


उपरोक्तानुसार नगर पंचायत थानाभवन, जनपद शामली के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्न प्रकार है :-


$$\begin{aligned} EC &= P \times N \times R \times S \times LF \\ &= 80 \times 250 \times 250 \times 0.5 \times 1 \\ &= 25,00,000/- \end{aligned}$$

अतः गणना के अनुसार नगर पंचायत थानाभवन, जनपद शामली के विरुद्ध रू० 25,00,000/- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किये जाने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय प्रेषित किये जाने हेतु आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।



(सर्वेश कुमार)
प्रयो०सहा०


(विपुल कुमार)
अवर अभियन्ता


(दीपा अरोरा)
सहा०वैज्ञा०अधि०


(डा० डी०सी० पाण्डेय)
सहा०वैज्ञा०अधि०

~~क्षेत्रीय अधिकारी~~





क्षेत्रीय कार्यालय
 उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर
 U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, MUZAFFARNAGAR
 कमल सिनेमा बिल्डिंग, रेलवे स्टेशन रोड, मुजफ्फरनगर-251001

संदर्भ सं०
 Ref. No. 1359/G-49/STP/Shamli/2019

दिनांक
 Dated 16-12-19

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3)
 उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
 लखनऊ।

विषय:—नगरपालिका परिषद कांघला, जनपद शामली द्वारा सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट स्थापित न किये जाने के सम्बन्ध में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु संस्तुति।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच34632/सी-3/सा०-140/एस०टी०पी०/निर्देश/2019 दिनांक 10.04.2019 के माध्यम से अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद कांघला, जनपद शामली को निर्देशित किया गया था कि नगरपालिका परिषद कांघला से जनित घरेलू जल-मल के शोधन हेतु समुचित क्षमता का सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट की स्थापना हेतु प्रस्ताव/योजना व समयबद्ध कार्यक्रम तैयार कर प्रेषित किया जाये। नगरपालिका परिषद कांघला द्वारा आज दिनांक 16.12.2019 तक कोई प्रस्ताव/योजना व समयबद्ध कार्यक्रम प्रेषित नहीं की गयी है। उक्त नगरपालिका परिषद से जनित अशुद्धिकृत घरेलू जल-मल का निस्तारण ड्रेन के माध्यम से कृष्णी नदी में होता है, जो अन्ततः हिण्डन नदी में मिलती है, जिस कारण हिण्डन नदी की जल गुणवत्ता विपरीत रूप से प्रभावित हो रही है। इस सम्बन्ध में कार्यालय की आख्या संलग्न है।

अतः उपरोक्त के परिपेक्ष्य में नगरपालिका परिषद कांघला, जनपद शामली के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में आख्यानुसार अर्थदण्ड आरोपित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(विवेक राय)

क्षेत्रीय अधिकारी

२५

नगरपालिका परिषद कांघला, जनपद शामली द्वारा सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट स्थापित न किये जाने के सम्बन्ध में आख्या।

उपरोक्त नगरपालिका परिषद कांघला, जनपद शामली को बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच34632/सी-3/सा0-140/एस0टी0पी0/निर्देश/2019 दिनांक 10.04.2019 के माध्यम से अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद कांघला, जनपद शामली को निर्देशित किया गया था कि नगरपालिका परिषद कांघला से जनित घरेलू जल-मल के शोधन हेतु समुचित क्षमता का सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट की स्थापना हेतु प्रस्ताव/योजना व समयबद्ध कार्यक्रम तैयार कर प्रेषित किया जाये। नगरपालिका परिषद कांघला द्वारा आज दिनांक 16.12.2019 तक कोई प्रस्ताव/योजना व समयबद्ध कार्यक्रम प्रेषित नहीं की गयी है। नगरपालिका परिषद कांघला से जनित अशुद्धिकृत घरेलू जल-मल का निस्तारण ड्रेन के माध्यम से कृष्णी नदी में होता है, जो अन्ततः हिण्डन नदी में मिलती है, जिसके कारण हिण्डन नदी की जल गुणवत्ता विपरीत रूप से प्रभावित हो रही है।

अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में नगरपालिका परिषद, कांघला जनपद शामली के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाना उचित होगा। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक बी-31011/बीएमडब्लू/2019/डब्लूएमडी-1 दिनांक 08.02.2019 द्वारा जारी गाइडलाइन्स के अनुसार नगरपालिका परिषद कांघला के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् है :-

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक बी-31011/बीएमडब्लू/2019/डब्लूएमडी-1 दिनांक 08.02.2019 के अनुसार पर्यावरणीय क्षति = $PI \times N \times R \times S \times LF$

PI = Pollution Index of Industrial Sector - पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन्स के अनुसार लाल श्रेणी के उद्योगों के लिए 60 से 100, नारंगी श्रेणी के उद्योगों हेतु 41 से 59 एवं हरी श्रेणी के उद्योगों हेतु 21 से 40 रखी गयी है तथा गणना हेतु औसत Pollution Index क्रमशः 80, 50, 30 का सुझाव दिया गया है। घरेलू जल-मल के शोधन हेतु एस0टी0पी0 लाल श्रेणी के अन्तर्गत आच्छादित होता है। अतः Environmental Compensation हेतु PI का मान 80 रखा जाना उचित होगा।

N = Number of days of violation took place - नगरपालिका परिषद कांघला को एस0टी0पी0 स्थापना के सम्बन्ध में बोर्ड मुख्यालय द्वारा दिनांक 10.04.2019 में पत्र प्रेषित किया गया था, परन्तु दिये गये निर्देशों का अनुपालन आज दिनांक 16.12.2019 तक नहीं किया गया है। अतः दिनांक 10.04.2019 को आधार तिथि मानते हुए दिनांक 16.12.2019 तक कुल 250 दिनों हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाना उचित है। अतः N का मान 250 होगा।

R = R is a factor in Rupees for Penalty - केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा Environmental Compensation हेतु जारी गाइडलाइन्स के अनुसार R का मान न्यूनतम 100 एवं अधिकतम 500 है तथा औसत 250 का सुझाव दिया गया है। तदनुसार गणना शीट में R का मान 250 लिया जाना उचित होगा।


S = Factor for scale of operation = उक्त नगरपालिका परिषद लघु श्रेणी के अन्तर्गत आती है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा Environmental Compensation हेतु जारी गाइडलाइन्स के अनुसार लघु श्रेणी के उद्योगों हेतु S का मान 0.5 लिया जाना उचित होगा।


LF = Location factor = उक्त नगरपालिका परिषद की आबादी 10 लाख के अन्दर आती है। अतः LF का मान 1 लिया जाना उचित है।


उपरोक्तानुसार नगरपालिका परिषद कांधला, जनपद शामली के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्न प्रकार है :-


$$\begin{aligned} EC &= P \times N \times R \times S \times LF \\ &= 80 \times 250 \times 250 \times 0.5 \times 1 \\ &= 25,00,000/- \end{aligned}$$


अतः गणना के अनुसार नगरपालिका परिषद कांधला, जनपद शामली के विरुद्ध रू० 25,00,000/- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किये जाने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय प्रेषित किये जाने हेतु आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


(सर्वेश कुमार)
प्रयो०सहा०


(विपुल कुमार)
अवर अभियन्ता


(दीपा अरोरा)
सहा०वैज्ञा०अधि०


(डा० डी०सी० पाण्डेय)
सहा०वैज्ञा०अधि०

क्षेत्रीय अधिकारी




क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, MUZAFFARNAGAR
कमल सिनेमा बिल्डिंग, रेलवे स्टेशन रोड, मुजफ्फरनगर-251001

संदर्भ सं०
Ref. No.

1358/G-49/STP/MCR/2019

दिनांक

Dated 16-12-19

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3)
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ।

विषय:-नगरपालिका परिषद शामली, जनपद शामली द्वारा सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट स्थापित न किये जाने के सम्बन्ध में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु संस्तुति।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच34630/सी-3/सा०-140/एस०टी०पी०/निर्देश/2019 दिनांक 10.04.2019 के माध्यम से अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद शामली, जनपद शामली को निर्देशित किया गया था कि नगरपालिका परिषद शामली से जनित घरेलू जल-मल के शोधन हेतु समुचित क्षमता का सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट की स्थापना हेतु प्रस्ताव/योजना व समयबद्ध कार्यक्रम तैयार कर प्रेषित किया जाये। नगरपालिका परिषद शामली द्वारा आज दिनांक 16.12.2019 तक कोई प्रस्ताव/योजना व समयबद्ध कार्यक्रम प्रेषित नहीं की गयी है। उक्त नगरपालिका परिषद से जनित अशुद्धिकृत घरेलू जल-मल का निस्तारण ड्रेन के माध्यम से कृष्णी नदी में होता है, जो अन्ततः हिण्डन नदी में मिलती है, जिस कारण हिण्डन नदी की जल गुणवत्ता विपरीत रूप से प्रभावित हो रही है। इस सम्बन्ध में कार्यालय की आख्या संलग्न है।

अतः उपरोक्त के परिपेक्ष्य में नगरपालिका परिषद, शामली, जनपद शामली के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में आख्यानुसार अर्थदण्ड आरोपित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(विवेक राय)

क्षेत्रीय अधिकारी

नगरपालिका परिषद शामली, जनपद शामली द्वारा सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट स्थापित न किये जाने के सम्बन्ध में आख्या।

उपरोक्त नगरपालिका परिषद शामली, जनपद शामली को बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच34630/सी-3/सा0-140/एस0टी0पी0/निर्देश/2019 दिनांक 10.04.2019 के माध्यम से अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद शामली, जनपद शामली को निर्देशित किया गया था कि नगरपालिका परिषद शामली से जनित घरेलू जल-मल के शोधन हेतु समुचित क्षमता का सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट की स्थापना हेतु प्रस्ताव/योजना व समयबद्ध कार्यक्रम तैयार कर प्रेषित किया जाये। नगरपालिका परिषद शामली द्वारा आज दिनांक 16.12.2019 तक कोई प्रस्ताव/योजना व समयबद्ध कार्यक्रम प्रेषित नहीं की गयी है। नगरपालिका परिषद शामली से जनित अशुद्धिकृत घरेलू जल-मल का निस्तारण ड्रेन के माध्यम से कृष्णी नदी में होता है, जो अन्ततः हिण्डन नदी में मिलती है, जिसके कारण हिण्डन नदी की जल गुणवत्ता विपरीत रूप से प्रभावित हो रही है।

अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में नगरपालिका परिषद, शामली, जनपद शामली के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाना उचित होगा। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक बी-31011/बीएमडब्लू/2019/डब्लूएमडी-1 दिनांक 08.02.2019 द्वारा जारी गाइडलाइन्स के अनुसार नगरपालिका परिषद शामली के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् है :-

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक बी-31011/बीएमडब्लू/2019/डब्लूएमडी-1 दिनांक 08.02.2019 के अनुसार पर्यावरणीय क्षति = $PI \times N \times R \times S \times LF$

PI = Pollution Index of Industrial Sector - पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन्स के अनुसार लाल श्रेणी के उद्योगों के लिए 60 से 100, नारंगी श्रेणी के उद्योगों हेतु 41 से 59 एवं हरी श्रेणी के उद्योगों हेतु 21 से 40 रखी गयी है तथा गणना हेतु औसत Pollution Index क्रमशः 80, 50, 30 का सुझाव दिया गया है। घरेलू जल-मल के शोधन हेतु एस0टी0पी0 लाल श्रेणी के अन्तर्गत आच्छादित होता है। अतः Environmental Compensation हेतु PI का मान 80 रखा जाना उचित होगा।

N = Number of days of violation took place - नगरपालिका परिषद शामली को एस0टी0पी0 स्थापना के सम्बन्ध में बोर्ड मुख्यालय द्वारा दिनांक 10.04.2019 में पत्र प्रेषित किया गया था, परन्तु दिये गये निर्देशों का अनुपालन आज दिनांक 16.12.2019 तक नहीं किया गया है। अतः दिनांक 10.04.2019 को आधार तिथि मानते हुए दिनांक 16.12.2019 तक कुल 250 दिनों हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाना उचित है। अतः N का मान 250 होगा।

R = R is a factor in Rupees for Penalty - केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा Environmental Compensation हेतु जारी गाइडलाइन्स के अनुसार R का मान न्यूनतम 100 एवं अधिकतम 500 है तथा औसत 250 का सुझाव दिया गया है। तदनुसार गणना शीट में R का मान 250 लिया जाना उचित होगा।

S = Factor for scale of operation = उक्त नगरपालिका परिषद लघु श्रेणी के अन्तर्गत आती है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा Environmental Compensation हेतु जारी गाइडलाइन्स के अनुसार लघु श्रेणी के उद्योगों हेतु S का मान 0.5 लिया जाना उचित होगा।


LF = Location factor = उक्त नगरपालिका परिषद की आबादी 10 लाख के अन्दर आती है। अतः LF का मान 1 लिया जाना उचित है।


उपरोक्तानुसार नगरपालिका परिषद शामली, जनपद शामली के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्न प्रकार है :-


$$\begin{aligned} EC &= PI \times N \times R \times S \times LF \\ &= 80 \times 250 \times 250 \times 0.5 \times 1 \\ &= 25,00,000/- \end{aligned}$$


अतः गणना के अनुसार नगरपालिका परिषद, शामली, जनपद शामली के विरुद्ध रु० 25,00,000/- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किये जाने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय प्रेषित किये जाने हेतु आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


(सर्वेश कुमार)
प्रयो०सहा०


(विपुल कुमार)
अवर अभियन्ता


(दीपा अरोरा)
सहा०वैज्ञा०अधि०


(डा० डी०सी० पाण्डेय)
सहा०वैज्ञा०अधि०

~~क्षेत्रीय अधिकारी~~




क्षेत्रीय कार्यालय
 उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर
 U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, MUZAFFARNAGAR
 कमल सिनेमा बिल्डिंग, रेलवे स्टेशन रोड, मुजफ्फरनगर-251001

संदर्भ सं०
 Ref. No.

1357/G-49/STP/MZR/2019

दिनांक

Dated 16-12-19

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3)
 उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
 लखनऊ।

विषय:-नगरपालिका परिषद खतौली, जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट स्थापित न किये जाने के सम्बन्ध में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु संस्तुति।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच34594/सी-3/सा०-140/एस०टी०पी०/निर्देश/2019 दिनांक 09.04.2019 के माध्यम से अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद खतौली, जनपद मुजफ्फरनगर को निर्देशित किया गया था कि नगरपालिका परिषद खतौली से जनित घरेलू जल-मल के शोधन हेतु समुचित क्षमता का सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट की स्थापना हेतु प्रस्ताव/योजना व समयबद्ध कार्यक्रम तैयार कर प्रेषित किया जाये। नगरपालिका परिषद खतौली द्वारा आज दिनांक 16.12.2019 तक कोई प्रस्ताव/योजना व समयबद्ध कार्यक्रम प्रेषित नहीं की गयी है। उक्त नगरपालिका परिषद से जनित अशुद्धिकृत घरेलू जल-मल का निस्तारण ड्रेन के माध्यम से सीधे हिण्डन नदी में होता है, जिससे हिण्डन नदी की जल गुणवत्ता विपरीत रूप से प्रभावित हो रही है। इस सम्बन्ध में कार्यालय की आख्या संलग्न है।

अतः उपरोक्त के परिपेक्ष्य में नगरपालिका परिषद, खतौली, जनपद मुजफ्फरनगर के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में आख्यानुसार अर्धदण्ड आरोपित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(विवेक राय)

क्षेत्रीय अधिकारी

नगरपालिका परिषद खतौली, जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट स्थापित न किये जाने के सम्बन्ध में आख्या।

उपरोक्त नगरपालिका परिषद खतौली, जनपद मुजफ्फरनगर को बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच34594/सी-3/सा0-140/एस0टी0पी0/निर्देश/2019 दिनांक 09.04.2019 के माध्यम से अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद खतौली, जनपद मुजफ्फरनगर को निर्देशित किया गया था कि नगरपालिका परिषद खतौली से जनित घरेलू जल-मल के शोधन हेतु समुचित क्षमता का सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट की स्थापना हेतु प्रस्ताव/योजना व समयबद्ध कार्यक्रम तैयार कर प्रेषित किया जाये। नगरपालिका परिषद खतौली द्वारा आज दिनांक 16.12.2019 तक कोई प्रस्ताव/योजना व समयबद्ध कार्यक्रम प्रेषित नहीं की गयी है। नगरपालिका परिषद खतौली से जनित अशुद्धिकृत घरेलू जल-मल का निस्तारण ड्रेन के माध्यम से काली नदी पूर्वी में होता है, जो अन्ततः गंगा नदी में मिलती है, जिसके कारण गंगा नदी की जल गुणवत्ता विपरीत रूप से प्रभावित हो रही है।

अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में नगरपालिका परिषद, खतौली, जनपद मुजफ्फरनगर के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाना उचित होगा। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक बी-31011/बीएमडब्लू/2019/डब्लूएमडी-1 दिनांक 08.02.2019 द्वारा जारी गाइडलाइन्स के अनुसार नगरपालिका परिषद खतौली के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् है :-

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक बी-31011/बीएमडब्लू/2019/डब्लूएमडी-1 दिनांक 08.02.2019 के अनुसार पर्यावरणीय क्षति = $PI \times N \times R \times S \times LF$

PI = Pollution Index of Industrial Sector - पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन्स के अनुसार लाल श्रेणी के उद्योगों के लिए 60 से 100, नारंगी श्रेणी के उद्योगों हेतु 41 से 59 एवं हरी श्रेणी के उद्योगों हेतु 21 से 40 रखी गयी है तथा गणना हेतु औसत Pollution Index क्रमशः 80, 50, 30 का सुझाव दिया गया है। घरेलू जल-मल के शोधन हेतु एस0टी0पी0 लाल श्रेणी के अन्तर्गत आच्छादित होता है। अतः Environmental Compensation हेतु PI का मान 80 रखा जाना उचित होगा।

N = Number of days of violation took place - नगरपालिका परिषद खतौली को एस0टी0पी0 स्थापना के सम्बन्ध में बोर्ड मुख्यालय द्वारा दिनांक 09.04.2019 में पत्र प्रेषित किया गया था, परन्तु दिये गये निर्देशों का अनुपालन आज दिनांक 16.12.2019 तक नहीं किया गया है। अतः दिनांक 09.04.2019 को आधार तिथि मानते हुए दिनांक 16.12.2019 तक कुल 251 दिनों हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाना उचित है। अतः N का मान 251 होगा।

R = R is a factor in Rupees for Penalty - केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा Environmental Compensation हेतु जारी गाइडलाइन्स के अनुसार R का मान न्यूनतम 100 एवं अधिकतम 500 है तथा औसत 250 का सुझाव दिया गया है। तदनुसार गणना शीट में R का मान 250 लिया जाना उचित होगा।

S = Factor for scale of operation = उक्त नगरपालिका परिषद लघु श्रेणी के अन्तर्गत आती है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा Environmental Compensation हेतु जारी गाइडलाइन्स के अनुसार लघु श्रेणी के उद्योगों हेतु S का मान 0.5 लिया जाना उचित होगा।


LF = Location factor = उक्त नगरपालिका परिषद की आबादी 10 लाख के अन्दर आती है। अतः LF का मान 1 लिया जाना उचित है।


उपरोक्तानुसार नगरपालिका परिषद खतौली, जनपद मुजफ्फरनगर के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्न प्रकार है :-


$$\begin{aligned} EC &= PI \times N \times R \times S \times LF \\ &= 80 \times 251 \times 250 \times 0.5 \times 1 \\ &= 25,10,000/- \end{aligned}$$

अतः गणना के अनुसार नगरपालिका परिषद, खतौली, जनपद मुजफ्फरनगर के विरुद्ध रू० 25,10,000/- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किये जाने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय प्रेषित किये जाने हेतु आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।



(सर्वेश कुमार)
प्रयो०सहा०


(विपुल कुमार)
अवर अभियन्ता


(दीपा अरोरा)
सहा०वैज्ञा०अधि०


(डा० अ०सी० पाण्डेय)
सहा०वैज्ञा०अधि०

क्षेत्रीय अधिकारी





क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, MUZAFFARNAGAR
कमल सिनेमा बिल्डिंग, रेलवे स्टेशन रोड, मुजफ्फरनगर-251001

संदर्भ सं०
Ref. No.

1356/6-49/STP/MCR/2019

दिनांक

Dated 16-12-19

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3)
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ।

विषय:—नगर पंचायत चरथावल, जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट स्थापित न किये जाने के सम्बन्ध में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु संस्तुति।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच34588/सी-3/सा०-140/एस०टी०पी०/निर्देश/2019 दिनांक 09.04.2019 के माध्यम से अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत चरथावल, जनपद मुजफ्फरनगर को निर्देशित किया गया था कि नगर पंचायत चरथावल से जनित घरेलू जल-मल के शोधन हेतु समुचित क्षमता का सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट की स्थापना हेतु प्रस्ताव/योजना व समयबद्ध कार्यक्रम तैयार कर प्रेषित किया जाये। नगर पंचायत चरथावल द्वारा आज दिनांक 16.12.2019 तक कोई प्रस्ताव/योजना व समयबद्ध कार्यक्रम प्रेषित नहीं की गयी है। उक्त नगर पंचायत से जनित अशुद्धिकृत घरेलू जल-मल का निस्तारण ड्रेन के माध्यम से सीधे हिण्डन नदी में होता है, जिससे हिण्डन नदी की जल गुणवत्ता विपरीत रूप से प्रभावित हो रही है। इस सम्बन्ध में कार्यालय की आख्या संलग्न है।

अतः उपरोक्त के परिपेक्ष्य में नगर पंचायत, चरथावल, जनपद मुजफ्फरनगर के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में आख्यानुसार अर्थदण्ड आरोपित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(विवेक राय)

क्षेत्रीय अधिकारी

नगर पंचायत चरथावल, जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट स्थापित न किये जाने के सम्बन्ध में आख्या।

उपरोक्त नगर पंचायत चरथावल, जनपद मुजफ्फरनगर को बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच34588/सी-3/सा0-140/एस0टी0पी0/निर्देश/2019 दिनांक 09.04.2019 के माध्यम से अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत चरथावल, जनपद मुजफ्फरनगर को निर्देशित किया गया था कि नगर पंचायत चरथावल से जनित घरेलू जल-मल के शोधन हेतु समुचित क्षमता का सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट की स्थापना हेतु प्रस्ताव/योजना व समयबद्ध कार्यक्रम तैयार कर प्रेषित किया जाये। नगर पंचायत चरथावल द्वारा आज दिनांक 16.12.2019 तक कोई प्रस्ताव/योजना व समयबद्ध कार्यक्रम प्रेषित नहीं की गयी है। नगर पंचायत चरथावल से जनित अशुद्धिकृत घरेलू जल-मल का निस्तारण ड्रेन के माध्यम से हिण्डन नदी में होता है, जिसके कारण हिण्डन नदी की जल गुणवत्ता विपरीत रूप से प्रभावित हो रही है।

अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में नगर पंचायत, चरथावल, जनपद मुजफ्फरनगर के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाना उचित होगा। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक बी-31011/बीएमडब्लू/2019/डब्लूएमडी-1 दिनांक 08.02.2019 द्वारा जारी गाइडलाइन्स के अनुसार नगर पंचायत चरथावल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् है :-

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक बी-31011/बीएमडब्लू/2019/डब्लूएमडी-1 दिनांक 08.02.2019 के अनुसार पर्यावरणीय क्षति = $PI \times N \times R \times S \times LF$

PI = Pollution Index of Industrial Sector - पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन्स के अनुसार लाल श्रेणी के उद्योगों के लिए 60 से 100, नारंगी श्रेणी के उद्योगों हेतु 41 से 59 एवं हरी श्रेणी के उद्योगों हेतु 21 से 40 रखी गयी है तथा गणना हेतु औसत Pollution Index क्रमशः 80, 50, 30 का सुझाव दिया गया है। घरेलू जल-मल के शोधन हेतु एस0टी0पी0 लाल श्रेणी के अन्तर्गत आच्छादित होता है। अतः Environmental Compensation हेतु PI का मान 80 रखा जाना उचित होगा।

N = Number of days of violation took place - नगर पंचायत चरथावल को एस0टी0पी0 स्थापना के सम्बन्ध में बोर्ड मुख्यालय द्वारा दिनांक 09.04.2019 में पत्र प्रेषित किया गया था, परन्तु दिये गये निर्देशों का अनुपालन आज दिनांक 16.12.2019 तक नहीं किया गया है। अतः दिनांक 09.04.2019 को आधार तिथि मानते हुए दिनांक 16.12.2019 तक कुल 251 दिनों हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाना उचित है। अतः N का मान 251 होगा।

R = R is a factor in Rupees for Penalty - केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा Environmental Compensation हेतु जारी गाइडलाइन्स के अनुसार R का मान न्यूनतम 100 एवं अधिकतम 500 है तथा औसत 250 का सुझाव दिया गया है। तदनुसार गणना शीट में R का मान 250 लिया जाना उचित होगा।

S = Factor for scale of operation = उक्त नगर पंचायत लघु श्रेणी के अन्तर्गत आती है।
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा Environmental Compensation हेतु जारी गाइडलाइन्स के
अनुसार लघु श्रेणी के उद्योगों हेतु S का मान 0.5 लिया जाना उचित होगा।


LF = Location factor = उक्त नगर पंचायत की आबादी 10 लाख के अन्दर आती है।
अतः LF का मान 1 लिया जाना उचित है।


उपरोक्तानुसार नगर पंचायत चरथावल, जनपद मुजफ्फरनगर के विरुद्ध पर्यावरणीय
क्षतिपूर्ति की गणना निम्न प्रकार है :-


$$\begin{aligned} EC &= PI \times N \times R \times S \times LF \\ &= 80 \times 251 \times 250 \times 0.5 \times 1 \\ &= 25,10,000/- \end{aligned}$$

अतः गणना के अनुसार नगर पंचायत, चरथावल, जनपद मुजफ्फरनगर के विरुद्ध रू०
25,10,000/- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किये जाने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय
प्रेषित किये जाने हेतु आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत
है।



(सर्वेश कुमार)
प्रयो०सहा०


(विपुल कुमार)
अवर अभियन्ता


(दीपा अरोरा)
सहा०वैज्ञा०अधि०


(डा० डी०सी० पाण्डेय)
सहा०वैज्ञा०अधि०

क्षेत्रीय अधिकारी





क्षेत्रीय कार्यालय
 उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर
 U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, MUZAFFARNAGAR
 कमल सिनेमा बिल्डिंग, रेलवे स्टेशन रोड, मुजफ्फरनगर-251001

संदर्भ सं०
 Ref. No.

1355/6-49/STP/MR/2019

दिनांक

Dated 16/12/19

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3)
 उपरो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
 लखनऊ।

विषय:- नगर पंचायत शाहपुर, जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित न किये जाने के सम्बन्ध में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु संस्तुति।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच34593/सी-3/सा0-140/एस0टी0पी0/निर्देश/2019 दिनांक 09.04.2019 के माध्यम से अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत शाहपुर, जनपद मुजफ्फरनगर को निर्देशित किया गया था कि नगर पंचायत शाहपुर से जनित घरेलू जल-मल के शोधन हेतु समुचित क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना हेतु प्रस्ताव/योजना व समयबद्ध कार्यक्रम तैयार कर प्रेषित किया जाये। नगर पंचायत शाहपुर द्वारा आज दिनांक 16.12.2019 तक कोई प्रस्ताव/योजना व समयबद्ध कार्यक्रम प्रेषित नहीं की गयी है। उक्त नगर पंचायत से जनित अशुद्धिकृत घरेलू जल-मल का निस्तारण ड्रेन के माध्यम से काली नदी पश्चिमी में होता है, जो अन्ततः हिण्डन नदी में मिलती है, जिससे हिण्डन नदी की जल गुणवत्ता विपरीत रूप से प्रभावित हो रही है। इस सम्बन्ध में कार्यालय की आख्या संलग्न है।

अतः उपरोक्त के परिपेक्ष्य में नगर पंचायत, शाहपुर, जनपद मुजफ्फरनगर के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में आख्यानुसार अर्थदण्ड आरोपित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(चिवके राय)

क्षेत्रीय अधिकारी

नगर पंचायत शाहपुर, जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट स्थापित न किये जाने के सम्बन्ध में आख्या।

उपरोक्त नगर पंचायत शाहपुर, जनपद मुजफ्फरनगर को बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच34593/सी-3/सा0-140/एस0टी0पी0/निर्देश/2019 दिनांक 09.04.2019 के माध्यम से अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत शाहपुर, जनपद मुजफ्फरनगर को निर्देशित किया गया था कि नगर पंचायत शाहपुर से जनित घरेलू जल-मल के शोधन हेतु समुचित क्षमता का सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट की स्थापना हेतु प्रस्ताव/योजना व समयबद्ध कार्यक्रम तैयार कर प्रेषित किया जाये। नगर पंचायत शाहपुर द्वारा आज दिनांक 16.12.2019 तक कोई प्रस्ताव/योजना व समयबद्ध कार्यक्रम प्रेषित नहीं की गयी है। नगर पंचायत शाहपुर से जनित अशुद्धिकृत घरेलू जल-मल का निस्तारण ड्रेन के माध्यम से काली नदी पश्चिमी में किया जाता है, जो अन्ततः हिण्डन नदी में मिलती है, जिसके कारण हिण्डन नदी की जल गुणवत्ता विपरीत रूप से प्रभावित हो रही है।

अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में नगर पंचायत, शाहपुर, जनपद मुजफ्फरनगर के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाना उचित होगा। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक बी-31011/बीएमडब्लू/2019/डब्लूएमडी-1 दिनांक 08.02.2019 द्वारा जारी गाइडलाइन्स के अनुसार नगर पंचायत शाहपुर के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् है :-

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक बी-31011/बीएमडब्लू/2019/डब्लूएमडी-1 दिनांक 08.02.2019 के अनुसार पर्यावरणीय क्षति = $PI \times N \times R \times S \times LF$

PI = Pollution Index of Industrial Sector - पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन्स के अनुसार लाल श्रेणी के उद्योगों के लिए 60 से 100, नारंगी श्रेणी के उद्योगों हेतु 41 से 59 एवं हरी श्रेणी के उद्योगों हेतु 21 से 40 रखी गयी है तथा गणना हेतु औसत Pollution Index क्रमशः 80, 50, 30 का सुझाव दिया गया है। घरेलू जल-मल के शोधन हेतु एस0टी0पी0 लाल श्रेणी के अन्तर्गत आच्छादित होता है। अतः Environmental Compensation हेतु PI का मान 80 रखा जाना उचित होगा।

N = Number of days of violation took place - नगर पंचायत शाहपुर को एस0टी0पी0 स्थापना के सम्बन्ध में बोर्ड मुख्यालय द्वारा दिनांक 09.04.2019 में पत्र प्रेषित किया गया था, परन्तु दिये गये निर्देशों का अनुपालन आज दिनांक 16.12.2019 तक नहीं किया गया है। अतः दिनांक 09.04.2019 को आधार तिथि मानते हुए दिनांक 16.12.2019 तक कुल 251 दिनों हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाना उचित है। अतः N का मान 251 होगा।

R = R is a factor in Rupees for Penalty केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा Environmental Compensation हेतु जारी गाइडलाइन्स के अनुसार R का मान न्यूनतम 100 एवं अधिकतम 500 है तथा औसत 250 का सुझाव दिया गया है। तदनुसार गणना शीट में R का मान 250 लिया जाना उचित होगा।


S = Factor for scale of operation = उक्त नगर पंचायत लघु श्रेणी के अन्तर्गत आती है।
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा Environmental Compensation हेतु जारी गाइडलाइन्स के
अनुसार लघु श्रेणी के उद्योगों हेतु S का मान 0.5 लिया जाना उचित होगा।


LF = Location factor = उक्त नगर पंचायत की आबादी 10 लाख के अन्दर आती है।
अतः LF का मान 1 लिया जाना उचित है।


उपरोक्तानुसार नगर पंचायत शाहपुर, जनपद मुजफ्फरनगर के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति
की गणना निम्न प्रकार है :-


$$\begin{aligned} EC &= P \times N \times R \times S \times LF \\ &= 80 \times 251 \times 250 \times 0.5 \times 1 \\ &= 25,10,000/- \end{aligned}$$

अतः गणना के अनुसार नगर पंचायत, शाहपुर, जनपद मुजफ्फरनगर के विरुद्ध रु०
25,10,000/- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किये जाने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय
प्रेषित किये जाने हेतु आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत
है।



(सर्वेश कुमार)
प्रयो०सहा०


(विपुल कुमार)
अवर अभियन्ता


(दीपा अरोरा)
सहा०वैज्ञा०अधि०


(डा० डी०सी० पाण्डेय)
सहा०वैज्ञा०अधि०

क्षेत्रीय अधिकारी





क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, MUZAFFARNAGAR
कमल सिनेमा बिल्डिंग, रेलवे स्टेशन रोड, मुजफ्फरनगर-251001

संदर्भ सं०
Ref. No.

1354/G-49/STP/MCR/2019

दिनांक

Dated 16.12.19

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3)
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ।

विषय:- नगर पंचायत पुरकाजी, जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट स्थापित न किये जाने के सम्बन्ध में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु संस्तुति।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच34592/सी-3/सा0-140/एस0टी0पी0/निर्देश/2019 दिनांक 09.04.2019 के माध्यम से अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत पुरकाजी, जनपद मुजफ्फरनगर को निर्देशित किया गया था कि नगर पंचायत पुरकाजी से जनित घरेलू जल-मल के शोधन हेतु समुचित क्षमता का सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट की स्थापना हेतु प्रस्ताव/योजना व समयबद्ध कार्यक्रम तैयार कर प्रेषित किया जाये। नगर पंचायत पुरकाजी द्वारा आज दिनांक 16.12.2019 तक कोई प्रस्ताव/योजना व समयबद्ध कार्यक्रम प्रेषित नहीं की गयी है। उक्त नगर पंचायत से जनित अशुद्धिकृत घरेलू जल-मल का निस्तारण ड्रेन के माध्यम से सीधे हिण्डन नदी में होता है, जिससे हिण्डन नदी की जल गुणवत्ता विपरीत रूप से प्रभावित हो रही है। इस सम्बन्ध में कार्यालय की आख्या संलग्न है।

अतः उपरोक्त के परिपेक्ष्य में नगर पंचायत, पुरकाजी, जनपद मुजफ्फरनगर के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में आख्यानुसार अर्थदण्ड आरोपित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(विवेक राय)

क्षेत्रीय अधिकारी

नगर पंचायत पुरकाजी, जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट स्थापित न किये जाने के सम्बन्ध में आख्या।

उपरोक्त नगर पंचायत पुरकाजी, जनपद मुजफ्फरनगर को बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच34592/सी-3/सा0-140/एस0टी0पी0/निर्देश/2019 दिनांक 09.04.2019 के माध्यम से अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत पुरकाजी, जनपद मुजफ्फरनगर को निर्देशित किया गया था कि नगर पंचायत पुरकाजी से जनित घरेलू जल-मल के शोधन हेतु समुचित क्षमता का सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट की स्थापना हेतु प्रस्ताव/योजना व समयबद्ध कार्यक्रम तैयार कर प्रेषित किया जाये। नगर पंचायत पुरकाजी द्वारा आज दिनांक 16.12.2019 तक कोई प्रस्ताव/योजना व समयबद्ध कार्यक्रम प्रेषित नहीं की गयी है। नगर पंचायत पुरकाजी से जनित अशुद्धिकृत घरेलू जल-मल का निस्तारण ड्रेन के माध्यम से काली नदी पश्चिमी में किया जाता है, जो अन्ततः हिण्डन नदी में मिलती है, जिससे कारण हिण्डन नदी की जल गुणवत्ता विपरीत रूप से प्रभावित हो रही है।

अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में नगर पंचायत, पुरकाजी, जनपद मुजफ्फरनगर के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाना उचित होगा। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक बी-31011/बीएमडब्लू/2019/डब्लूएमडी-1 दिनांक 08.02.2019 द्वारा जारी गाइडलाइन्स के अनुसार नगर पंचायत पुरकाजी के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् है :-

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक बी-31011/बीएमडब्लू/2019/डब्लूएमडी-1 दिनांक 08.02.2019 के अनुसार पर्यावरणीय क्षति = $PI \times N \times R \times S \times L \times F$

PI = Pollution Index of Industrial Sector - पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन्स के अनुसार लाल श्रेणी के उद्योगों के लिए 60 से 100, नारंगी श्रेणी के उद्योगों हेतु 41 से 59 एवं हरी श्रेणी के उद्योगों हेतु 21 से 40 रखी गयी है तथा गणना हेतु औसत Pollution Index क्रमशः 80, 50, 30 का सुझाव दिया गया है। घरेलू जल-मल के शोधन हेतु एस0टी0पी0 लाल श्रेणी के अन्तर्गत आच्छादित होता है। अतः Environmental Compensation हेतु PI का मान 80 रखा जाना उचित होगा।

N = Number of days of violation took place - नगर पंचायत पुरकाजी को एस0टी0पी0 स्थापना के सम्बन्ध में बोर्ड मुख्यालय द्वारा दिनांक 09.04.2019 में पत्र प्रेषित किया गया था, परन्तु दिये गये निर्देशों का अनुपालन आज दिनांक 16.12.2019 तक नहीं किया गया है। अतः दिनांक 09.04.2019 को आधार तिथि मानते हुए दिनांक 16.12.2019 तक कुल 251 दिनों हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाना उचित है। अतः N का मान 251 होगा।

R = R is a factor in Rupees for Penalty - केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा Environmental Compensation हेतु जारी गाइडलाइन्स के अनुसार R का मान न्यूनतम 100 एवं अधिकतम 500 है तथा औसत 250 का सुझाव दिया गया है। तदनुसार गणना शीट में R का मान 250 लिया जाना उचित होगा।


S = Factor for scale of operation = उक्त नगर पंचायत लघु श्रेणी के अन्तर्गत आती है।
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा Environmental Compensation हेतु जारी गाइडलाइन्स के अनुसार लघु श्रेणी के उद्योगों हेतु S का मान 0.5 लिया जाना उचित होगा।


LF = Location factor = उक्त नगर पंचायत की आबादी 10 लाख के अन्दर आती है।
अतः LF का मान 1 लिया जाना उचित है।


उपरोक्तानुसार नगर पंचायत पुरकाजी, जनपद मुजफ्फरनगर के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्न प्रकार है :-


$$\begin{aligned} EC &= PI \times N \times R \times S \times LF \\ &= 80 \times 251 \times 250 \times 0.5 \times 1 \\ &= 25,10,000/- \end{aligned}$$

अतः गणना के अनुसार नगर पंचायत, पुरकाजी, जनपद मुजफ्फरनगर के विरुद्ध रू० 25,10,000/- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किये जाने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय प्रेषित किये जाने हेतु आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।



(सर्वेश कुमार)
प्रयो०सहा०


(विपुल कुमार)
अवर अभियन्ता


(दीपा अरोरा)
सहा०वैज्ञा०अधि०


(डा० डी०सी० पाण्डेय)
सहा०वैज्ञा०अधि०

क्षेत्रीय अधिकारी





क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, MUZAFFARNAGAR
कमल सिनेमा बिल्डिंग, रेलवे स्टेशन रोड, मुजफ्फरनगर-251001

संदर्भ सं०
Ref. No.

1353/G-49/STP/MCR/2019

दिनांक

Dated 16/12/19

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3)
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ।

विषय:- नगर पंचायत सिसौली, जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट स्थापित न किये जाने के सम्बन्ध में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु संस्तुति।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच34591/सी-3/सा०-140/एस०टी०पी०/निर्देश/2019 दिनांक 09.04.2019 के माध्यम से अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत सिसौली, जनपद मुजफ्फरनगर को निर्देशित किया गया था कि नगर पंचायत सिसौली से जनित घरेलू जल-मल के शोधन हेतु समुचित क्षमता का सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट की स्थापना हेतु प्रस्ताव/योजना व समयबद्ध कार्यक्रम तैयार कर प्रेषित किया जाये। नगर पंचायत सिसौली द्वारा आज दिनांक 16.12.2019 तक कोई प्रस्ताव/योजना व समयबद्ध कार्यक्रम प्रेषित नहीं की गयी है। उक्त नगर पंचायत से जनित अशुद्धिकृत घरेलू जल-मल का निस्तारण ड्रेन के माध्यम से सीधे हिण्डन नदी में होता है, जिससे हिण्डन नदी की जल गुणवत्ता विपरीत रूप से प्रभावित हो रही है। इस सम्बन्ध में कार्यालय की आख्या संलग्न है।

अतः उपरोक्त के परिपेक्ष्य में नगर पंचायत, सिसौली, जनपद मुजफ्फरनगर के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में आख्यानुसार अर्थदण्ड आरोपित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(विवेक शर्मा)

क्षेत्रीय अधिकारी

नगर पंचायत सिसौली, जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट स्थापित न किये जाने के सम्बन्ध में आख्या।

उपरोक्त नगर पंचायत सिसौली, जनपद मुजफ्फरनगर को बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच34591/सी-3/सा0-140/एस0टी0पी0/निर्देश/2019 दिनांक 09.04.2019 के माध्यम से अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत सिसौली, जनपद मुजफ्फरनगर को निर्देशित किया गया था कि नगर पंचायत सिसौली से जनित घरेलू जल-मल के शोधन हेतु समुचित क्षमता का सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट की स्थापना हेतु प्रस्ताव/योजना व समयबद्ध कार्यक्रम तैयार कर प्रेषित किया जाये। नगर पंचायत सिसौली द्वारा आज दिनांक 16.12.2019 तक कोई प्रस्ताव/योजना व समयबद्ध कार्यक्रम प्रेषित नहीं की गयी है। नगर पंचायत सिसौली से जनित अशुद्धिकृत घरेलू जल-मल का निस्तारण ड्रेन के माध्यम से हिण्डन नदी में होता है, जिससे हिण्डन नदी की जल गुणवत्ता विपरीत रूप से प्रभावित हो रही है।

अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में नगर पंचायत, सिसौली, जनपद मुजफ्फरनगर के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाना उचित होगा। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक बी-31011/बीएमडब्लू/2019/डब्लूएमडी-1 दिनांक 08.02.2019 द्वारा जारी गाइडलाइन्स के अनुसार नगर पंचायत सिसौली के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् है :-

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक बी-31011/बीएमडब्लू/2019/डब्लूएमडी-1 दिनांक 08.02.2019 के अनुसार पर्यावरणीय क्षति = $PI \times N \times R \times S \times LF$

PI = Pollution Index of Industrial Sector - पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन्स के अनुसार लाल श्रेणी के उद्योगों के लिए 60 से 100, नारंगी श्रेणी के उद्योगों हेतु 41 से 59 एवं हरी श्रेणी के उद्योगों हेतु 21 से 40 रखी गयी है तथा गणना हेतु औसत Pollution Index क्रमशः 80, 50, 30 का सुझाव दिया गया है। घरेलू जल-मल के शोधन हेतु एस0टी0पी0 लाल श्रेणी के अन्तर्गत आच्छादित होता है। अतः Environmental Compensation हेतु PI का मान 80 रखा जाना उचित होगा।

N = Number of days of violation took place - नगर पंचायत सिसौली को एस0टी0पी0 स्थापना के सम्बन्ध में बोर्ड मुख्यालय द्वारा दिनांक 09.04.2019 में पत्र प्रेषित किया गया था, परन्तु दिये गये निर्देशों का अनुपालन आज दिनांक 16.12.2019 तक नहीं किया गया है। अतः दिनांक 09.04.2019 को आधार तिथि मानते हुए दिनांक 16.12.2019 तक कुल 251 दिनों हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाना उचित है। अतः N का मान 251 होगा।

R = R is a factor in Rupees for Penalty - केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा Environmental Compensation हेतु जारी गाइडलाइन्स के अनुसार R का मान न्यूनतम 100 एवं अधिकतम 500 है तथा औसत 250 का सुझाव दिया गया है। तदनुसार गणना शीट में R का मान 250 लिया जाना उचित होगा।

S = Factor for scale of operation = उक्त नगर पंचायत लघु श्रेणी के अन्तर्गत आती है।
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा Environmental Compensation हेतु जारी गाइडलाइन्स के अनुसार लघु श्रेणी के उद्योगों हेतु S का मान 0.5 लिया जाना उचित होगा।


LF = Location factor = उक्त नगर पंचायत की आबादी 10 लाख के अन्दर आती है।
अतः LF का मान 1 लिया जाना उचित है।


उपरोक्तानुसार नगर पंचायत सिसौली, जनपद मुजफ्फरनगर के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्न प्रकार है :-


$$\begin{aligned} EC &= P \times N \times R \times S \times LF \\ &= 80 \times 251 \times 250 \times 0.5 \times 1 \\ &= 25,10,000/- \end{aligned}$$

अतः गणना के अनुसार नगर पंचायत, सिसौली, जनपद मुजफ्फरनगर के विरुद्ध रू० 25,10,000/- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किये जाने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय प्रेषित किये जाने हेतु आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।



(सर्वेश कुमार)
प्रयो०सहा०


(विपुल कुमार)
अवर अभियन्ता


(दीपा अरोरा)
सहा०वैज्ञा०अधि०


(डा० डी०सी० पाण्डेय)
सहा०वैज्ञा०अधि०

क्षेत्रीय अधिकारी





क्षेत्रीय कार्यालय
 उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर
 U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, MUZAFFARNAGAR
 कमल सिनेमा बिल्डिंग, रेलवे स्टेशन रोड, मुजफ्फरनगर-251001

संदर्भ सं०
 Ref. No.

1352/G-49/STP/MZR/2019

दिनांक

Dated 16-12-19

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3)
 उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
 लखनऊ।

विषय:— नगर पंचायत बुढ़ाना, जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट स्थापित न किये जाने के सम्बन्ध में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु संस्तुति।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच34586/सी-3/सा10-140/एस0टी0पी0/निर्देश/2019 दिनांक 09.04.2019 के माध्यम से अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत बुढ़ाना, जनपद मुजफ्फरनगर को निर्देशित किया गया था कि नगर पंचायत बुढ़ाना से जनित घरेलू जल-मल के शोधन हेतु समुचित क्षमता का सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट की स्थापना हेतु प्रस्ताव/योजना व समयबद्ध कार्यक्रम तैयार कर प्रेषित किया जाये। नगर पंचायत बुढ़ाना द्वारा आज दिनांक 16.12.2019 तक कोई प्रस्ताव/योजना व समयबद्ध कार्यक्रम प्रेषित नहीं की गयी है। नगर पंचायत बुढ़ाना से जनित अशुद्धिकृत घरेलू जल-मल का निस्तारण ड्रेन के माध्यम से सीधे हिण्डन नदी में होता है, जिससे हिण्डन नदी की जल गुणवत्ता विपरीत रूप से प्रभावित हो रही है। इस सम्बन्ध में कार्यालय की आख्या संलग्न है।

अतः उपरोक्त के परिपेक्ष्य में नगर पंचायत, बुढ़ाना, जनपद मुजफ्फरनगर के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में आख्यानुसार अर्थदण्ड आरोपित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(विवेक राय)
 क्षेत्रीय अधिकारी

नगर पंचायत बुढ़ाना, जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट स्थापित न किये जाने के सम्बन्ध में आख्या।

उपरोक्त नगर पंचायत बुढ़ाना, जनपद मुजफ्फरनगर को बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच34586/सी-3/सा0-140/एस0टी0पी0/निर्देश/2019 दिनांक 09.04.2019 के माध्यम से अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत बुढ़ाना, जनपद मुजफ्फरनगर को निर्देशित किया गया था कि नगर पंचायत बुढ़ाना से जनित घरेलू जल-मल के शोधन हेतु समुचित क्षमता का सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट की स्थापना हेतु प्रस्ताव/योजना व समयबद्ध कार्यक्रम तैयार कर प्रेषित किया जाये। नगर पंचायत बुढ़ाना द्वारा आज दिनांक 16.12.2019 तक कोई प्रस्ताव/योजना व समयबद्ध कार्यक्रम प्रेषित नहीं की गयी है। नगर पंचायत बुढ़ाना से जनित अशुद्धिकृत घरेलू जल-मल का निस्तारण ड्रेन के माध्यम से सीधे हिण्डन नदी में होता है, जिससे हिण्डन नदी की जल गुणवत्ता विपरीत रूप से प्रभावित हो रही है।

अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में नगर पंचायत, बुढ़ाना, जनपद मुजफ्फरनगर के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाना उचित होगा। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक बी-31011/बीएमडब्लू/2019/डब्लूएमडी-1 दिनांक 08.02.2019 द्वारा जारी गाइडलाइन्स के अनुसार नगर पंचायत बुढ़ाना के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् है :-

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक बी-31011/बीएमडब्लू/2019/डब्लूएमडी-1 दिनांक 08.02.2019 के अनुसार पर्यावरणीय क्षति = $PI \times N \times R \times S \times LF$

PI = Pollution Index of Industrial Sector - पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन्स के अनुसार लाल श्रेणी के उद्योगों के लिए 60 से 100, नारंगी श्रेणी के उद्योगों हेतु 41 से 59 एवं हरी श्रेणी के उद्योगों हेतु 21 से 40 रखी गयी है तथा गणना हेतु औसत Pollution Index क्रमशः 80, 50, 30 का सुझाव दिया गया है। घरेलू जल-मल के शोधन हेतु एस0टी0पी0 लाल श्रेणी के अन्तर्गत आच्छादित होता है। अतः Environmental Compensation हेतु PI का मान 80 रखा जाना उचित होगा।

N = Number of days of violation took place - नगर पंचायत बुढ़ाना को एस0टी0पी0 स्थापना के सम्बन्ध में बोर्ड मुख्यालय द्वारा दिनांक 09.04.2019 में पत्र प्रेषित किया गया था, परन्तु दिये गये निर्देशों का अनुपालन आज दिनांक 16.12.2019 तक नहीं किया गया है। अतः दिनांक 09.04.2019 को आधार तिथि मानते हुए दिनांक 16.12.2019 तक कुल 251 दिनों हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाना उचित है। अतः N का मान 251 होगा।

R = R is a factor in Rupees for Penalty - केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा Environmental Compensation हेतु जारी गाइडलाइन्स के अनुसार R का मान न्यूनतम 100 एवं अधिकतम 500 है तथा औसत 250 का सुझाव दिया गया है। तदनुसार गणना शीट में R का मान 250 लिया जाना उचित होगा।

S = Factor for scale of operation = उक्त नगर पंचायत लघु श्रेणी के अन्तर्गत आती है।
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा Environmental Compensation हेतु जारी गाइडलाइन्स के
अनुसार लघु श्रेणी के उद्योगों हेतु S का मान 0.5 लिया जाना उचित होगा।


LF = Location factor = उक्त नगर पंचायत की आबादी 10 लाख के अन्दर आती है।
अतः LF का मान 1 लिया जाना उचित है।


उपरोक्तानुसार नगर पंचायत बुढ़ाना, जनपद मुजफ्फरनगर के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति
की गणना निम्न प्रकार है :-


$$\begin{aligned} EC &= P \times N \times R \times S \times LF \\ &= 80 \times 251 \times 250 \times 0.5 \times 1 \\ &= 25,10,000/- \end{aligned}$$

अतः गणना के अनुसार नगर पंचायत, बुढ़ाना, जनपद मुजफ्फरनगर के विरुद्ध रू०
25,10,000/- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किये जाने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय
प्रेषित किये जाने हेतु आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत
है।



(सर्वेश कुमार)
प्रयो०सहा०


(विपुल कुमार)
अवर अभियन्ता


(दीपा अरोरा)
सहा०वैज्ञा०अधि०


(डा० डी०सी० पाण्डेय)
सहा०वैज्ञा०अधि०

क्षेत्रीय अधिकारी





दूरभाष एवं फ़ैक्स : 0131-2436493

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, MUZAFFARNAGAR
कमल सिनेमा बिल्डिंग, रेलवे स्टेशन रोड, मुजफ्फरनगर-251001

संदर्भ सं०
Ref. No.

1351/G-49/STP/MZR/2019

दिनांक

Dated 16-12-19.

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3)
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ।

विषय:-नगरपालिका परिषद, मुजफ्फरनगर द्वारा संचालित सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक नगरपालिका परिषद, मुजफ्फरनगर द्वारा संचालित सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट का नवीनतम निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 07.12.2019 को कराया गया। आख्या संलग्न है। आख्या के अनुसार एस०टी०पी० प्लांट दिनांक 30.01.2019 से नवीनतम निरीक्षण दिनांक 07.12.2019 तक संचालित नहीं पाया गया।

अतः उपरोक्त के परिपेक्ष्य में नगरपालिका परिषद, मुजफ्फरनगर द्वारा संचालित सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में आख्यानुसार अर्थदण्ड आरोपित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(विदेक राय)

क्षेत्रीय अधिकारी

नगरपालिका परिषद, मुजफ्फरनगर द्वारा संचालित सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट के सम्बन्ध में आख्या।

उपरोक्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट का नवीनतम निरीक्षण दिनांक 07.12.2019 को किया गया। निरीक्षण के समय एस0टी0पी0 की समस्त इकाईयां बन्द पायी गयी, जैसा कि पूर्व निरीक्षण दिनांक 30.01.2019 के समय भी यही स्थिति पायी गयी थी तथा पूर्णतः अशोधित घरेलू उत्प्रवाह बाईपास ड्रेन के माध्यम से काली नदी पश्चिमी में निस्तारित होता पाया गया, जिससे काली नदी पश्चिमी जल गुणवत्ता विपरीत रूप से प्रभावित हो रही है। ज्ञातव्य है कि एस0टी0पी0 की माह जनवरी 2019 से माह दिसम्बर तक माहवार निस्तारित हो रहे सैम्पल की आख्या निरन्तर मानकों से अधिक पायी जा रही है, जो कि जल अधिनियम का उल्लंघन भी है।

अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में नगरपालिका परिषद मुजफ्फरनगर, जो उक्त एस0टी0पी0 के संचालन हेतु प्राधिकृत है, के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाना उचित होगा। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक बी-31011/बीएमडब्लू/2019/ डब्लूएमडी-1 दिनांक 08.02.2019 द्वारा जारी गाइडलाइन्स के अनुसार नगरपालिका परिषद, मुजफ्फरनगर द्वारा संचालित सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् है :-

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक बी-31011/बीएमडब्लू/2019/डब्लूएमडी-1 दिनांक 08.02.2019 के अनुसार पर्यावरणीय क्षति = $PI \times N \times R \times S \times LF$.

PI = Pollution Index of Industrial Sector - पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन्स के अनुसार लाल श्रेणी के उद्योगों के लिए 60 से 100, नारंगी श्रेणी के उद्योगों हेतु 41 से 59 एवं हरी श्रेणी के उद्योगों हेतु 21 से 40 रखी गयी है तथा गणना हेतु औसत Pollution Index क्रमशः 80, 50, 30 का सुझाव दिया गया है। सन्दर्भित एस0टी0पी0 लाल श्रेणी के अन्तर्गत आच्छादित है। अतः Environmental Compensation हेतु PI का मान 80 रखा जाना उचित होगा।

N = Number of days of violation took place - उक्त एस0टी0पी0 दिनांक 30.01.2019 से वर्तमान निरीक्षण दिनांक 07.12.2019 तक निरन्तर संचालित नहीं किया गया है। अतः दिनांक 30.01.2019 को आधार तिथि मानते हुए नवीनतम निरीक्षण के दिनांक 07.12.2019 तक कुल 311 दिनों हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाना उचित है। अतः N का मान 311 होगा।

R = R is a factor in Rupees for Penalty - केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा Environmental Compensation हेतु जारी गाइडलाइन्स के अनुसार R का मान न्यूनतम 100 एवं अधिकतम 500 है तथा औसत 250 का सुझाव दिया गया है। तदनुसार गणना शीट में R का मान 250 लिया जाना उचित होगा।

S = Factor for scale of operation = एस0टी0पी0 32.5 एम.एल.डी. क्षमता का है ज मध्यम श्रेणी के अन्तर्गत आता है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा Environmental Compensation हेतु जारी गाइडलाइन्स के अनुसार मध्यम श्रेणी के उद्योगों हेतु S का मान 1. लिया जाना उचित होगा।

LF = Location factor = एस0टी0पी0 से निकटतम आवादी 10 लाख के अन्दर आती है।
अतः LF का मान 1 लिया जाना उचित है।


उपरोक्तानुसार नगरपालिका परिषद मुजफ्फरनगर द्वारा संचालित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्न प्रकार है :-


$$\begin{aligned} EC &= P \times N \times R \times S \times LF \\ &= 80 \times 311 \times 250 \times 1.0 \times 1 \\ &= 62,20,000/- \end{aligned}$$


अतः गणना के अनुसार नगरपालिका परिषद मुजफ्फरनगर द्वारा संचालित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के विरुद्ध रू0 62,20,000/- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किये जाने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय प्रेषित किये जाने हेतु आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


(सर्वेश कुमार)
प्रयो0सहा0


(विपुल कुमार)
अवर अभियन्ता


(दीपा अरोरा)
सहा0वैज्ञा0अधि0


(डा0 डी0सी0 पाण्डेय)
सहा0वैज्ञा0अधि0

क्षेत्रीय अधिकारी


ANNEXURE-6

Meeting No. 40

MINUTES OF MEETINGS OF OVERSIGHT COMMITTEE, NGT, UP LUCKNOW HELD ON 17.07.2020 AT 11-00 AM AND 21.07.2020 AT (ORGANISED WITH THE HELP OF NIC) in re: OA NO. 231 OF 2014 DATED 28.02.2020 IN DOABA PARYAVARAN SAMITI VS. STATE OF U.P. AND OTHERS

THROUGH VIDEO-CONFERENCING

Present: Hon'ble Mr Justice SVS Rathore, Chairman, and
Dr Anup Chandra Pandey, Member.

Other dignitaries present:

1. Shri Deepak Kumar, Principal Secretary, Urban Development
2. Shri Anurag Yadav, Secretary, Urban Development
3. Dr Susheel Kumar, Representative of MoEF&CC
4. Shri Ramesh Ranjan, JMD Jal Nigam
5. Shri Akhilesh Singh, District Magistrate, Saharanpur
6. Ms Shakuntala Gautam, District Magistrate, Baghpat
7. Dr DK Soni, Scientist D, CPCB
8. Shri Vineet Rai, CEO, UPPCB
9. Ms.Gyanendra Singh, Municipal Commissioner, Saharanpur
10. Dr Shipra Pandey, Nodal Officer, Health
11. Shri GS Srivastava, CEO Jal Nigam, Ghaziabad

The Committee reviewed the progress of remedial measures for industrial and other pollution in Kali pollution in Kali Nadi, Krishna and Hindon rivers in compliance of orders of Hon'ble NGT dated 28.02.2020 in **OA No. 231 of 2014** in re: *Doaba Paryavaran Samiti vs. State of U.P. and others.*

It may be mentioned that Hon'ble NGT vide order dated 08.08.2018 had noted that due to the above pollution, 71 persons had died and 47 persons were bedridden due to cancer in Gagnoli village in Baghpat. A total of 154 villages were

affected due to pollution from industries such as Sugar Mills, distilleries, paper mills, electroplating, slaughter houses, tanneries etc. The Hon'ble NGT had constituted a Committee under Justice SU. Khan to prepare a time bound action plan dealing with the problem.

Hon'ble NGT on 21.10.2019 while reviewing the case found that in 41 villages out of 148 affected villages, DPRs for drinking water projects were pending for approval. Information regarding health service was inadequate. The estimated days for completion of treatment plants were too long. There was immediate need for phyto-remediation/bio-remediation. Recovery of environmental compensation was not adequate. Accordingly, Hon'ble NGT directed the Chief Secretary to look into the matter within three weeks, to take action against the erring officers and ensure further remedial action.

The Chief Secretary filed his report on 21.10.2019 in which it was mentioned that water shall be supplied through tankers, directions have been issued for treatment of patients in Higher Referral Specialised Hospitals, bio-remediation would commence from 04.11.2019. Action has been initiated against defaulting officers. Compensation of Rs. 2.75 crores has been recovered.

The Oversight Committee on 19.12.2019 sent a report to Hon'ble N.G.T. in which it was mentioned that so far out of 148 villages, 43 villages were covered, work was continuing in 76 villages for pipe-water supply and retendering has been ordered in 27 villages for pipe-water supply. In one village, work could not be taken up because of non-availability of land. As far as health care was concerned, 58 villages in district Muzaffarnagar, 92 villages in Baghpat and 91 cases in Shamli were detected and directions were issued for proper treatment to them.

Out of 3 STPs in Saharanpur, Budhana and Muzaffarnagar, no work had started primarily because of insufficiency of land in Budhana and Muzaffarnagar and non-preparation of DPR in Saharanpur. The Committee directed the District

Magistrate to expedite the matter with three months. The Committee noted that no steps have been taken for phyto-remediation/bio-remediation. The Committee also noted that out of 9.40 crore in environmental compensation assessed, only 5.3 crore were recovered. Hon'ble N.G.T. directed that UPPCB to realize the balance environmental compensation in the next three months. It was noticed that out of 148 villages, 43 villages were covered under pipe-water water supply, 82 villages had on-going works, in 19 villages tendered have been approved and Letter of Intent (LOI) had been issued and tendering had taken place.

Hon'ble N.G.T. found that progress is hardly sufficient in terms of pipe-water supply, health facilities and sewage treatment. It was directed that suggestions of the Committee should be implemented expeditiously. It was directed that the Committee may identify accountability of individual authorities and put them to notice of coercive action. Hon'ble N.G.T. regretted that none of the DPRs for STPs were approved. It was directed that if the DPR process is delayed beyond 31.03.2020, coercive measures against Secretary Revenue, Secretary Urban Development and Managing Director UP Jal Nigam would be taken. The process needs to be expedited so that full exercise is complete by October 31,2020.

The Oversight Committee reviewed the progress of implementation of the remedial measures in the light of the above on 17.07.2020. Pointwise decisions taken by the Committee are as follows:

S.No.	Issue/Points of Discussion	Decisions taken by Committee
1.	Piped water supply in affected 148 villages	JMD, U.P. Jal Nigam informed that piped water supply is currently available in 45 villages. In the remaining 103 villages, work is under process in 102 villages. However, in remaining 1 village due to land issue work had not yet started. Out of the 102 villages, he informed that work is expected to be finished in 29 villages by September, 2020 and in rest 73 villages by Dec, 2020. In the remaining 102 villages, safe potable water is

		<p>being provided through 4466 deep India Mark II hand-pumps. MD, UP Jal Nigam informed that work had been delayed because the tenders regarding piped water supply were pending since last 2 years. The approval process started in October, 2020 and the last tender related to it was passed on February, 2020. Usually the time taken to complete the work after approval of the tender is 12 months. However, taking into account the seriousness of matter he assured the Committee that he will get the work completed in 7 months duration. MD, UP Jal Nigam apprised the Committee that land issue in Harra Town, Meerut which was pending since months had got resolved and within 2-3 days GO would be passed. Thus, work would be initiated in that village as well.</p> <p>The Committee was dissatisfied by the progress as it was promised by the Chief Engineer, U. P Jal Nigam in meeting held by Oversight Committee dated 30.1.2020 that 40 tubewells would have been completed by March, 2020 and 63 would be complete by April, 2020 and through them piped water supply would be provided to the affected villages by June, 2020. Taking into account the current status, it reflects that since last six months only 2 villages could be provided piped water supply. The Committee directed that Chief Secretary should initiate action against negligent officers of U.P. Jal Nigam.</p>
2.	Progress of STP work in Muzaffarnagar, Budhana and Saharanpur	<p>The officials informed that work had not started at any place. The usual explanation that project is awaiting approval from NMCG was submitted. Basic engineering design submitted to NMCG in case of Muzaffarnagar and Budhana. DPR submitted to NMCG in case of STP Saharanpur. The Committee directed coercive action in this regard.</p>
3.	Water Supply through tankers in villages	<p>As far as water supply through tankers is considered it was mentioned in the meeting that</p>

	where PWS not ensured	in Saharanpur (1 village is affected), tubewell is complete and pipeline is also present but piped water supply had not been ensured. Water was not being supplied through tankers and residents are dependent on hand pumps. Likewise, in Muzaffarnagar where 58 villages are affected, water is still not being supplied through tankers. In Baghpat (51 villages affected), District Magistrate updated that 171 handpumps have been re-bored, 44 submersibles installed in the district. However, no action has been taken to provide water through tankers. The Committee noted that despite repeated instructions by NGT, follow up of Oversight Committee, and assurance by the Chief Secretary before NGT, water supply through tankers has not been started by Panchayati Raj Department. Chief Secretary may be asked to ensure compliance immediately and also to take action against concerned officers.
4.	Phyto-remediation in drains	Official from Saharanpur informed that phytoremediation work was still incomplete as only 14 km stretch has been covered and rest is left. Similarly, in Muzaffarnagar, phytoremediation work had not been initiated. Out of total 8 drains in these two areas, 6 were found to be non-compliant. Accordingly, UPPCB had imposed penalty of Rs.1 crore regarding non-compliance in Saharanpur and of Rs. 3.5 crore in Muzaffarnagar. Rs 1 crore penalty has been imposed regarding untapped drains and flow of untreated effluent into river in different municipal towns of district Shamli. Notices sent to respective Nagar Palikas. The Committee directed work to be complete within one month.
5.	Action against defaulting units and imposition of EC	UPPCB apprised the Committee that 230 defaulting units were sealed and total 9.4crore penalty was imposed out of which 3.70 crore realised till date. Consent to operate not provided to units which had not paid the penalty and they are strictly directed to pay the EC. It was made clear to the units' owners that in case

		of non-payment EC will be recovered by means of land revenue.
6.	Health camps in affected areas and preparation of micro plan to be prepared to cover the entire stretch and identify cause of ailments like skin diseases, jaundice, cancer etc in the population in concerned region	The Health Dept. informed that no health camps have been organised due to Covid-19 pandemic still instructions have been passed on to the Chief Medical Officer of the district to collect information about cancer patients , patients suffering from diseases caused by polluted water along with patients having co-morbidities under the Dastak Abhiyaan run by the Dept. The report of the same would be provided to the Committee within a month.

Sd/-

(Dr Anup Chandra Pandey)
Member, Oversight Committee

Sd/-

(Justice SVSRathore)
Chairman, Oversight Committee

July 17/21, 2020

Please visit our website: oscngt.upsdc.gov.in for more information.